खण्ड-249, अंक-2
सोमवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1886
(4 मई, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-
उपस्थित सदस्य	१२५-
१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के संबंध में वैधानिक आपत्ति (जारी)	१२९–१३०
प्रश्नोत्तर —	१३०–१६१
१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के संबंध में वैधानिक आपत्ति (जारी)	१६१–१६२
श्री केशवसिंह के मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ८ मई, १९६४ को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में जानकारी	१६२–१६८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गई)	१६८
यू० पी० मोटर बेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१६८
उत्तर प्रदेश गोशाला बिधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६८
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६९
उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१६९–१७०
श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जीवनोपयोगी सामग्री अत्यधिक मूल्य पर प्राप्त होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१७०–१७१
जालौन जिले की उरई नगरपालिका के अन्तर्गत महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१७१–१७
खाद्यान्न के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७२–१
कतिपय विषय	१७५–१७६
सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व बिधायक, श्री भगवतीप्रसाद वर्मा पर कसबा फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कातिलाना हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७६
२३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ से संबंधित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१७६–१७७
साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना	१७७–१७८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापित किया गया)	१७८–१८०
नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापित किया गया)	१८०–१८५
१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के संबंध में वैधानिक आपत्ति (स्थगित)	१८५–१
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (विचार जारी) ..	१९२–२
नत्थियां	२२२–२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार ४ मई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खैमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बुजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवादास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारीबाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)

सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

सोमवार, ४ मई, १९६४

१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के संबंध में वैधानिक आपत्ति

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप सदन को कार्यवाही प्रारम्भ करें मैं यह कहूंगा कि यह वैधानिक सरकार नहीं है । इसके लिये मैंने आपको पत्र भी लिखा और आग्रह भी किया था कि यह सरकार हार चुकी है । उस समय जिस तरह का निश्चय अधिष्ठाता महोदय ने दिया था, उस समय कोई भी माननीय सदस्य, जब मैंने व्यवस्था की मांग की थी, इस बात को स्वीकार कर लेगा कि उस समय बहुमत में विपक्षी लोग थे । ऐसी सूरत में आप सरकार को उत्तर देने की आज्ञा न दें । अभी भी लोक सभा में हालांकि सरकार हारी नहीं है, वहां सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था कि अगर वे प्रत्यक्ष रूप से अल्पमत में होते तो वह बात कर देते ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वह पत्र देखा नहीं है । रहा यह कि सरकार के हारने जीतने का कोई कानून मुझे दिखा दीजिये जिसके इंफ़रेंस से सरकार हार सकती हो ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, क्या उस समय आप सदन को स्थगित करके जा सकते हैं ? आपको वोटिंग करानी पड़ेगी या हाउस को स्थगित कर देंगे ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वोटिंग चलती रहे और हाउस को एडजर्न कर दें । क्या यह उचित था ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बाद उठाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हाउस आफ कामंस में व्यवस्था हो ही चुकी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप भी व्यवस्था दें तब सदन को संचालित करें ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था तो मैं दे रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी माननीय नेकराम जी से भी कहा और आप से भी कहता हूं कि प्रश्नों के बाद मैं व्यवस्था दूंगा । प्राग्दर्शन में मेरी समझ में यह है कि कोई सरकार अनुमान से हार नहीं सकती है केवल इसलिये कि कोई बात चेयर से हो गई हो, जो कदाचित आपके विचार में अनुचित थी । आप लोगों की बातें बाद में मैं सुन लूंगा, लेकिन सम्प्रति मैं चाहूंगा कि जैसे कार्य चलता है चलता रहेगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, एक बात सुन लें कि बाद में आपने निर्णय दिया तो जो यह सरकार उत्तर दे रही है उसे अवैधानिक करार दें ।

श्री अध्यक्ष--

देखेंगे ।]

प्रश्नोत्तर

सोमवार ४ मई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

**१--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की कमी करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कमी करने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

सरकार के विचारारधीन ऐसी कोई भी योजना नहीं है ।

**२--श्री रघुनाथसिंह, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ श्रेणी के जो सरकारी कर्मचारी कम किये जायेंगे उनकी कार्य सेवायें सदैव के लिये समाप्त कर दी जायंगी या उन्हें किसी अन्य जगह लखनऊ में या लखनऊ शहर से बाहर सरकारी कार्य पर स्थाई पद पर स्थानान्तरण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न ही नहीं उठता :

श्री रघुनाथसिंह--

क्या यह सही है कि यहां अनुसचिवों का पद तोड़ा जा रहा है ? तो उनके अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्विस में बनाये रखने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस समय किसी भी चपरासी को हटाने का सवाल सामने नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सचिवालय में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो १० साल से काम कर रहे हैं और उनको स्थाई नहीं किया गया है ? क्या उनको स्थायी किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसे टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सरवेन्ट्स बहुत से हैं, उनको धीरे-धीरे करके परमानेंट किया जा रहा है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जब सरकार की एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्ज इनक्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि एक पद के ऊपर लगातार जो तीन साल तक काम करेगा उसकी नौकरी स्थायी कर दी जायगी तो यह जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १०-१५ साल से काम करते हैं, और सरकार की कमेटी की रिपोर्ट निकल चुकी है, और सरकार ने उसको माना है तो वह तीन साल के बाद क्यों नहीं स्थायी किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

बहुत सी चीजों को ध्यान में रख कर रिपोर्ट के ऊपर विचार किया जा रहा है ।

गल्ला व्यापारियों की हड़ताल

**३--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ९ अप्रैल, १९६४ को पूरे प्रदेश में गल्ले के व्यापारियों ने अपना संपूर्ण कारोबार बन्द रख कर हड़ताल रखी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(अ) गल्ला व्यापारियों की मांगें क्या थीं ?

(ब) क्या इस प्रसंग में गल्ला व्यापारियों का कोई मांग-पत्र सरकार को मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(स) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

जी हां । कई जिलों में हड़तालें हुई थीं ।

अ--उनकी मुख्यतः तीन मांगे थीं :--

१--जमानत की रकम कम कर दी जाय ।

२--एक थोक व्यापारी को दूसरे थोक व्यापारी के हाथ गल्ला बेचने की अनुमति दी जाय,

३--व्यापारियों को खाद्यान्न की बिक्री का हिसाब-किताब देने से मुक्त किया जाय ।

ब--गल्ला व्यापारियों के बहुत से मांग-पत्र आये हैं उन सब की प्रतियां सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

स---अब फुटकर व्यापारियों की जमानत की रकम २५० रु० से कम कर के केवल ५० रु० कर दी गयी है। एक थोक व्यापारी को दूसरी मंडी के थोक व्यापारी के हाथ बेचने की आज्ञा इस शर्त के साथ दे दी गयी है कि वह माल दूसरी बार किसी थोक व्यापारी के हाथ नहीं बेचा जा सकेगा। हिसाब-किताब के रखने के संबंध में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर गल्ला व्यापारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ५० रुपये की रकम छोटे गल्ला व्यापारियों से क्यों मांगी जा रही है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

जमानत मांगी जा रही है जिससे वह ठीक हिसाब-किताब दें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि जो जमानत की रकम ५० रुपये फुटकर व्यापारियों से मांगी जा रही है क्या इसमें राशन की दूकानें भी हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे दो सौ रुपये इससे पहले जमानत के नहीं ले लिये जाते और अगर लिये जाते हैं तो ५० रुपये दोबारा क्यों जमा करवाये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, शामिल हैं। जो हमारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनका कंट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से होता है। देहाती क्षेत्र में पचास रुपये लिये जाते हैं और शायद शहरों में दो सौ रुपये लिये जाते हैं। यह इसके अतिरिक्त हैं। जो आम बाजार में फुटकर गल्ला बेचते हैं उनके लिये ५० रुपये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

मंत्री जी ने बताया कि ५० रुपये जमानत इसलिये ली जाती हैं ताकि हिसाब-किताब ठीक रख सकें, लाइसेंस में हिसाब-किताब ठीक रखने के लिये शर्त है, तो यह ५० रु० क्यों जमा करवाये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह बात सही है कि लाइसेंस की शर्तों में है। यह पेनाल्टी के तौर पर है। यह जब्त की जा सकती है अगर अमल न करें। दूसरे प्रदेशों में इससे भी ज्यादा जमानत ली जाती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इस परिस्थिति को देखते हुये कि छोटे-छोटे दूकानदार जो देहात के बाजारों में १०-१५ मन से कम क्रय-विक्रय करते हैं, आये दिन उनको मार्केटिंग इंस्पेक्टर परेशान किया करते हैं, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि १५-२० मन से कम जो दैनिक तिजारत करते हैं उन पर किसी प्रकार का लाइसेंस का प्रतिबन्ध न लगाया जाय ताकि वह सरकारी अधिकारियों की प्रतारणा से मुक्त रहें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१० क्विंटल से नीचे रिटेलर को लाइसेंस लेने और कागजात रखने की जरूरत नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

जमानत मुलजिमों से ली जाती है। क्या सरकार गल्ला व्यापारियों को अपराध करने से पहले मुलजिम समझती है ?

(संबंधित मंत्री को उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

फतेहपुर जिले में देहात के प्रत्येक व्यापारी से ५० रुपये नहीं, ढाई सौ रुपये लिये गये हैं, यह क्यों लिया है और जिन्होंने लिया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं पहले कह चुका हूं कि जो हमने यह फैसला किया उससे पहले ढाई सौ रुपये ही था। रहा जमानत का सवाल, असेम्बली के मेम्बरों से भी जमानत जमा करवायी जाती है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो देहाती क्षेत्र में फेयर प्राइस शाप्स हैं उनमें चीनी वाली दुकानों को ही गल्ले का लाइसेंस दिया गया है, तो जब चीनी का कोटा लेने से पहले उनसे जमानत ली गई थी तो गल्ला या आटे के वक्त दुबारा उनसे जमानत लेने की क्या जरूरत पेश आयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह जरूरी नहीं है कि वही हों, दो दूकानदार भी हो सकते हैं। तो नियम तो सबके लिये एक है।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि चीनी वालों से जो जमानत ली गई है, क्या उनसे भी दुबारा जमानत ली जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, उनसे भी ली जायगी।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी के दिमाग में तमाम हड़तालों और पत्रकों आदि का कुछ असर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या यह पचास रुपया जो रखा है इसमें भी कुछ कमी करने जा रहे हैं या नहीं ?

(के लिये संबंधित मंत्री को उत्तर नहीं पुकारा गया।)

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५० रुपया जमा करने और लाइसेंस लेने की शर्त उन व्यापारियों पर भी है जो केवल तौलाई का कार्य करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो जो कोई भी दस क्विंटल से ज्यादा बेचता है, उन सब पर लागू है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अगर कोई ठीक तरह से नियम नहीं मानता है तो वह उसका चालान करके उसके ऊपर जुर्माना कर सके ? यदि नहीं तो यह रुपया पहले से क्यों जमा कराया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

अब वह रूल्स बन चुके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह जो सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनको दो तरह का लाइसेंस लेना पड़ रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर और दूसरा आर० एफ०सी० के यहां ग्रेन डीलर की हैसियत से ५० रु० फी डीलर के हिसाब से। आ।र० एफ० सी० के हेडक्वार्टर कुल ६ या ७ जगह सारे प्रदेश में हैं। तो इसकी क्या जरूरत है जब कि एक बार वह २०० रुपये की जमानत जमा कर चुके हैं और दुबारा ५० रुपये की जमानत वह फिर जमा करें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक फेयर प्राइस शाप्स का प्रश्न है वह तो सरकारी दूकान होने के नाते हमारा जो गल्ला वहां जाता है उसकी रक्षा के लिए उनसे वह २०० रु० लिया जाता है ताकि वह गलत काम न करें। जहां तक पचास रुपये का सवाल है यह आल इंडिया बेसिस पर सरे प्रान्तों में किया गया है कि जितने गल्ले के व्यापारी हैं वह अपना हिसाब-किताब रखें ताकि हमें मालूम होता रहे कि स्टाक कितना है। तो यह दूसरा कानून है, दोनों का सम्बन्ध कतई नहीं है और दोनों कामों को अलग अलग होना है और यह वाजिब भी है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न किया उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आर० एफ० सी० के यहां से लाइसेंस लेने में छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं उनको बहुत कठिनाई होती है और कई कई जिले पार करके जाना पड़ता है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस प्रकार के जो छोटे-छोटे लाइसेंस हैं वह जिले के मार्केटिंग इस्पेक्टर दे दें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस बात पर विचार किया जायगा कि उनको लाइसेंस लेने में दिक्कत न हो।

हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था विधेयक

**४---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो Hindu Religious Endowment Prevention of Dissipation Property Act of 62 जिसकी अवधि केवल दो वर्ष रखी गई थी के अधीन अभी तक नियम बने या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ के अन्तर्गत नियमों का आलेख्य तैयार कर लिया गया है। उनको शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

अभी तक नियम नहीं बनाये गये हैं तो क्यों?

डाक्टर सीताराम---

अध्यक्ष महोदय, १५ दिसम्बर, १९६२ को राजपाल महोदय ने इस बिल पर, जिसको इस सदन ने अगस्त, १९६२ को पारित किया था, अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात् देश में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी में अधिक धन व्यय करना उचित प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि ऐक्ट के अन्तर्गत इसमें कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर को नियुक्ति

का प्रश्न था। उस सम्बन्ध में काफी धन की आवश्यकता थी। इसलिये उस वक्त इस विधेयक को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका। यही कारण था कि इस विधेयक को लागू करने में देर हुई और इसमें नियम अभी तक नहीं बन पाये। दिसम्बर, १९६३ में बोर्ड आफ रेवेन्यू को लिखा गया कि वह इस कार्य का भार सम्भाले और फरवरी, १९६४ में इन नियमों का आलेख तैयार करके उनको भेजा गया है और उनकी संस्तुति अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी--

इस विधेयक के बनने के बाद लाखों की सम्पत्ति बरबाद हो गई और इस विधेयक को लागू नहीं किया गया। पिछले दो वर्ष तक इसको लागू नहीं किया गया। अगस्त, ६४ को यह समाप्त होने जा रहा है, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसा स्टेप लेंगे कि जो सम्पत्ति बरबाद हुई है वह बरबाद न हो ?

डाक्टर सीताराम--

सम्पत्ति बरबाद नहीं हुई है बल्कि इस ऐक्ट के सेक्शन ७ (१) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति यदि ट्रान्सफर करता है तो बिना कमिश्नर की परमिशन के उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह ऐक्ट लागू हो गया ?

डाक्टर सीताराम--

यह ऐक्ट तो उसी दिन से लागू समझा जायगा। बिना परमिशन के लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

ये नियम बनाकर जो बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजे गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक इन पर स्वीकृति मिल जायगी और ये नियम कब से लागू हो जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

जल्दी ही लागू हो जायेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कब से नियम बनाना आरम्भ किये हैं ?

डाक्टर सीताराम--

उनको ये नियम फरवरी, १९६४ में भेजे गये हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह--

क्या सरकार ने और कानूनों के नियम भी खर्चा बचाने की दृष्टि से बनाना मुल्तवी कर रखा है ?

डाक्टर सीताराम--

ऐसी बात नहीं है।

फुटकर व्यापारियों से जमानत

**५–श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करगे कि क्या सरकार प्रदेश के गल्ला व्यापारियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी मनी की व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या, तथा नवीन रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री हरीदत काण्डपाल—

जी हां । फटकर व्यापारियों के लिए सिक्यरिटी २५० रु० से घटा कर ५० रु० कर दी गई है ।

स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी के मजदूरों की मांगें

**६—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले और शहर के हजारों मजदूर स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी के मजदूरों की मांगों को सहानुभूति में हड़ताल करने जा रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जिला इलाहाबाद के १३ प्रतिष्ठानों के मजदूरों ने १० अप्रैल, १९६४ को स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी के मजदूरों की मांगों की सहानुभूति में सांकेतिक हड़ताल की ।

**७–श्री सत्यनारायण पांडेय (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो स्वदेशी काटन मिल्स के मजदूरों की क्या मांगें हैं और सरकार हड़ताल न होने देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

स्वदेशी काटन मिल्स के मजदूरों की मांगें एक संलग्न सूची में दी गई हैं ।

विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रमिकों तथा उनके नेताओं को समझाया गया कि वह हड़ताल न करें । जिला औद्योगिक सम्बन्ध परामर्श–दात्री समिति ने भी श्रमिकों से काम पर आ जाने की अपील की थी । इसके फलस्वरूप मिल में श्रमिकों की उपस्थिति संख्या क्रमशः बढ़ रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२२ पर)

तारांकित प्रश्न

सस्ते गल्ले की दूकानें

*१–श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल विभिन्न सरकारी दूकानों के अन्तर्गत कितना चावल, गेहूं तथा आटा प्रति माह दिया जाता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा प्रति मास वितरित चावल, गेहूं तथा आटे की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है । वस्तुतः खपत के अनुसार उक्त दुकानों को सरकारी गोदामों से गल्ला दिया जाता है ।

*२–श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी सरकारी दुकानें हैं और उनसे कुल कितना खाद्यान्न जैसे आटा, गेहूं, चावल प्रति माह जनता को दिया जाता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

समस्त प्रदेश में कुल १२,९५९ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने हैं। इन दूकानों द्वारा वितरित गल्ले की मात्रा निश्चित नहीं है। पिछले तीन मासों में वितरित गेहूं, चावल तथा आटे की मात्रा निम्नांकित है :--

(मात्रा टनों में)

	गेहूं	चावल	आटा
जनवरी, १९६४	३८,९३४	१२,७८५	१९,८२८
फरवरी, १९६४	६६,१९८	१७,७४१	३४,५६९
मार्च, १९६४ (२८ मार्च तक।)	७२,६२९	१७,१७५	४६,७१९

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

पहले मंत्री जी ने सदन में बतलाया था कि आटे के बारे में प्रदेशीय सरकार की केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी चल रही है कि जो आटा दिया जा रहा है वह बंद कर दिया जाय, उस बारे में क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सदन में यह कभी नहीं कहा गया कि आटा नहीं दिया जायगा। जो गेहूं उनको देते हैं उसका आटा ज्यादा मिलता है और वह जनता के लिये अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो हम अपना स्टाक क्यों कम करें यह समझ में नहीं आता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

फ्लोर मिल्स बंद करने के बारे में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और यह भी कहा गया था कि लोगों को गेहूं दिया जायगा। तो इस बारे में जो लिखा-पढ़ी हुई है उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

शायद आपको भ्रम है। मैंने कहा था कि पहले एक बार लिखा-पढ़ी हुई थी और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने इस बात के लिये इंकार कर दिया था कि अगर वह फारेन गेहूं बाजार में सीधे दे देंगे तो उससे स्वदेशी गेहूं का भाव बढ़ेगा। इसलिये वह आटा मिलों को दिया जायगा और तब हम आटा लेंगे ही और उसे बाटेंगे हो।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि प्रदेश में आटे का भाव गेहूं के भाव से महंगा है ? ऐसा कौन-सा कारण है कि महंगा आटा सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिकवाया जाता है और उसका फायदा मिल मालिक उठा रहे हैं, जबकि इस आटे के बारे में ये भी भ्रम है कि उसमें मिलावट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आटा तो सस्ता बिक रहा है दो सेर ८ छटांक का, इसलिये आपका सवाल ही बेसिकली गलत है।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि आटा खराब है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

उनका यह खयाल भी गलत है क्योंकि यह वहां एलेक्ट्रिकली ट्रीट होता है।

श्री भानुप्रतापसिंह---

इन आटा मिलों में गेहूं पीसा जाने के पहले क्या उस गेहूं की क्वालिटी की जांच कराने का कोई प्रबंध सरकार ने कर रखा है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

जी हां, पब्लिक एनालिस्ट के यहां जाता है और जांच होती है, जब जरूरत पड़ती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी को खिलाने के लिए कितने गेहूं और चावल की आवश्यकता पड़ती है और आप अपने सस्ते गल्ले की दूकानों से कितनी सप्लाई प्रतिमाह करते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

हमारे यहां टोटल राशनिंग नहीं है, पार्शियल है । हम तो केवल हेल्प देते हैं जिससे भुखमरी न हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

बताया गया कि गेहूं का भाव २ सेर ८ छटांक है और आटे का भाव २ सेर ८ छटांक है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपके प्रदेश में दो सेर का गेहूं का आटा है और डेढ़ सेर का आटा आजमगढ़, देवरिया में बिक रहा है क्या यह सही नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं स्पष्ट कर दूं कि आटे के ट्रांसपोर्ट चार्जेज जुड़ जाते हैं तो उसका भाव अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है । तो हो सकता है कि कहीं २ सेर ४ छटांक या २ सेर ७ छटांक हो ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---

कितने आटे के केसेज मिलावट के आपने पकड़े हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरे सामने एक सीतापुर का केस आया है । मगर इसके अलावा जो अडल्टरेशन का कानून है उसमें भी लोग पकड़े जाते हैं । जहां तक हमारा सवाल है तो अगर मोटा आटा होता है तो हम रिमिलिंग के लिये वापस कर देते हैं, सैम्पिल लेकर भिजवाते हैं । इसलिये लोगों को निकम्मा आटा खाने को मिले, इसका सवाल नहीं उठता ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

अगर सीतापुर में ही केस हुआ है और जगह नहीं हुआ तो उसके लिए क्या मेडिकल डिपार्टमेन्ट से पूछेंगे कि जो बीमारी फैल रही है आटे की वजह से उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हमें मालूम नहीं है, दत्ता साहब को कोई हो तो मेडिकल डिपार्टमेन्ट को अपनी रिपोर्ट भिजवा दें ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

आपने लाखों टन चावल के वितरण की सूचना दी है, लेकिन हमारे उन्नाव में चावल का वितरण नहीं हो रहा है । तो क्या वहां उसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चावल तो लाखों टन गया है और पूरब वाले और पहाड़ वाले सब खा गये। अब तो एक एक रुपये का हर कार्ड पर मिल जाया करेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मंत्री जी ने अभी बतलाया कि आंटे में ढुलाई आदि का व्यय बढ़ जाता है। तो गेहूं भी तो ढोया जाता है, उसमें अन्तर क्यों नहीं आता? पूर्वी जिलों में १ रुपया ४ आना मन पिसाई पड़ती है। तो आपके हिसाब से तो पिसाई में नहीं, ढुलाई में इतना चला जाता है। तो गेहूं में उसके हिसाब से फर्क क्यों नहीं पड़ता?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

गेहूं के लिये तो सरकर सब्सीडी देती है, आटे के लिये नहीं देती।

श्री ऊदल---

गेहूं और आटा २ सेर ८ छटांक का बिक रहा है ..... (व्यवधान) पहले वह २ सेर १० छटांक का बिकता था। तो इसमें अन्तर क्यों हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बात यह है कि हमको चूंकि जल्दी-जल्दी ट्रक आदि से अनाज को भेजना पड़ता है, इसमें भाड़ा ज्यादा पड़ जाता है। उसी हिसाब से इसको बिकवाना पड़ता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी अपने प्रदेश में गेहूं और चने की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस निर्धारित करने जा रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार की बात है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

जो आटा सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिकवाती है वह बाजार में जो गेहूं बिकता है उस गेहूं का आटा होता है या सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो गेहूं बिकता है उसका?

श्री जगमोहनसिंहनेगी---

मैंने कई बार बताया है कि हम कोई गेहूं नहीं देते हैं। केन्द्रीय सरकार मिलों को जो गेहूं देती है, हम अपनी जनता के हित के लिये जबरदस्ती उसको ले लेते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

गेहूं और चने को मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस फिक्स करने के संबंध में माननीय खाद्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार के बीच क्या कोई पत्र-व्यवहार हुआ है, यदि हुआ है तो वह क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके सम्बन्ध में कुछ बतलाना पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---

श्रीमन्, चावल की कमी के बारे में यहां सदन में बार-बार प्रश्न किये गये। उसका कारण यह है जो चावल इस सरकार ने लिया था वह केन्द्रीय सरकार को दे दिया और अब चावल का स्टाक नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चावल की कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पिछले साल तक १ लाख टन हम वसूल करते थे। इस साल हमने १ लाख ७५ हजार टन किया। उसमें से ४० हजार टन केन्द्रीय सरकार को दिया। लेकिन स्टाक की कमी हमारे पास नहीं है, स्टाक बहुत काफी है, मगर रोक इसलिये लगाना पड़ी कि यहां यह शिकायत की गयी थी कि उसकी स्मगलिंग हो रही है।

शाहजहांपुर में आटे की दुकान व ईंट के भट्ठों का लाइसेन्स

*३--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शाहजहांपुर में आटे की कन्ट्रोल होल सेल की दूकान एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गयी है जिसका सगा भाई शाहजहांपुर के जिला पूर्ति कार्यालय में ज्येष्ठ निरीक्षक पद पर है ? क्या यह सही है कि इसी आदमी को शकर एवं सीमेंट की दूकान भी दी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, किन्तु इस आटा होल सेलर के भाई का स्थानान्तरण हो गया है। इस व्यक्ति को चीनी का रिटेलर नियुक्त किया गया था किन्तु उसने ३०-१०-६३ को इस कार्य से त्याग-पत्र दे दिया था। त्याग-पत्र स्वीकार होने के उपरान्त इनको आटे का होलसेलर नियुक्त किया गया था। जहां तक सीमेन्ट की दूकान का प्रश्न है इनकी नियुक्ति सीमेन्ट फैक्ट्री के सेलिंग एजेन्ट द्वारा सन् १९५९ में हुई थी।

*४--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में ईटों के भट्ठे के लाइसेंस पिछले दो वर्षों में किन-किन लोगों को दिये गये हैं और क्या यह सही है कि किसी आदमी को दो भट्ठों के लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिन लोगों को सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में ईट भट्ठों के लाइसेंस दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। जी हां दो भट्ठों के लाइसेन्स दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. २२३ पर।)

*५--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ ऐसे लोगों को शकर की दुकानों के लाइसेंन्स नहीं दिये गये, जिनकी तहसीलदार और क्षेत्र विकास अधिकारी ने संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। कारण यह है कि सरकारी आदेश के अनुसार एक पंचायती अदालत में एक ही दुकान खुलनी चाहिये, किन्तु तहसीलदार और क्षेत्र विकास अधिकारियों ने एक ही पंचायती अदालत से कई-कई व्यक्तियों की संस्तुति की थी।

गाजियाबाद रेगूलेटेड एरिया की कण्ट्रोलिंग अथारिटी

*६--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया की कन्ट्रोलिंग अथारिटी के कौन-कौन सदस्य हैं ? उसकी १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितनी मीटिंग्स हुयीं और प्रत्येक मेम्बर का इस अवधि में टी० ए० के रूप में कितना खर्च हुआ ? क्या यह सत्य

है कि जो एजेन्डा हर मीटिंग्स के लिये निर्धारित किया जाता है उसके बहुत कम आइटम्स पर विचार हो पाता है और ऐसा है, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया की कन्ट्रोलिंग अथारिटी के निम्नलिखित सदस्य हैं—(१) कमिश्नर, मेरठ डिवीजन, मेरठ (चेयरमैन) (२) सचिव, स्वायत्त शासन, उत्तर प्रदेश (मेम्बर); (३) अध्यक्ष, जिला परिषद्, मेरठ (मेम्बर); (४) जिलाधीश, मेरठ (मेम्बर); (५) एडमिनिस्ट्रेटर, गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, मेरठ (मेम्बर); (६) मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रणा (मेम्बर); (७) मुख्य अभियन्ता, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (मेम्बर); (८) अधीक्षक अभियन्ता, प्रथम वित्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ (मेम्बर)

वर्ष १९६२–६३ में ९ मीटिंग हुईं तथा वर्ष १९६३–६४ में भी ९ मीटिंग हुई ।

कन्ट्रोलिंग अथोरिटी के किसी सदस्य ने टी० ए० के रूप में कोई अन्य धन नियत अधिकारी के बजट से नहीं लिया । प्रत्येक सदस्य ने अपने विभागीय बजट से कितना टी० ए० लिया इसकी सूचना एकत्र करने में समय लगेगा ।

प्रत्येक मीटिंग के लिये निर्धारित किये गये प्रत्येक एजेन्डे के लगभग सभी आइटमों पर विचार विनिमय हो जाता है कुछ आइटम प्रार्थियों के आग्रह पर ही स्थगित कर दिये जाते हैं ।

गाजियाबाद नगरपालिका सीमा विषयक पत्र

*७—श्री तेजसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड, गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या ११६६ (१) दिनांक ६ मई, १९६३ के द्वारा सुन्दरपुर, माधोपुरी, केला विजयनगर तथा गौशाला को म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्दर लिये जाने के लिये सिफारिश की है ? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । शासन ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ।

*८–९—श्री शिवराजसिंह तथा श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[१० वें बुधवार के लिये प्रश्न २१–२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्लाट

*१०—श्री तेजसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने १८ वें सेक्टर में २००, ४००, ६०० तथा १,५०० वर्ग गज के निवास के लिये प्लाट बनाये हैं ? यदि हां, तो समाजवादी अर्थ व्यवस्था में इतनी अधिक असमानता रखने के क्या कारण हैं ? अन्न के संकट व आवास की समस्या को देखते हुये क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि सभी प्लाट २०० वर्ग गज के बनाये जावें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने १८वें सेक्टर में १३३, २००, ३५५, ५५५, १,०००, १,४०० तथा १,८०० वर्ग गज के निवास के लिये प्लाटों का प्राविधान किया है । गाजियाबाद के मास्टर प्लान के अनुसार यह सेक्टर कम आबादी का क्षेत्र है जिसमें जन-संख्या का घनत्व केवल ६० व्यक्ति फी एकड़ रखना है। इसी घनत्व को ध्यान में रखते हुये इस सेक्टर में छोटे प्लाटों के साथ-साथ बड़े प्लाट भी रखे गये हैं । गाजियाबाद दिल्ली के समीपवर्ती नगरों में से एक है, इसलिये वहां हर आय के लोगों के रहने का प्रबन्ध करना अवश्यक है । सभी प्लाट २०० वर्ग गज के बनाना उचित नहीं होगा ।

फरेंदा तहसील में गल्ला गोदाम

*११—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में कोई गल्ला गोदाम का सेन्टर है ? यदि हां, तो पिछले तीन माह में इस स्टोर पर कितना गेहूं, आटा, चना, दाल, बेसड़ा सस्ते राशन के दूकानदारों ने उठाया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में विगत वित्तीय वर्ष में फरवरी, १९६४ तक कोई इशू गोदाम (Issue Godown) नहीं था, किन्तु मार्च, १९६४ के द्वितीय पखवारे में फरेंदा (आनन्दनगर) चावल खरीद के सेंटर को इशू सेंटर भी बना दिया गया और वहां ३०० क्विंटल गेहूं सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को देने के लिये रख दिया गया, परन्तु उक्त मास में गल्ले की कोई निकासी नहीं हुई। उक्त सरकारी गोदाम में किसी प्रकार के चना, दाल, बेसड़ का स्टाफ नहीं है क्योंकि मोटे अनाज की कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही है और न बाहर से ही उपलब्ध है। फरेंदा में उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करने के लिये जिला पूर्ति अधिकारी ने आटा के दो थोक व्यापारी नियुक्त कर दिये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल में कितना गल्ला, चावल और आटा उस ईशू गोडाउन से उठा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अभी तक उस इशू गोडाउन से सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सरकार उनको गल्ला देने के आदेश तुरन्त देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आपने पहले भी मुझे एक पत्र दिया था। मैंने उस पर आदेश दिये और मैं समझता हूं कि अब दिया जा रहा होगा। अगर नहीं है तो आप देख कर मुझे लिखें, मैं फिर कहुंगा कि तुरन्त दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

गोरखपुर जिले में ट्रांसपोर्टेशन ठेकेदार के माध्यम से होता है। बांसगांव तहसील में भी एक अलहदा इशू गोडाउन बनाने में क्या दिक्कत है, जबकि दूकानों को १०,१० दिन तक ठेकेदार गल्ला नहीं पहुंचा पाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

किराये पर मकान नहीं मिलते, खर्चा बढ़ता है, आदि।

बांसगांव तहसील में सीमेंट के लाइसेन्सी

*१२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में सीमेंट लाइसेंसी कौन-कौन व्यक्ति हैं और १ जनवरी, १९६४ से १५ मार्च, १९६४ तक उन्होंने कितना-कितना कोटा सीमेंट एलाटमेंट का उठाया और कब-कब ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२४ पर)

*१३—श्री कल्पनार्थासिह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन स्टाकिस्टों द्वारा सीमेंट न उठाने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिन-जिन स्टाकिस्टों को सीमेंट का कोटा मिला उन सबने कोटा उठा लिया। अतः सीमेंट न उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४—श्री कल्पनार्थासिह—

क्या सरकार इस तहसील में सीमेंट की मांग को देखते हुए अधिक सीमेंट की एजेंसी या अधिक कोटा बढ़ाकर जनता की मांग को पूरा करने पर ध्यान देगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वर्तमान स्थित में यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार से मिलने वाला कोटा आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है ?

श्री कल्पनार्थासिह—

उत्तर में मंत्री जो कहते हैं कि सबने कोटा उठा लिया है मगर लिस्ट कहती है कि नं० ८, ९ और १० ने इस पीरियड में नहीं उठाया, कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब उन्हें एलामेंट ही नहीं हुआ तो उठाते क्या ?

श्री कल्पनार्थासिह—

गोरखपुर का सीमेंट का कोटा न बढ़ाने का क्या कारण है, जबकि इससे कम आबादी वाले जिलों को अधिक सीमेंट दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आबादी के अलावा दूसरे कारण भी हैं।

श्री कल्पनार्थासिह—

सेंटर से जितना मिलता है उसमें से आबादी के हिसाब से दें।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि आबादी के हिसाब से भी दिया जाता है। कुछ और बातें भी हैं।

श्री उग्रसेन—

देवरिया का रामपुर कारखाने का केस है कि सरकार ने उसे स्टाकिस्ट तो एप्वाइंट कर दिया और जिलाधीश ने भी लिखकर दे दिया मगर जहां से सीमेंट चलता है वह सीमेंट देता ही नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एलोकेशन तो फैक्ट्रीज करती हैं, वही सीमेंट देती हैं।

श्री बलवानसिंह--

क्या मैं जान सकता हूं कि आबादी के अलावा और कौन से कारण हैं जिनके आधार पर कोटा दिया जाता है किसी जिले को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

डेवलपमेंट के कार्य, जिले का पिछड़ापन, कितना काम हो रहा है, पुराने काम पूरे हो चुके हैं या नहीं, मकान वगैरह कैसे और कितने बनते हैं, आदि ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी इन आधारों की कसौटी पर गोरखपुर जिले को रखकर और खासतौर से बांसगांव तहसील के बारे में देखकर, सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे गोरखपुर जिले से पूर्ण सहानुभूति है और यह सोचना होगा कि किस जिले का काट कर उनकी जेब भर दें ।

*१५--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

[१०वें बुधवार के लिये प्रश्न ८६ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया ।]

नौगढ़ क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें

*१६--श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ क्षेत्र में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें पुरानी हैं और कितनी नई खोली गई हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

बस्ती जिले के नौगढ़ क्षेत्र में सस्ते गल्ले की पुरानी दूकानें कुल ६ हैं और २८ नयी दूकानें खोली गई हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या ये २८ दूकानें यहां की पंचायती अदालतों की आबादी को देखकर खोली गई हैं या ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारा नियम तो यही है कि कम से कम १ तो हो । अगर एडवाइजरी कमेटी ज्यादा ठीक समझती है तो हमें आपत्ति नहीं है ।

देहरादून में पानी की कमी

*१७--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था के अभाव को दूर करने के लिये नये नलकूपों के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने स्थानीय नगर बोर्ड को लगभग दो वर्ष पहले दो लाख छत्तीस हजार का ऋण दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि आज तक उनका निर्माण किन कारणों से नहीं हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६१ से अब तक देहरादून नगरपालिका को नगर में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये ५,२५,००० रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। उक्त योजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों के अतिरिक्त दो नये नलकूपों के निर्माण की भी व्यवस्था है।

यहां की जमीन पथरीली होने के कारण कुएं खोदने के लिये विशेष यंत्रों की आवश्यकता है। इसलिये यह कार्य भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन को सौंप दिया गया था। जमीन पथरीली होने के कारण से ही कार्य की प्रगति धीमी है।

*१८—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो धन उपरोक्त कार्य के लिये दिया गया था उसमें अब तक कितना रुपया किन-किन मदों पर खर्च हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

खर्चे के विवरण जो अब तक किये गये हैं निम्न प्रकार हैं— रु०

(१) दो कुंओं के बोरिंग चार्जेज (जो कि ई० टी० ओ० को दे दिया गया है)	..	६९,४००
(२) पम्पिग प्लांट	..	५,९००
(३) पम्प हाउस	..	५,६००
(४) १० इंच का डिस्ट्रीब्यूशन मेन बिछाना	..	६,०६४
(५) पाइप इत्यादि	..	१,५६,६७५
(६) अन्य मदें (सेन्टेज चार्जेज इत्यादि)	..	३५,०००
कुल	..	२,७८,६३९

*१९—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों को पानी की समुचित व्यवस्था न होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल आरर्गना जैशन यह प्रयत्न कर रहा है कि यह काम जल्द से जल्द पूर्ण हो जाये।

जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूं

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि बदायूं के मौजूदा जिला पूर्ति अधिकारी इस नियुक्ति से करीब एक साल पहले बदायूं में जिला पूर्ति अधिकारी रह चुके हैं और उनका तबादला बदायूं से शिकायतों के आधार पर हुआ था ? यदि हां, तो उनको बदायूं में पुनः भेजने की क्या आवश्यकता समझी गई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मौजूदा जिला पूर्ति अधिकारी बदायूं इस से पहले भी इसी जिले में करीब १० माह तक जिला पूर्ति अधिकारी रह चुके हैं पर इनका स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक साल पहले ही उनका वहां से तबादला किया गया था, लेकिन एक साल बाद ही उनको फिर वहां भेज दिया गया, ऐसी क्या आवश्यकता हो गयी थी कि उनको फिर से वहां भेज दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह शासन सम्बन्धी बात है, लेकिन फिर भी यह बता दूं कि वहां पर कुछ एलाउन्स मिलता था और ये सी-कैटेगरी के थे, इसलिये उनको वहां से हटाया गया था। लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे कि जिनकी वजह से वहां कोई दक्ष आदमी रखा जाना था, इसलिये उनको फिर वहां से भेज दिया गया।

*२१—सर्वश्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

*२२-२४—श्री रघुवीर सहाय कंथवार (जिला फतेहपुर)—

[१५ अप्रैल, १९६४ को अल्पसूचित प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों के संबंध में शिकायत

*२५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक १९ फरवरी, १९६४ का लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें आजमगढ़ जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की ब्लैकबाजारी करने वालों को ही पुनः देने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। जिला अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराई गई तथा इस विषय में की गई कार्यवाही से माननीय सदस्य को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मऊ की दूकान नम्बर १५ के बारे में पुलिस में क्या मामला दर्ज था और उस पर मुकदमा न चलाये जाने का कारण क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वहां के पुलिस स्टेशन आफिसर ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मामला उसके खिलाफ बनता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना माल ले जाते हुये ही पकड़ लिया गया, अब उससे यह मालूम नहीं होता कि उसका इंटेशन क्या था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दूकानदार बैलगाड़ी में कितने बोरे गेहूं ले जा रहा था और कहां ले जा रहा था, यह पुलिस रजिस्टर में दर्ज है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बोरे की बातों के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

कानपुर महापालिका में उन्नाव जिले की जमीन

*२६---श्री देवदत्त मिश्र---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले का कोई भू-भाग कानपुर महापालिका के मातहत हस्तान्तरित हो गया है ? यदि हां, तो जिन शर्तों पर ऐसा हुआ है क्या उनको सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उन्नाव जिले का कोई भू-भाग नगरमहापालिका, कानपुर के मातहत हस्तान्तरित नहीं हुआ है ।

*२७---श्री देवदत्त मिश्र---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला अन्तर्गत मगरवारा से गंगा पुल तक भू-भाग क्या कानपुर जिले में सम्मिलित कर देने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि गंगा घाट और शुक्ला गंज में जो ट्रांसपोर्ट की कम्पनियां हैं उनको नगरमहापालिका, कानपुर से लाइसेंस लेना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

ऐसा हो सकता है । एक अधिनियम के अनुसार गंगा पुल के पास ३९वें पुल तक सड़क के दोनों ओर एक-एक मील तक कानपुर रेग्यूलेटेड एरिया घोषित किया गया है । उस एरिया में उस ऐक्ट के अनुसार जो कार्यवाही उचित होती है, वह नगरमहापालिका, कानपुर करती है ।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस रेग्यूलेटेड एरिया का उन्नाव जिले से कोई सम्पर्क रहेगा या नहीं । लाइसेंसिंग की आमदनी हमारे जिले को मिलेगी या कानपुर को चली जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

रेग्यूलेटेड एरिया ऐक्ट के अनुसार जो पावर्स कानपुर नगर महापालिका को दी गई हैं उन पावर्स के लिये तो वह भाग कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत रहेगा, शेष कार्यों के लिये उन्नाव जिले में रहेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र---

क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि उन्नाव जिले का यह भू-भाग कानपुर जिले को हस्तान्तरित नहीं किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि कुछ काम के लिये कुछ एक दृष्टि से वह कर दिया जायगा और कुछ प्रयोजनों के लिये नहीं हो सकेगा। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल करना हो तो कर लें।

श्री देवदत्त मिश्र—

इस भू-भाग के अन्तर्गत जो हमारी गांव सभायें व न्याय पंचायतें हैं, उनकी क्या स्थिति होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चूंकि यह एरिया महापालिका में शामिल है इसलिये और संस्थाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता सिवा उसके जो रेगूलेटेड एरिया घोषित हो जाय, उस कानून के अन्तर्गत जितनी बातें हैं, उसके ऊपर इसका असर होगा, बाकी पर कोई असर नहीं होगा।

चौखुटिया-ग्वालदम मार्ग

*२८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या सरकार को यह पता है कि तड़वाली (चमोली जिले के और चौखुटिया अल्मोड़ा जिले के बीच) पट्टी खनसर व अल्मोड़ा जिले के उस पट्टी से मिले हुये भाग में जंगलात की सड़क अच्छी हालत में नहीं है ? नालों व छोटी नदियों में जो उस भाग में हैं उन पर पुलों का अभाव है क्या सरकार जंगलात विभाग से उस सड़क की मरम्मत, नव-निर्माण तथा आवश्यक पुलों के भी नये निर्माण करवाने की कृपा करेगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

चौखुटिया से ग्वालदम तक का एक पैदल मार्ग है। इस मार्ग का केवल चौखुटिया से खनसर होते हुये बजवार तक का मार्ग वन विभाग के अन्तर्गत है। चौखुटिया से खनसर तक का भाग वर्षा ऋतु को छोड़ कर अन्य मौसम में ठीक दशा में रहता है। खनसर से बजवार तक के भाग की मरम्मत वन विभाग द्वारा इस समय की जा रही है।

बजवार से ग्वालदम तक का मार्ग पैदल चलने के लिये है। यह नाप भूमि पर स्थित है और इसे ग्रामवासियों ने बनाया है। वन विभाग द्वारा इसकी मरम्मत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। ग्वालदम से तलवाड़ी तक का मार्ग मोटरों के चलने योग्य है और इसका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

चौखुटिया के पास नदी का घाट काफी चौड़ा है और पुल बनाने के लिये कोई योग्य स्थान नहीं है। इसलिये यहां पर पुल नहीं बनाया जा सकता है। अन्य स्थानों पर मार्ग में आने वाले छोटे-छोटे नालों पर पुल बनवाने का कार्य यथासंभव शीघ्र किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार को यह मालूम है कि चमोली जिले का पट्टी खनसर इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा वहां इतनी असुविधायें हैं जिनकी वजह से वह अंडमान के नाम से पुकारा जाता है ? यदि हां, तो पट्टी खनसर के माइथान नामक स्थान पर पहले एक पुल था जो बारिश की वजह से बह गया और वह जंगलात की सड़क पर है, क्या सरकार उस पुल का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जिस मार्ग के सम्बन्ध में यह सवाल है उस पर जो छोटी-छोटी पुलियां हैं उन सबकी मरम्मत हो चुकी है। जिस पुल का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, वह उस मार्ग पर नहीं पड़ता है।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

जिस पुल के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है, वह चमोली जिले के पट्टी खनसर के माइथान नामक स्थान पर पड़ता है और मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि वह जंगलात की सड़क है और वह पुल बह गया है, तो क्या सरकार जनता की असुविधाओं को देखते हुये उस पुल का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यदि ऐसा कोई पुल है जिसका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया, यदि वह लिख कर दे देंगे तो हम जरूर कार्यवाही करेंगे ।

*२९-३०---श्री अखण्डप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३२---श्री शिवराजसिंह---

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिले में चीनी का कोटा

*३३---श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत कुल कितनी शकर का कोटा प्रति माह दिया जाता है ? उसमें से शहर व जिले को एक अगस्त, सन् १९६३ से २९ फरवरी, सन् १९६४ तक कितनी-कितनी शकर कब और किस माह को दी गई तथा शहर व जिले में प्राप्त शकर के कोटे का वितरण किस अनुपात से किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कानपुर जिले का चीनी का मासिक कोटा अन्य जिलों की भांति आबादी के आधार पर भारत सरकार से प्रति मास प्राप्त कोटे के अनुसार घट बढ़ कर बनता है इसलिये निश्चित नहीं है शहर व जिले को जो शकर १ अगस्त, १९६३ से २९ फरवरी, १९६४ तक दी गई उसकी सूचना संलग्न है । शहर व जिले में प्राप्त शकर के कोटे का वितरण लगभग ७:१ के अनुपात में किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२६ पर)

सरकारी दूकानों से आटा देने का सुझाव

*३४---श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रबन्ध कर रही है कि सरकारी राशन की दूकानों पर गेहूं न मिल कर केवल आटे की ही बिक्री हुआ करे ताकि गेहूं पर चोरबाजारी न हो सके और सब व्यक्तियों को आटा काफी मात्रा में मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा गेहूं तथा आटा दोनों का वितरण किया जाता है । केवल आटे के वितरण की व्यवस्था करना सरकार के विचाराधीन नहीं है । आटा अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता इसके अतिरिक्त समस्त उपभोक्ता आटा लेना पसन्द नहीं करते अतः केवल आटे का वितरण उचित नहीं है ।

*३५—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या खाद्य मंत्री ऐसा भी प्रबन्ध करेंगे कि सरकारी राशन की दूकानों पर आटा अच्छा मिल सके ताकि गेहूं न मिलने की शिकायत जनता को न हो ? क्या समय-समय पर इस आटे का परीक्षण लेबोरेटरी में भी होता रहेगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जैसा कि उपरोक्त प्रश्न संख्या ३४ में बताया गया है, सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर आटा के अतिरिक्त गेहूं के वितरण की भी व्यवस्था है। उपभोक्ताओं को अच्छे क्वालिटी के आटे को उपलब्ध करने के निमित्त सरकार ने रोलर फ्लोर मिलों को निम्नलिखित आदेश दे रखे हैं :—

(१) होलमिल आटा में से २.५ प्रतिशत चोकर निकाला जाय।

(२) रिजल्टेन्ट आटा में से १३ प्रतिशत चोकर निकाला जाय।

(३) जितना गेहूं मिलों में पीसने के लिये डाला जाय, उसमें से ४० प्रतिशत से अधिक मैदा अथवा सूजी न निकाली जाय।

(४) रिजल्टेन्ट आटे को समूचे बोरों में बेचा जाये तथा १० किलोग्राम तक के छोटे आकार के बोरे में भी तैयार करें और इन बोरों पर 'आर' अक्षर अंकित कर दें। इसी प्रकार होल मिल आटा के बोरों पर 'डब्लू' अक्षर भी अंकित करें। आटे के परीक्षण के लिये कोई पृथक् लेबोरेटरी नहीं है। आटे में मिलावट का परीक्षण सार्वजनिक स्वास्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

जो लोग बढ़िया गेहूं खाना चाहते हैं उनके लिये तो २४-२५ रुपया मन गेहूं बाजार में मिलता है, लेकिन आटे के ही संबंध में अधिकतर शिकायतें रहती हैं और जनता को जितना अच्छा आटा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। तो क्या सरकार आटे का कोई उचित प्रबन्ध कर के, गेहूं चाहे न भी मिले, लेकिन आटा अच्छा मिले और जैसा उन्होंने उत्तर में कहा है कि आटा देर तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर आटा अच्छा होगा तो वह देर तक भी रखा जा सकता है तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आटे की अच्छी क्वालिटी के निमित्त ही यह चार बातें आपके सामने उत्तर में बताई गई हैं और इसके अलावा एक गजटेड अफसर और उनके सहायक भी नियुक्त किये गये हैं जो बराबर देखते हैं कि खराब आटा न निकले और अगर निकलेगा तो ऐसा करने वालों को डी० आई० आर० में प्रासिक्यूशन किया जायगा। और जो भी संभव उपाय होते हैं वह करते हैं और हमारा प्रयत्न है कि आटे की अच्छी से अच्छी किस्म दी जाय।

बीज खरीदने के लिये स्वीकृत धन

*३६—श्री शिवराजसिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३-६४ में रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स से बीज खरीदने हेतु प्रीमियम देने हेतु कितनी रकम सरकार द्वारा मंजूर की गयी और उसमें से कितनी खर्च की जा चुकी है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

कुल २१ लाख रुपए मंजूर किये गये थे जिसमें से कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

करनैलगंज नगरपालिका में सी० पी० टैक्स

*३७--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिलाधीश, गोंडा द्वारा करनैलगंज, नगरपालिका के सी० पी० टैक्स लगाने के निर्णय पर कब मंजूरी दी गयी है और टैक्स किस तिथि से लागू किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिलाधीश गोंडा ने उक्त कर लगाने की अभी स्वीकृति नहीं दी है।

कृषि फार्म

*३८--श्री रघुवीर--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सन् १९४८ ई० में ११ कृषि फार्मों को मिला कर एक विभाग की स्थापना की गयी और उसका नाम यन्त्र सज्जित राजकीय कृषि क्षेत्र रखा गया था ? यदि हां, तो वह ११ अलग-अलग कौन-कौन से और किस-किस चीज के फार्म हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां। फार्मों के नाम संलग्न तालिका "क" में दिये हैं। यह सभी फार्म मिश्रित फार्म हैं। जहां उन्नत कृषि बीज का उत्पादन तथा उन्नतिशील नस्ल के पशुओं का पालन होता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२७-२२८ पर)

*३९--श्री रघुवीर--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८ ई० से १९६४ तक इन फार्मों पर अलग-अलग सनों में कितने-कितने रुपयों का घाटा हुआ है और घाटा होने के मुख्य-मुख्य क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सन् १९४८-४९ से १९६२-६३ तक प्रयेक वर्ष में जितने रुपये का घाटा हुआ वह संलग्न तालिका 'ख' में दिया है। घाटे के मुख्य २ कारण संलग्न तालिका 'ग' में दिये हैं।

श्री रघुवीर--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तालिका इसके साथ दी है उसमें आठवां उत्तर दिया है कि प्रारम्भ में जो कृषि यंत्र फार्मों को दिये गये उनमें से बहुत से अप्रयोगशील थे तो जो अप्रयोगशील थे वे कितनी धनराशि के थे और खरीदने से पहले ही उनको क्यों नहीं देखा गया कि वह काम करेंगे या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह जो यंत्र खरीदे गये वे ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन ने शुरू में खरीदे थे उनके टेस्टिंग के बारे में अगर वह नोटिस देंगे तो जानकारी कर ली जायगी।

श्री रघुवीर--

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस इंजीनियर द्वारा यह यंत्र पास किये गये थे कि इनको खरीदा जाय और वह बेकार थे तो उस इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता, अब तो वह डिस्पोज आफ हो गये हैं।

श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सब फार्म विकास फार्म नहीं हैं और इन सब पर मिलाकर १ करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है तो क्या सरकार इनको खत्म करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वास्तव में इन फार्म्स पर घाटा नहीं है, इस फार्म्स का जो बैलेन्सशीट तैयार होता है उसमें डिप्रिसियेशन चार्जेज, इस्टैब्लिशमेंट और ब्याज आदि सब चीजें शामिल की जाती हैं, अगर उनको घटा दिया जाय तो घाटे का प्रश्न नहीं होता।

कृषि रक्षा विभाग के कर्मचारी

*४०---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग में कितने-कितने राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी तथा लिपिक हैं और १९६३-६४ में सरकार ने इस विभाग पर कितना व्यय किया ?

श्री चरणसिंह---

कृषि रक्षा (प्लान्ट प्रोटेक्शन) विभाग में ४ राजपत्रित अधिकारी, २०४ अराजपत्रित अधिकारी तथा ५८ लिपिक हैं। सन् १९६३-६४ में इस विभाग में कुल २९, १२, ४०९ रुपये व्यय हुए।

*४१---श्री विजयसिंह---

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले में खाद्यान्न दूकानों की व्यवस्था

*४२---श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरकारी सस्ते गल्ले व शकर की दूकानों के लूटने तथा चोरबाजारी से शकर व गल्ले के बेचने की जो घटनाएं हुई हैं उन पर सी० आई० डी० पुलिस द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिला रायबरेली में सरकारी सस्ते गल्ले व शकर की दूकानों के लूटने तथा चोरबाजारी से शकर व गल्ले के बेचने की कोई घटनाएं नहीं हुई है। अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

करनैलगंज नगरपालिका में सी० पी० टैक्स लगाने की शिकायत

*४३---श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ३१ दिसम्बर, १९६३ के बीच करनैलगंज, नगरपालिका जिला गोंडा में सी० पी० टैक्स लगाने में बरती गयी धांधली के संबंध में श्री गिरजाशंकर रस्तोगी आदि का कोई पत्र मिला है ?

नोटः---तारांकित प्रश्न ३९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां ।

*४४---श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)---

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस संबंध में सरकार द्वारा नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

आयुक्त फैजाबाद मंडल की ओर से अध्यक्ष, नगरपालिका, करनैलगंज, को लिखा जा रहा है कि वे कर दाताओं की आर्थिक स्थिति को देख कर सी० पी० टैक्स को कर निर्धारण सची में उचित संशोधन करें ।

कानपुर में गन्दी बस्ती निपातन योजना

*४५---श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर महापालिका ने किन-किन गन्दी बस्तियों को लेने का निश्चय किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

कानपुर नगर महापालिका ने गन्दी बस्ती निपातन योजना (Slum Clearance Scheme) के अन्तर्गत हाता फहीमुन्नीन, ग्वाल टोली, रत्तू पुरवा, मतैया पुरवा, नया पुरवा, हाता फखरुद्दीन, हाता गनेशी लाल, हाता सोहन लाल, हाता रामचरन, हाता नं० ८९/१ व ८९/३ पैंचबाग दलेल पुरवा तथा काकादेव का कुछ भाग लेने का निश्चय किया है और गन्दी बस्ती सुधार योजना (Slum Improvement Scheme) के अन्तर्गत हरजेन्द्र नगर, नारायनपुरवा, शुजातगंज बाबू पुरवा, बगाही, पारम्पुरवा तथा गोविन्द नगर में सुधार कार्य करने का निश्चय किया है ।

*४६---श्रीमती सुशीला रोहतगी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितनी गन्दी बस्तियों पर कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित हाता सोहन लाल, हाता रामचरन, हाता नं० ८९/१ व ८९/३ पैंचबाग दलेल पुरवा तथा हाता फखरुद्दीन का भाग छोड़कर सभी गन्दी बस्तियों में कार्य आरम्भ हो चुका है ।

सम्भल में खाद्यान्न स्थिति

*४७---श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के नगर सम्भल में अनाज की महंगाई से स्थिति नितान्त खराब है और दिनांक १९ फरवरी, बुधवार, को सम्भल के मोहल्ला सरायतरीन में कुछ लोगों ने एक परचून की दूकान लूट ली और ग्राम से आती हुई एक बाजरे की गाड़ी भी लूट ली ? यदि यह सत्य है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं । मोहल्ला सरायतरीन में १९ फरवरी, को कोई परचून की दुकान या गल्ले की गाड़ी लूटे जाने की घटना नहीं हुई ।

कानपुर महापालिका चुनाव क्षेत्र

*४८—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका कानपुर के अन्तर्गत क्या चुनाव क्षेत्र परिवर्तन की योजना सरकार के बिचाराधीन है ? यदि हां, तो चुनाव क्षत्र का निर्धारण कब तक हो जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

महापालिका के अन्तर्गत चुनाव क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया जाय या नहीं, यह प्रश्न न केवल कानपुर महापालिका के संबंध में, बल्कि पांचों महापालिकाओं के संबंध में शासन के बिचाराधीन है । उक्त प्रश्न पर निर्णय हो जाने के पश्चात् ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि चुनाव क्षत्रों का निर्धारण कब तक हो जायगा ।

सीमेंट तथा कोयले का कोटा

*४९—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के प्रत्येक जिले की जन-संख्या के हिसाब से अलग-अलग निम्नलिखित सामानों का हर जिले का मासिक कोटा क्या है—

(१) लोहा, (२) कोयला, (३) सीमेंट, (४) करकट, (५) गेहूं तथा (६) चावल ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लोहा, करकट, गेहूं तथा चावल का कोई जिलेवार मासिक कोटा निर्धारित नहीं है ।

अन्य वस्तुओं का औसत मासिक जिलेवार कोटा संलग्न सूची में अंकित है ।

कोयले के कोटे का निर्धारण जन-संख्या के आधार पर नहीं वरन् वस्तु की उपलब्धि तथा उसकी मांग को दृष्टि में रखकर किया जाता है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ पर २२९-२३० पर)

वन विभाग के पूर्वी वृत्त का पुनर्निर्माण तथा ठेकेदारों से लेट फीस

*५०—सरदार बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग के पूर्वी वृत्त कन्जरवेटर का आफिस नैनीताल में है जब कि उसका क्षेत्र लखनऊ से मिला हुआ है ? जनता की सुविधा एवं सरकारी खर्च में कमी करने के लिये क्या सरकार लखनऊ में कार्यालय करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । पूर्वी वृत्त का पुनर्निर्माण और उसके हेडक्वार्टर का स्थानांतरण उसके क्षेत्र में ही करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस संबंध में निर्णय जल्दी ही हो जायगा ।

*५१—सरदार बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के सभी जंगल ठेकेदारों का माल आपत्तिकालीन स्थिति की वजह से १९६३-६४ में रोक दिया गया था जिसकी वजह से गवर्नमेन्ट का मतालबा पूरा नहीं हुआ और उसकी वजह से लेट फीस लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---

जी हां, आपत्तिकालीन स्थिति के कारण दिसम्बर सन्, १९६२ में सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के आधीन उत्तर प्रदेश फारेस्ट प्रोड्यूज (मूवमेन्ट एन्ड प्राइस) केन्ट्रोल आर्डर, १९६२ लगाया था जिससे ठेकेदारों की लकड़ी के बिकने में रोक थाम लगा दी गई। यह कि इस आदेश के कारण ही ठेकेदार ठीक समय पर मुतालबा नहीं दे सके और क्या ठीक समय पर मुतालबा नहीं दे सके और क्या ठीक समय पर मुतालबा न देने की वजह से लेट फीस माफ कर दी जाय, यह सरकार के बिचाराधीन है।

रामनगर में सस्ते गल्ले की दूकानें

*५२---श्री गिरजा प्रसाद---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया रामनगर तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कौन-कौन सी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें कब-कब खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

टाउन एरिया रामनगर, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में श्री गयाप्रसाद की दूकान जनवरी २४, १९६४ को तथा सर्व श्री पाटन दीन शम्भू लाल की दूकान फरवरी, २४, १९६४ को खोली गई।

*५३---श्री गिरजा प्रसाद---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दूकानों को प्रारम्भ से १२ फरवरी, १९६४ तक कब-कब कितने--कितने मूल्य का अनाज वितरणार्थ दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३१ पर)

*५४---श्री गिरजाप्रसाद---

क्या उपरोक्त दूकानों से अनाज वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उपर्युक्त दोनों दूकानों में से केवल श्री गया प्रसाद की दुकान के विरुद्ध जनता को ठीक प्रकार से अनाज वितरण न करने तथा समय पर दूकान न खोलने के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों के के पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच की गई, किन्तु उक्त शिकायत निर्मूल सिद्ध हुई।

एग्रीकलचर आफिसर, बरेली

*५५-श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कौन एग्रीकल्चर आफिसर ऐसे हैं जो उस जिले में पांच साल या इससे अधिक से काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---

कोई नहीं।

*५६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

एग्रीकल्चर आफिसर बरेली ने इस जिले में किस तारीख को चार्ज लिया, क्या एग्रीकल्चर आफिसर टूर डायरी मेंटेन करते हैं ? यदि हां, तो उसका अप्रूवल किससे लेते हैं और कब ?

श्री चरणसिंह—

जिला कृषि अधिकारी, बरेली ने दिनांक १० जुलाई, १९५९ को चार्ज लिया था। जिला कृषि अधिकारी टूर डायरी मेन्टेन करते हैं, किन्तु इसके अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती।

*५७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, बरेली ने अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ तक किन-किन सीड स्टोरों का कब-कब मुआयना किया कितने-कितने दिन नाइट हाल्ट लिया तथा हर माह में कितना-कितना टी० ए० चार्ज किया ?

श्री चरणसिंह—

सूचना †तालिका "क" तथा "ख" में दी हुई है।

खाद्यान्न की दूकान देने के नियम, तथा दहियावां में सस्ते गल्ले की दूकान

*५८—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी तथा सस्ते गल्ले की दूकानों के लाइसेंस देने के क्या नियम हैं ? क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले की तहसील सोरगांव ग्राम दहियांवां में लाल मोहम्मद को तीन दूकानें गल्ले तथा चीनी की अलग-अलग नाम से दहियांवां, कमईपुर तथा बिहरे में दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी की दूकानों के लाइसेंस देने के जो नियम हैं वह माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची में अंकित है। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर नहीं में है। सर्वश्री लाल मोहम्मद तथा अब्दुल रज्जाक की नियुक्ति क्रमशः दहियावां तथा कमई में हुई थी। बिहरे में श्री मनीराम की नियुक्ति हुई थी। उनके त्याग पत्र देने पर सहकारी समिति कस्तुपुर की नियुक्ति हुई है। श्री लाल मोहम्मद ने भी गत मास में त्याग पत्र दे दिया है। वर्तमान समय में श्री लाल मोहम्मद के नाम से कोई दूकान नहीं है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २३२-२३३ पर)

स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, कानपुर की मांगें

*५९—श्री सुंतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या ३७८ दिनांक १० जनवरी, १९६४ को राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा है जिसमें महापालिका के कर्मचारी संघ की ३३ मांगें प्रस्तुत की गई हैं ? यदि हां, तो उन मांगों का विवरण क्या है और सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कानपुर नगरमहापालिका का ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के पास नहीं आया है। मुख्य नगर अधिकारी कानपुर के पत्र संख्या ३७८/के ५ (ए) क, दिनांक १० जनवरी, १९६४ के साथ स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ की केवल १३ मांगे शासन के आदेशार्थ प्राप्त हुई हैं। उन मांगों का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख संलग्न † तालिका में दिया गया है।

---

†छापी नहीं गई।

*६०—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

*६१-६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[११ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये]

गाजीपुर जेलर के विरुद्ध शिकायत

*६३—श्री श्रिलमिट राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुवीर तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ फरवरी, १९६४ को गाजीपुर जेलर के विरुद्ध आई० जी० जेल तथा सरकार के पास एक प्रार्थना पत्र आया है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या शिकायतें की गयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । एक ही प्रार्थना-पत्र की प्रतियां आई हैं । उसमें की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३४ पर)

*६४—श्री श्रिलमिट राम, श्री रघुवीर तथा श्री रघुनाथ—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल गाजीपुर के हर बैरक में बिजली तथा क्या पंखा लगाने की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रोशनी के लिये बिजली लगाने की योजना है ।

घाटे वाले कृषि फार्म

*६५—श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने सरकारी कृषि फार्मों में घाटा है उन कृषि फार्मों की भूमि को कृषि श्रमिकों में वितरण करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

सरसों को माहू कीड़े से बचाने का कार्य

*६६—श्री भोलालाल (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात की सूचना है कि इस वर्ष सरसों की फसल में एक माहुनाम का कीड़ा लग गया जिससे सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने उस कीड़े को नष्ट करने के लिये क्या-क्या उपाय किये और भविष्य में सरसों की फसल को इस रोग से बचाने के लिये क्या उपाय विभाग द्वारा किये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । प्रादेशीय कृषि रक्षा सेवा द्वारा सरसों की फसल पर माहू नाम के कीड़े की रोकथाम का कार्य ४४ जिलों में ४६१२.५७ एकड़ पर राज सहायित दर पर, तथा १२ जिलों में १४२९ एकड़ पर बिना किसी शुल्क के, किया गया । इसके अतिरिक्त किसानों को इस कीड़े की रोकथाम के उपाय एवम् उपयोगिता बताने के लिये १९ जिलों के २९ एकड़ क्षेत्र में ६१ निःशुल्क प्रदर्शन भी किये गये :

भविष्य में और अधिक प्रदर्शन कर किसानों को निवारण कार्य की उपयोगिता के प्रति जागरूक किया जायगा जिससे वे कृषि रक्षा सेवा से मिलने वाली सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें ।

मोहनलालगंज क्षेत्र में तकावी की वसूली

*६७—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र, मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ में वर्तमान रबी की फसल के लिए जो तकावी खाद के लिए दी गयी थी, उसकी वसूली के लिए क्या यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त तकावी की वसूली वर्तमान रबी की फसल के कट जाने के बाद होगी ? यदि हां, तो इस समय उसकी वसूली क्यों की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

तकावी की वसूली के सम्बन्ध में यह स्थायी (Standing) आदेश है कि रबी व खरीफ की फसलों के लिये जो तकावी दी जाती है उस की वसूली फसल के कटते समय होनी चाहिये, इस आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है और न इस नियम के विरुद्ध वसूली ही की जा रही है ।

*६८—श्री मेड़ीलाल—

क्या सरकार पाले एवं ओलों से रबी की फसल नष्ट हो जाने से उक्त तकावी को माफ करने पर कोई विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

आगरा महापालिका में बेलदारों का वेतन

*६९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा महापालिका ने सन् १९६३-६४ में अपने यहां के पी० डब्लू० डी० बेलदारों का वेतन बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर के सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसा कोई प्रस्ताव आगरा महापालिका ने १९६३–६४ में नहीं भेजा । इस सम्बन्ध का प्रस्ताव नवम्बर सन १९६२ में प्राप्त हुआ था। नगर महापालिका सेवा आज्ञा, १९६३ में संशोधन करके रोड बेल्दारों के लिए ३०–१ १/२–४५ रु० का वेतन क्रम स्वीकृत कर दिया गया है। यह वेतन क्रम, सेवा आज्ञा १९६३ के अधीन सृजित रोड बेल्दार के पदों पर नियुक्ति होने के दिनांक से देय होगा ।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में कुओं का निर्माण

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ५७ गांव, मिर्जापुर जिले में हैं उन ग्रामों में पानी पीने के लिए कुयें बनाने के लिए फी कुवें के लिये जनता से कितना अंशदान लेना है और उसके मिलने की आशा कब तक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस योजना के अन्तर्गत बनने वाले प्रत्येक कुयें की लागत उसकी गहराई तथा स्थिति के अनुसार अलग-अलग होगी। अंशदान की राशि प्रति कुआं १२७ रु० से ८७० रुपये तक होगी। ग्राम वासियों से अंशदान प्राप्त होने की आशा बहुत कम है।

आजमगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

२—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार दिनांक २५ फरवरी, सन् १९६४ के प्रश्न सं० १३, १४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि १७२ न्याय पंचायतों में जिनमें सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं खोली गयी थीं उनमें किन-किन न्याय पंचायतों के किन-किन गांवों में कब-कब दूकानें खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २३५ पर)

३—श्री दौलतलाल—

कनेरी न्याय पंचायत और पूक न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दूकानें किन-किन गांवों में खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कनेरी और पूक न्याय पंचायत में केवल एक-एक सस्ते गल्ले की दूकान चल रही है। पूक न्याय पंचायत की दूकान पूक ग्राम में चल रही है, किन्तु कनेरी की दुकान फूलपुर में चल रही है। दूकानदार को आदेश दे दिया गया है कि वह अपनी दूकान कनेरी न्याय पंचायत में ले जाय।

४—श्री दौलतलाल—

कनेरी न्याय पंचायत के मोरभऊ और पूक न्याय पंचायत के बखरा गांव में सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुआ है और जो आदेश दिया गया था उसका आधार क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। चूंकि इन दोनों न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकानें पहले से चल रही थीं, इसलिये अतिरिक्त दूकानें मंजूर नहीं की गई।

बदायूं जिले में चीनी वितरण

५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में शक्कर आदि वितरण के लिए जिन लोगों को कोटा दिया गया है उनमें ऐसे लोग कौन-कौन हैं जो किसी ग्राम सभा के प्रधान या ब्लाक प्रमुख हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन ग्राम सभा के प्रधानों या ब्लाक प्रमुखों को शक्कर आदि वितरण के लिये कोटे दिये गये हैं उनके नामों की सूची† संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

आजमगढ़ जिले को लोहा व सीमेंट का कोटा

६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में लोहा, कोयला, सीमेंट, कपड़ा आदि चालू वित्तीय वर्ष, में टनों में कितना-कितना दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आजमगढ़ जिले को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के प्रश्न में उल्लिखित वस्तुयें, जिस मात्रा में दी गयीं, उसकी सूचना निम्नलिखित है--

लोहा--		
सफेद नाली दार चद्दरें	..	११.१४ मैट्रिक टन।
सफेद सादी चद्दरें	..	११.०७ मैट्रिक टन।
सीमेंट--	..	६,५५४ मैट्रिक टन।
कोयला चूर	..	९,०७१.१ मैट्रिक टन।
साफ्ट कोक	..	२,७५६.७ मैट्रिक टन।
स्टीम कोल	..	२०४.७ मैट्रिक टन।

७--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सामान आजमगढ़ जिलें में किस आधार पर इतना कम दिया जा रहा है और क्या उसे बढ़ाने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा कितना कितना ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

समस्त जिलों की तुलनात्मक आवश्यकता और केन्द्र द्वारा दिये गये कोटे के आधार पर जिला का कोटा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान कोटे को बढ़ाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पूर्ति कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे कि जिले के कितने हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन सीमेंट न मिलने के कारण नहीं बन रहे हैं और विभाग द्वारा सीमेंट कार्ड बना हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे हायर सेकन्डरी स्कूलों के भवनों की संख्या, जो सीमेंट न मिलने के कारण नहीं बन रहे हैं और विभाग द्वारा सीमेंट कार्ड बना हुआ है, १८ हैं।

पंडिला ग्राम में सस्ते गल्ले की दूकान

९--श्री मेवालाल जायसवाल--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के सोरांव तहसील के पंडिला ग्राम में सरकारी गल्ले की दूकानें कितनी खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इलाहाबाद जिले के सोरांव तहसील के पंडिला ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की केवल एक दूकान श्री लाल गिर के नाम से खोली गई।

१०-१२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री गनेशीलाल चौधरी---

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बुन्देलखंड में फलदार वृक्ष

१३---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड में कौन-कौन से वृक्ष फलदार माने गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

साधारणतया जो वृक्ष अन्य स्थानों में फलदार माने गये हैं वही बुन्देलखंड में भी फलदार वृक्ष माने जाते हैं । बुन्देलखंड में बेर, अमरूद, शरीफा, पपीता, बेल, आंवला, संतरा आदि फलों के वृक्ष सरलता और अधिकता से होते हैं । इनके अलावा उचित परिस्थितियों में कहीं-कहीं अन्य फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, करौंदा और नींबू के भी पेड़ लगाये जाते हैं ।

---

१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति (क्रमागत)

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ११६ की तरफ दिलाना चाहता हूं । जिस समय उस दिन बहस चल रही थी ....

श्री अध्यक्ष---

आप क्या प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

अधिष्ठाता महोदय जो उस समय पीठासीन थे, वह सदन स्थगित करके चले गये ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने उठाया है ।

एक सदस्य---

श्रीमन्, सदन में गरमी बहुत है, कृपा कर कूलर्स खुलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

अभी पुछवाता हूं । हम लोग तो भारत के रहने वाले हैं ।

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, जो आपने ३ पत्र लिखे हैं वह मैंने पढ़े नहीं हैं । मैं उनको देख लूं ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---

मैं समझता था कि जिस समय सदन एकदम तत्काल स्थगित किया गया था तो आपने जानकारी की होगी कि साढे पांच बजे सदन बन्द होना चाहिये था तो एकदम ढाई बजे क्यों बन्द हो गया । उसमें दो प्रश्न विशेष रूप से निहित हैं । एक तो यह कि पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष पर विश्वास उठ जाय और आप उतने ही जिम्मेदार हैं उस नामांकित अधिकारी के जितने स्वयं आप अपने लिये हैं । तो अगर उस अधिकारी की ओर से कोई गलत बात हुई है तो आपको उसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिये । सारे विरोधी पक्ष की शिकायत है कि पीठासीन

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

अधिकारी ने हमारे साथ ज्यादती की है। तो हम लोगों को विश्वास ही क्या रहेगा अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जायगा।

अगर आप आज्ञा दें तो मैं विस्तार में बता दूं। आप कार्यवाही मंगा लें और देख लें कि केवल व्यवधान पर सदन उठ गया। अगर विरोधी पक्ष के लोग वोट की मांग करते हैं तो सदन उठ जाता है। कहीं इतनी सी बात पर सदन उठता है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं बता दूं, इन सब पत्रों और कार्यवाहियों को पढ़ूंगा। मेरे पास जो कार्यवृत आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। पूरी कार्यवाही देख कर इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कुछ और है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां। कार्यवाही क्या हुई उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सूक्ष्म व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। जब पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया तो पीठासीन अधिकारी को सिवाय वोट लेने के और कोई दूसरा काम नहीं था। आप नियम ११६ को देखें अगर प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रश्न सरकारी पक्ष की तरफ से उठाया जाय तो नियम ११६ में साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाउस आफ कामन्स में है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से प्रश्न उठाया जायगा और स्पीकर समझते हैं कि यह बहस करने के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रूल आउट कर सकता है, लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से उठाया जाय कि प्रश्न प्रस्तुत किया जाय तो उस पर पीठासीन अधिकारी कार्यवाही करे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उस समय पीठासीन अधिकारी ने ऐसा नहीं किया और वोट लेने के बजाय सदन को स्थगित कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी बेंचेज और अध्यक्ष में ताकत नहीं है इस सदन को चलाने की और सदन का वैधानिक गठन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस सम्बन्ध में कार्यवाही देख लूं, तभी बताऊंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

कार्यवाही तत्काल वहीं से प्रारम्भ होनी है। हम कहते हैं कि सरकार उस बिल पर हार चुकी है और आप कहेंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष--

जब कार्यवाही शुरू होगी तो आप कह लीजिए।

श्री केशवसिंह के मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ८ मई, १९६४ को न्यायालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, एक बात यह है कि ८ मई, १९६४ को उपस्थित होने का जो नोटिस हाईकोर्ट से मिला है, यह किस प्रकार का नोटिस था ?

श्री अध्यक्ष—

जिस मंडल का मैंने निर्माण किया है इस मुकदमे के सम्बध में, उनको आज बुला रहा हूं माननीय नेता विरोधी दलों को बुला रहा हूं और जिन्होंने विशेषाधिकार की सूचनाएं दी थीं, उनको भी बुला रहा हूं ताकि मैं उन सबको सारी कार्यवाही से अवगत करा दूं। ८ मई का, जिस नोटिस का माननीय कमलासिंह जी उल्लेख कर रहे हैं, उस सम्बध में मुझे आज सूचना मिल गयी है कि वे नोटिस गल्ती से जारी हुये और अब उनकी कार्यवाही स्थगित हो गयी है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपने जो पैनल बनाया है उसमें सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। हम जो मत रखते हैं उसकी कोई ख्याति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

हम आपका स्वागत करेंगे, आप आयें। मैंने उस दिन कहा था कि ये ८ व्यक्ति, जिनको मंडल में रखा गया है, वकील हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त, जो भी आदरणीय सदस्य उससे भाग लेना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय काशीनाथ एक बहुत प्रमुख वकील हैं। अगर यही विशेषता होती तो फिर यह देखते कि वे क्रिमिनल लाइयर हैं या सिविल लाइयर।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार की बहस करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता था कि ये एफ वकील हैं।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह जो ८ मई को हाई कोर्ट के सामने हाजिर होने का नोटिस है, इसके सम्बन्ध में आपने कोई इन्टर व्यू नेशनल हेरल्ड को दिया था जो उन्होंने २६ अप्रैल के पत्र में छापा जिसका हेडिंग है:

"Speaker hopes Court will stay its hands. Serving of notices may be due to oversight."

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस इण्टरव्यू की बात को पढ़ने से २ चीजें मुझे महसूस हुईं। एक तो यह कि आपने अपनी तरफ से जो यह फरमाया कि शायद ओवरसाइट से नोटिस इशू हो गये तो वह कौन सा बेसिस था जिस पर यह आपने ऐण्टीसीपेट किया कि ये नोटिस ओवरसाइट से इशू हो गये हैं। यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि हाईकोर्ट के माननीय जजेज, जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, यह हमें सोचना है कि कैसे ओवर साइट से यह बात हो गयी। मुझे खुशी है कि नोटिस खत्म कर दिये हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐपोलिजिटिक और ह्यूमिलेटिंग टोन दिखाया इंटरव्यू में। मेम्बर साहबानों के बारे में भी कहा गया। कुछ चीजें जो मेम्बर साहबान के बारे में कही गयीं उन से मुझे तकलीफ हुई। हाउस के डिस्कशन के बारे में जो रिमार्कस कहे गये उनका कोई स्थान वहां नहीं था और जो कुछ बातें उस में छपी हैं मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि उनको मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने पढ़ ली हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

मैंने नहीं पढ़ी है ।

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, आपने उस में फरमाया है कि :

"The second important factor is that we should not judge institutions by the members consituting them. The members of the House might not be gifted at a particular time. I may not be an intellectual. If they are not gifted today, intellectuals might come in the House in the next generation.

The question is not of individuals but of institutions. We may be useless people, but society cannot look us, with contempt. My feeling is that if people respect us. we night be elevated rather than that we were abused all the time."

ये कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिनके लिये वह स्थान नहीं था । इन रिमार्क्स की किस कांटेक्स्ट में जरूरत पड़ी ? (व्यवधान) चूंकि ये रिमार्क्स मेम्बर से सम्बधित हैं इसलिये मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो कुछ सदन में हुआ आपने उस कांटेक्स्ट में कहा । आपने कहा कि उसमें गल्ती हुई क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं थे । योग्य व्यक्ति होते तो कदाचित् इससे बेहतर राय सामने आती । माननीय सदस्यों के ऊपर यह एक एसपर्शन आ गया ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—

अब आप पहले मुझे सुन लें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

पहले सब माननीय सदस्यों के विचार आप सुन लें तब आप उन सबका एक बार में ही जवाब दे दीजियेगा ।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय नवलकिशोर जी, इस सदन की गरिमा, जो आपके द्वारा ही बनायी जा सकती है, जो हमारे द्वारा बनायी जा सकती है, इस प्रकार की बातें कह कर गिरा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई भाष्य सदन के समक्ष ही करना चाहिये, आपने अन्यत्र क्यों किया ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

नवल किशोर जी ने जो कहा है उसे हिंदी में अनुवाद करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसकी हिन्दी कर दूंगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

नवल किशोर जी से ही करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

नवल किशोर जी, आप हिन्दी में बतला दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

जिन वाक्यों को मैंने पढ़ा है उनका अर्थ यह है कि दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण फैक्टर यह है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं ही हिन्दी कर दूं। अगर कहीं गलत होगा तो उसे नवलकिशोर जी दुरुस्त कर देंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

कोई माननीय सदस्य अगर अंग्रेजी में कोई उद्धरण करें तो वे माननीय सदस्य ही उसका ट्रांसलेशन करें, आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर मैं सदन के लाभ के लिये कुछ कर दूं तो उसमें कुछ नाराजगी नहीं होनी चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो आप पढ़ रहे हैं यह वही चीज है ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, उन्हीं से लिया है।

"दूसरी विशेषता यह है कि हमें संस्थाओं का मूल्यांकन उन सदस्यों से नहीं करना चाहिये अपितु उन संस्थाओं के महत्व से करना चाहिये। हो सकता है कि एक समय ऐसी संस्था के सदस्य उतने योग्य न हों जितने कि दूसरे अवसर पर हो सकते हों। मैं बुद्धि की दृष्टि से बहुत बड़ा न होऊं लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस के बाद कुछ अधिक बुद्धिमान व्यक्ति आ सकते हैं। प्रश्न व्यक्तियों का नहीं है परन्तु संस्थाओं के मूल्यांकन का है।"
इतना ही पढ़ा था न आपने ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने इसे स्वयं पढ़ा तो मुझे बडा दुःख हुआ। तो अगर आपको दुःख हुआ तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब मुझे खेद हुआ तो आपको मुझसे अधिक खेद होना स्वाभाविक है। जिस प्रसंग में और जिस तारतम्य में बात हुई वह इस प्रकाशन में टूट गया। इसी के सम्बन्ध में "पायनियर" में भी मेरा वक्तव्य निकला। जितना मेरा वक्तव्य प्रेस के लिये था वह उसमें ठीक निकला। उस वक्तव्य के बाद एक बात छिड़ी। तो जिस प्रसंग और तारतम्य में वह बात हुई, वह उसी तरह से इस प्रकाशन में न आकर दूसरे तरीके से आयी। परिणाम यह हुआ कि जिस तरीके से बात छपी खेदजनक रूप में हुई। मुझे खेद है कि इस तरीके से छपी और आपको इतनी तकलीफ हुई। जब मैंने उसे देखा तो उसका स्पष्टीकरण मैंने उसी समय दे दिया था, जो प्रसंग और तारतम्य था वह यह था कि "पायनियर" में एक अग्रलेख छपा था 'डेलही कालिंग', यानी दिल्ली की पुकार। उसमें उन्होंने कुछ राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्ध में कुछ कहा था। उस अग्रलेख में उन्होंने 'मेकेन' एक अमरीका के लेखक हैं उनकी पुस्तक में से कुछ उद्धरण दिये थे, जिससे राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर बहुत ही विशेष

[श्री अध्यक्ष]

और विषम कटाक्ष किया गया था। तो मेरे दिमाग में जो बात थी वह यह थी कि समाचार पत्रों के लिये यह उचित नहीं है कि वे राजनीति में भाग लेने वालों पर सदैव प्रहार किया करें। राजनीतिक व्यक्ति भी कुछ बलिदान करके यहां डेढ़, दो लाख जनता के प्रतिनिधि हो कर आते हैं। उनका उत्तरदायित्व होता है। उस उत्तरदायित्व को समझ कर अपनी बुद्धि के अनुसार सेवा करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री उग्रसेन—

हम लोग तो काफी सक्षम हैं अपना मूल्यांकन करने के लिये, आपने यह जहमत क्यों गवारा की ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। जब यह बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि यह शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रहार होता रहे और हमारे बारे में इस तरह की चर्चा हो। आप लोग ब्रोंड हेड लाइन्स के लिये करते रहें। यह सारी बातें उस समय हुईं जब मेरा वक्तव्य समाप्त हो चुका था और वह वक्तव्य उस नोटिस के संबंध में था जो कि ८ मई, १९६४ के बारे में हमें मिला था। मैंने कह दिया था कि यह बात छापने की नहीं है। लेकिन "नेशनल हैराल्ड" के जो रिप्रेजेन्टेटिव थे, उन्होंने छाप दिया। जब मैंने इसको देखा, २६ तारीख को मैं यहां नहीं था, २७ तारीख को मैं आया तो मैंने उनको बुलाकर कहा कि यह गलत छप गया है। उन्होंने दूसरा प्रतिवाद छाप दिया जो कि मेरा मंशा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस रूप में यह छापा गया। उसका मुझे स्वयं खेद है।

*श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको स्वयं दुःख हुआ उसी तरह से मुझे और सदस्यों को भी दुःख होता है। आपने घोषणा की थी कि मैं सदन का सर्वेन्ट हूं। लेकिन आपने बिना सदन के एप्रूवल के केशवसिंह जी का वारंट वापस ले लिया। आप बम्बई चले गये और बयान दे गये कि हम बाहर के किसी लायर को नहीं बुलायेंगे और आपने माननीय सीरवाई जी को वकील कर लिया। जो आपने सदन के माननीय सदस्यों का एक पैनल बनाया है उसकी बात को भी आपने नहीं माना। जो कुछ भी सदन में हुआ, उसके बारे में सबको दुख हुआ क्योंकि सदन की मान मर्यादा के बारे में सबको खयाल है। एक तरफ तो आपने बयान दे दिया कि सदन में अच्छे इंटलेक्चुअल्स आयेंगे और क्लेरीफिकेशन दे दिया और दूसरे जब से सदन स्थगित हुआ और आज तक आपने जो कुछ किया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लोक सभा ने तय किया है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजेंगे। उसी तरह से हम भी तय करें कि हम भी अपना रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजेंगे। अगर भेजेंगे तो बाहर से लायर के बुलाने की बात थी और आपने कहा था कि समिति जो निर्णय लेगी उसके अनुसार करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आप इनको क्यों बुला रहे हैं ? हम चाहते हैं कि यह सदन स्वयं फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं ? सदन में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने क्या किया उसको बताने की कृपा करें। आपने केशवसिंह का वारंट वापस ले लिया ? अंत में अगर हमारा जुडीशियरी से कांफ्लिक्ट है तो जुडीशियल सर्विस का कोई आदमी यहां नहीं आना चाहिये क्योंकि हमें उनका विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसके संबंध में शाम को सारी बातें बता दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन---

आपने केशवसिंह का वारंट वापस ले लिया । विलायत से किसी लायर को नहीं बुला रहे हैं और आपने मनमाना बयान दे दिया, यह भी सही बात है, अब किस बात पर आप विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, आपने स्वयं लिखकर भेजा है और आपने बहुत से सवाल किये हैं, अगर मैंने आपकी बात मान ली । तो क्या बुरा किया ?

श्री उग्रसेन---

तो साफ-साफ कह दीजिये कि मैंने उग्रसेन की बात मान ली ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात नहीं है ।

मैं समझता हूं कि जो अब तक कार्यवाही हुई है वह समिति के निर्णय पर मैंने काम किया है और इसीलिये वह सब बातें मैं पहले सदन के सामने रख दूं । मैं समझ रहा हूं कि उस मंडल ने जो निर्णय किया है उसका मैं पालन कर रहा हूं । लेकिन वह भी शाम को बैठ कर तय कर सकते हैं और तय हो जायगा । अगर मैंने गलती की तो उसका निराकरण होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

अध्यक्ष महोदय, जब यह मामला आया था तो इसको प्रिविलेज कमेटी को न भेज कर सीधे हाउस में डिस्कस किया था इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा ने जो कहा है वही होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कल रखूंगा इस बात को ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

हाउस के दस बारह वकीलों को बिठा कर यह बात तय नहीं होनी चाहिये, यह बात हाउस में तय होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप कौन सी नई बात कह रहे हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

वही बात आपसे कह रहा हूं कि हाउस में यह बात तय होगी । आपने खाली वकीलों को बुलाया है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । मैंने वकीलों का सिर्फ अध्ययन मंडल बनाया है । मैंने प्रत्येक दल के नेता को बुलाया है और मैंने सभी उन महानुभावों को बुलाया है जिन्होंने नोटिस इस सम्बन्ध में दी है, मैं समझता हूं कि वह इंटरेस्टेड हे । उसके बाद देखा जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

नेता हों या वकील हों, जो यहां आये हैं अपने-अपने हल्के के वोट ले कर आये हैं । जिनको आप नेता समझते हैं उनमें बहुत से ऐसे सदस्य हैं कि नेता लोगों ने हमारे सदस्यों से कम वोट पाये हैं । आप हाउस में रखिये ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा-परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३८३-१०-९०२ (५६)-५६, दिनांक २५ मार्च, १९६४, को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उस पर हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

इसमें घोषणा है कि कर लगाना चाहते हैं । जब सदन सेशन में हो तो विज्ञप्ति में यह किसी तरह से नहीं आ सकता । यह कांस्टीट्युशन के विपरीत है । इस तरह से विज्ञप्ति में किस तरह से रख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं पढ़ लीजिये । वह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित (वित्त लेखा-परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति रख रहे हैं । आप नियम देख लीजिये । अगर आप समझते हैं कि अधिकार नहीं रहे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी को लिख भेजिये ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर-ए-एम-५७-१६७-टी-एम-३०, दिनांक ३१ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० फरवरी, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १० वां अधिनियम बन गया ।

---

*छापे नहीं गये ।

†छापी नहीं गई ।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १४ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १० अप्रैल, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ७ फरवरी, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १९ अप्रैल, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कई एक सूचनायें आयी थीं, उनमें से मैंने कोई भी स्वीकार नहीं की है । माननीय सदस्य उसको देख लेंगे । मैंने आदेश विस्तृत दे दिया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

इसमें एक माननीय राम आसरे वर्मा के बारे में था जो आदरणीय सदन के सदस्य हैं, उन पर कई बार घातक हमले किये गये, बन्दूक की गोलियां चलीं, जिसमें वह बाल बाल बचे, इसी संबंध में गिरिजाप्रसाद शुक्ल ने रखा था..... (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है । बार बार एस० पी० को लिखा गया लेकिन कुछ हुआ नहीं । तो कम से कम इनको सुन लें कि क्या इन पर बीतती है.....

श्री अध्यक्ष---

वह मुझसे पहले मिल लें । मैं इसका तरीका बता दूंगा लेकिन वह कार्यस्थगन का विषय नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, इससे पहले श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल मार डाले गये, उनकी रिवाल्वर छीन ली गई....(व्यवधान) मंत्री जी ने उलटा सीधा बयान दे दिया...(व्यवधान) तो कम से कम सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं कि आप आ जायं.....

श्री उग्रसेन---

आप हमको सदन में बतायें कि हम क्या करें...

श्री अध्यक्ष---

मुझसे आप यहां पूछते हैं तो मैं यहीं बतला सकता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपने जो दी है और जिस रूप में दी है, वह स्वीकार नहीं की जा सकती है । यह मेरा काम नहीं है कि मैं यहां बैठकर आपको राय बताऊं कि इसको किस तरह करिये । अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता करूं और नियमों के अन्तर्गत जो कुछ आपकी सेवा मुझसे हो सके, वह करूं, तो आप मुझसे मिल लें । (व्यवधान) अब आप बैठें ।

श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जीवनोपयोगी सामग्री अत्यधिक मूल्य पर प्राप्त होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत टम्बेश्वर प्रसाद जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है और माननीय उग्रसेन जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये । दोनों को सचिव पढ़कर सुना देते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

तो श्रीमन्, इस बारे में हम क्या करें ? इन्हीं के भाई अवधशरण वर्मा मार डाले गये, जिन्दा जला दिये गये, यह हालत है, तो आप हमें बताइये कि हम यहां रहें या चले जायं ? राय तो आप कमरे में देंगे । माननीय हरगोविन्द सिंह गृह मंत्री हैं, इनसे भी कहा, राज्यपाल महोदय से भी कहा, अब हम क्या करें, बताइये ? अगर आप यह कहें कि कमरे में बतायेंगे । तो मैं इन्तजार कर सकता हूं .....

श्री अध्यक्ष---

तो आप कमरे में जायं ।

सचिव, विधान सभा---

"विषय–नियम ५२

श्री सचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश,

महोदय,

बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर सरकारी घोषणा के बावजूद भी यात्री पहुंच रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप मार्ग में नित्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे आटा, चीनी, चाय, ईंधन का पूर्णतया अभाव है । मेरी निजी जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि रुपये का आधा सेर तक आटा तथा ५ रुपये किलो चीनी बिक रही है ।

महोदय, इस यात्रा के लिये केवल सम्पूर्ण भारत से ही नहीं वरन् विदेशों से भी धार्मिक जनता भारी संख्या में प्रति वर्ष आते हैं । मार्ग में सरकार द्वारा खाद्यान्नों तथा नित्य उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रबंध न कर पाने से यात्रिओं के सम्मुख घोर संकट पैदा हो गया है । सरकार की इस अकर्मण्यता से हजारों यात्रियों का जीवन संकट में है । इससे पूरी जनता में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त होकर क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था के लिये खतरा पैदा हो गया है ।

अस्तु आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

भवदीय,
टम्बेश्वरप्रसाद ।"

४ मई, १९६४ ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय परिवहन मंत्री, यह आपके विभाग का है या किसका है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

परिवहन विभाग से तो इसका ताल्लुक है नहीं । खाद्य के सिलसिले की बात है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय खाद्य मंत्री, आप कब वक्तव्य इसके ऊपर देंगे ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

वैसे तो बद्रीनाथ के पट खुलेंगे ९ तारीख को। तो यात्री अभी से कहां से चल पड़े ? मगर मैं सोमवार को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

११ तारीख को आप इस पर वक्तव्य दे दीजियेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह बद्रीनाथ की बात है । वहां से बहुत देर में डाक आती है । मैं सोमवार को इसके बारे में वक्तव्य दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

जालौन जिले की उरई नगरपालिका के अन्तर्गत महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा माननीय उग्रसेन जी का है । इसको भी सचिव पढ़ देंगे ।

सचिव, विधान सभा---

"जिला जालौन में उरई में नगरपालिका के अन्तर्गत महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई थी और जनता की मांग पर बार-बार उसका अनावरण इसलिये नहीं हो रहा था कि कोई मंत्री वहां उसका अनावरण करने के लिये नहीं पहुंच पा रहा था । जनता द्वारा नोटिस दी गई कि यदि उसका २८ अप्रैल, १९६४ तक अनावरण नहीं होगा तो जनता स्वयं अनावरण करेगी । इस नोटिस के बाद सरकारी अधिकारियों ने धारा १४४ लगा दिया । २८ अप्रैल, १९६४ को जनता ने मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति का अनावरण करने वाले और सभा में भाग लेने वाले सर्व-श्री गोविन्द नारायण तिवारी, एम० एल० सी०, बद्री प्रसाद पुरवार, श्यामसुन्दर, आनन्द भगवान, द्वारिका प्रसाद तरतवलिया एवं जमीपाल सिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में तरह-तरह की यातनायें दी गईं । इससे क्षेत्र एवं जिले की जनता में महान् क्षोभ का वातावरण व्याप्त है । यदि इस स्थिति का शीघ्र ही निराकरण न किया गया तो स्थिति भयंकर एवं विस्फोटक रूप ले सकती है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इस पर माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ? यह केवल वक्तव्य के लिये है ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इस पर मैं ८ तारीख को बयान दे दूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

एक विशेषाधिकार के लिये भी मैंने दिया था । उसको आप कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कल देखा जायगा ।

खाद्यान्न के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

खाद्यान्न के मूल्यों में असाधारण वृद्धि ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि खाद्यान्न व्यापारियों पर जो कि खाद्यान्न मूल्य वृद्धि के लिये मुख्यतः उत्तरदायी हैं, आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जायं ।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश, १९६४, भारत सरकार की अनुमति से एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अधीन जारी किया गया । भारत सरकार ने इस आदेश का एक आलेख नमूने के तौर पर सभी राज्य सरकारों को भेजा था । राज्य आदेश के अनुसार थोक व्यापारियों को १,००० रुपया तथा फुटकर व्यापारियों को २५० रुपये की जमानतें जमा करने का प्राविधान लगाया गया है ।

व्यापारियों की कुछ समितियों से ऐसे आवेदन-पत्र आये जिन में जमानत में कमी करने की प्रार्थना की गयी । इस पर सरकार ने यह निर्णय ले लिया है तथा आदेश जारी कर दिये हैं कि फुटकर व्यापारियों के लिये जमानत की धनराशि २५० से घटा कर ५० रुपया कर दी जाय ।

उक्त आदेश के अनुसार थोक व्यापारी केवल फुटकर व्यापारी को ही खाद्यान्न बेच सकता था जिसे संशोधित कर दिया गया है । अब एक व्यापारी को दूसरी मंडी के थोक व्यापारी के हाथ माल बेचने की आज्ञा इस शर्त के साथ दे दी गयी है कि वह माल दूसरी बार किसी थोक व्यापारी के हाथ नहीं बेचा जा सकेगा । हिसाब-किताब के रखने के संबंध में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया । लाइसेंसिंग आदेश के वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता । व्यापारी वर्ग की जो सही कठिनाइयां हैं उन पर सरकार सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार है । जो मुकदमें दायर हो चुके हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता । जहां तक भावों का प्रश्न है वह गिर रहे हैं और आगे और भी गिरेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें परचून व्यापारियों के लाभ का मार्जिन क्या रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

डेढ़ प्रतिशत कैश पर और दो प्रतिशत क्रेडिट पर ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

सरकार और लाइसेंस होल्डर के बीच जो शर्तें हैं उसमें एक शर्त यह है कि जिला सप्लाई अधिकारी जब चाहेगा, बिना कारण बतलाये लाइसेंस रद्द कर देगा और उसकी सुनवाई सरकार के पास होगी । तो ऐसी शर्त रखने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपभोक्ताओं को सही तरीके पर अन्न मिल सके इसके लिये सरकार ने प्रयत्न किया है । जितनी रियायतें इसके लिये हमने दी हैं उसके लिये तो कार्टून तक बना दिया गया कि हम व्यापारियों के सामने झुक गये, और आप कहते हैं कि और रियायतें दी जायं, यह क्या विचारधारा है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस लाइसेंसिंग आर्डर के लागू होने के बाद अन्न के भावों में कितनी कमी हुई ? मेरी सूचना तो यह है कि ५० परसेंट भाव इस बीच में बढ़ गये, क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कहा कि भाव गिर रहे हैं, लेकिन यह मानी हुई बात है कि कुछ व्यापारी अन्न ले नहीं रहे हैं और इस काम में रुकावट डाल रहे हैं । तो क्या आप उन्हें इस काम में मदद देना चाहते हैं ?

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

३२ रुपये मन गेहूं एक महीने पहले था, आज २५, २६ का भाव है । तो क्या सरकार काश्तकार के हित को ध्यान में रखते हुये भाव निश्चित करके स्वयं खरीदारी करेगी ताकि काश्तकार और गरीब तबके की मदद हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार तो हमेशा उचित भाव किसान के लिये चाहती है और उचित भाव पर ही वह अन्न उपभोक्ता को दिलाना चाहती है और इसी दृष्टिकोण से सारे कानून आज बनाये जा रहे हैं । सीलिंग आफ फ्लोर प्राइस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया विचार कर रही है और वही उस पर निर्णय लेगी ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उचित का आधार क्या है, मंत्री जी कृपा कर बतला दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उचित का मतलब मैं यह समझता हूं कि जिससे आपको संतोष हो जाय कि हमारी व्हीट पालिसी ठीक है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने से पहले नियम बना रखा था और उन्हीं के आधार पर लाइसेंस दिये गये, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि नियमों में परिवर्तन करके लाइसेंसों में वृद्धि की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम असल में स्टाक पोजीशन को सही जानना चाहते हैं, इसलिये यह सब किया गया ।

श्री टम्केश्वरप्रसाद—

कहा गया कि परचून के व्यापारियों को लाभ का मार्जिन एक या डेढ़ प्रतिशत है, तो जो फुटकर व्यापारी १०-५ क्विंटिल रोज को हैंडिल करता ह उसको कितनी आमदनी इससे हो जायगी ? तो क्या मार्जिन बढ़ाने की कृपा करेंग ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह उनकी मांग थी। पहले तो आक्ट्राय और सेल्स टैक्स भी उसी में शामिल था, अब उसको कम कर दिया गया है, तो पहले से तो मार्जिन बढ़ ही गया।

श्री बलवानसिंह—

क्या सरकार कोई नीति अपनायेगी जिससे काश्तकार को इंसेंटिव हो। आप यह जो कहते हैं कि पाला और बरफ पड़ा लेकिन उचित मुआवजा न मिलने से वह ज्यादा पैदावार करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो इन चीजों का खयाल करके सरकार कोई उचित मुनाफा मुकर्रर करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप ही बतला दीजिये ?

श्री बलवानसिंह—

अगर २० रुपया मन गेहूं के दाम कर दें तो काश्तकार आपको दूना गेहूं देने के लिये तैयार हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम तो १९५९-६० के भाव पर ही ले आना चाहते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या उचित दाम का निर्णय करते समय किसान प्रतिनिधियों से भी सरकार संपर्क स्थापित करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम स्वयं किसानों के प्रतिनिधि हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि इधर चीनी, गेहूं आदि की फसलें पाले से काफी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और जो पहली फसल हो चुकी है उसके बाद यह महंगाई की हालत है। तो आगे जो और भी गल्ले की कीमतें गिरेंगी तो सरकार उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह जानकर सदन को खुशी होगी कि जहां पर चना १ हजार मन आया था, अबकी बार १३ हजार मन आया है और बम्पर क्राप है चने का और सब एक्सपोर्ट होता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह जो १० क्विंटल की छूट है जिस पर लाइसेंसिंग आर्डर लागू नहीं होगा, उसकी हद बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना जखीरेबाजी बढ़ेगी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

पिछले साल जो खाद्यान्नों के भाव थे और इस साल जो भाव है उनमें कितनी कमी या बेशी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले साल सस्ता था, इस साल ३ रुपया मन के करीब ज्यादा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो बम्पर क्राप क्या हो गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बनियों को जो आपने प्रोत्साहन दे दिया ।

श्री बलवानसिंह—

मंत्रीजी कहते है कि मैं भी काश्तकार हूं । तो क्या उनके पास कोई आंकड़े है कि एक एकड़गेहूं पैदा करने में कितना खर्चा काश्तकार का होता है ?

श्री अध्यक्ष—

क्वेश्चन का आब्जेक्ट यह नहीं है, क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिये ।

श्री बलवानसिंह—

अगर सरकार को किसानों से कोई पैदावार लेनी है तो गेहूं का भाव तय करने के लिये कोई डाटा है सरकार के पास ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं तो पहाड़ी किसान हूं, प्लेन्स के बारे में मैं कोई क्लेम तो नहीं कर सकता , मगर जो सरकारी फार्म हैं उनके आधार पर मैं यह कहता हूं कि करीब १२–१३ रुपये का खर्चा आता है । १४–१५ भी हो जाता है । इसमें एक दो रुपये का फर्क हो जाना स्वाभाविक ही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार का ध्यान एडीशनल सेक्रेटरी के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि खाद्यान्न हर साल घटता चला जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य भूल गये, अलग-अलग साल में बढ़ा है, सन् ५२ को बेस मानकर अभी भी बढ़ा है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

गेहूं इस साल कितना आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसका एराइवल तो सब कहीं छुपा है, चना ही इस समय बिक रहा है ।

कतिपय विषय

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

इसके पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । बिहार विधान सभा के स्पीकर ने यह डिक्लेयर किया है कि उनके यहां का सेप्रेट सेक्रेटेरिएट होगा । एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा । आपका ध्यान मैं २२ तारीख के टाइम्स आफ इन्डिया के ईसू की तरफ दिलाऊंगा । यह घोषणा वहां के स्पीकर की ही है , असेम्बली का कोई रिजोलूशन नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने संविधान के आर्टिकिल १८७ का हवाला दिया है। लोक सभा की तरह ही अब बिहार विधान सभा का भी सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगा । उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप इसको लिखकर दे देंगे तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन् १४ तारीख को हमारी पार्टी ने निर्विरोध पार्टी के नेता का चुनाव किया था और उसकी सूचना भी आपको दे दी गयी थी, मगर उसकी घोषणा यहां आपके द्वारा नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देख लूंगा, अगर आ गयी है तो घोषणा हो जायेगी।

सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व विधायक, श्री भगवतीप्रसाद वर्मा पर कस्बा फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कातिलाना हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, १०-४-६४ को श्री भगवती प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम सरसवां, पुलिस सर्किल फतेहपुर, जिला बाराबंकी शाम को सवा सात बजे कस्बा फतेहपुर से अपने ग्राम को वापस लौट रहे थे। वे साइकिल पर पीछे बैठे थे और साइकिल खखरा निवासी श्री भगवतीप्रसाद चला रहे थे। कस्बे से लगभग दो फर्लांग दूर रेलवे क्रासिंग के पास ३-४ आदमियों ने लाठी से श्री वर्मा तथा उनके साथी पर हमला कर दिया और श्री वर्मा का रिवाल्वर, जिसमें ६ गोलियां भरी थीं तथा साइकिल लेकर भाग गये। श्री वर्मा तथा उनके साथी दोनों को चोटें आयीं। श्री वर्मा ने उस दिन थाना फतेहपुर पर घटना की रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर एक मुकदमा ३९४ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया और श्री भगवती प्रसाद वर्मा तथा भगवती प्रसाद को फतेहपुर अस्पताल में उपचार के लिये भेज दिया गया। घटना के कुछ ही समय बाद अपराध अनुसंधान विभाग के दो कर्मचारी जो फतेहपुर से बाराबंकी जा रहे थे, घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बदमाशों का पता लगाने के लिये बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वे सफल नहीं हो सके।

अपराध की जांच हो रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक इस घटना से संबंधित अपराधियों के नाम ज्ञात नहीं हो सके है। न कोई गिरफ्तारी ही हुई है। अपराधियों का पता लगाने के लिये पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

२३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २४-२५ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

राज्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २३ मार्च, १९६४ को श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४-२५ के संबंध में श्री चन्द्रजीत यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "सरकार ने स्वर्णकारों की सहायता के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं, क्या सरकार इसकी रूप रेखा बताने की कृपा करेगी" ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मैंने मोटे तौर पर बता दिया है कि अभी कोई दो हफ्ते हुए उनकी एक बैठक में बता दिया गया है कि लोन जैसे औरों को ३ परसेंट पर मिलता है तो उन्हें ढाई परसेंट पर मिलेगा। हाई स्कूल तक बगैर फीस के, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट वाले पढ़ते हैं। ये भी पढ़ सकते हैं। जैसा उग्रसेन जी कह रहे थे, जो बिल्कुल भूखा-सा हो उसके लिये भी प्रबन्ध कर रहे हैं, वह बजट में होगा"।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है "मैंने तो मोटे तौर पर बता दिया है कि अभी कोई दो हफ्ते हुए राज्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिये दिये जाने वाले ऋण के नियमों के अन्तर्गत उद्योगों के लिये लोन जैसे औरों को तीन परसेंट पर मिलता है वैसे ही उन्हें भी मिलेगा। हाई स्कूल तक वे बगैर शिक्षा शुल्क और महंगाई शुल्क दिये पढ़ सकते हैं। जैसा उग्रसेन जी कह रहे थे, जो बिलकुल भूखा-सा हो उसके लिये भी प्रबन्ध कर रहे हैं और इसके लिये भारत सरकार को लिखा है।"

साप्ताहिक कार्य-क्रम की सूचना

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम निम्न प्रकार है— ४ मई, १९६४ उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण।

१—भारत का संविधान के अनुच्छेद २५२ के खन्ड (१) के अनुसार वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन्स ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित कार्पोरेशन्स द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद द्वारा बनाई गई विधि से विनियमित किये जाने के संबंध में संकल्प पर विचार एवं उसका पारण।

२—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, इस पर मेरा विरोध है। उस रोज यह प्रस्ताव सरकार ने हार की डर से वापस ले लिया, फिर आज इसको लाने की क्या जरूरत है। श्री राममूर्ति भी मौजूद हैं, उनसे भी आप इस संबंध में पूछ लें कि उन्होंने ही इसे वापस लिया था।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं तो श्रीमन्, श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी से हमेशा हारा हुआ हूं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है लेकिन मैंने तो यह कह कर इसे वापस लिया था कि अगर इसके बारे में कोई शंका है तो उसको हम ला डिपार्टमेन्ट के साथ बैठ कर दूर कर लें और तब उसको पारित करें, यह मैंने कहा था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हमने प्रस्ताव किया कि इसे वापस ले लें, तो उसे वापस ले लिया गया। फिर ला डिपार्टमेन्ट से शंका दूर करने की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोगों में मतभेद है तो मैं कार्यवाही देख लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उस रोज उन्होंने वापस ले लिया था, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

श्री बंशीधर पान्डेय—

३—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण ।

४—नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण ।

५—उत्तर प्रदेश 'नागरक्षेत्र' भूमि और भवन-कर अपील पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ में श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार।

६—शासन द्वारा नियुक्त गोमती बांध टूटने के कारणों की जांच समिति १९६० के प्रतिवेदन पर विवाद ।

यह ७ तारीख तक का कार्य-क्रम है ।

श्री उग्रसेन—

इस पर मेरा एतराज है कि क्या यह कार्य-क्रम कार्य परामर्शदात्री समिति के सामने आया था ?

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कहता हूं कि उसे आ जाना चाहिये ।

यह तो सरकार की तरफ से एक सुझाव है कि हमारा कार्य-क्रम यह है । अब किस पर कितना समय लगेगा, इसको कार्य परामर्शदात्री समिति तय करेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि इस प्रदेश में नगरपालिकाओं का चुनाव मई-जून के महीने में होने जा रहा है लेकिन इधर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि अभी इसको कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया जाय और फिर अक्तूबर में चुनाव हो ? अगर मई-जून में ही चुनाव होने की बात हो, तो मेरा सुझाव है कि इसको टाल कर अक्तूबर में कर दिया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अभी तक तो उसे टालने की राय नहीं है । आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार करेंगे ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने ही कहा था कि जब कार्यवाही शुरू हो तब आप इस पर आब्जेक्शन कर सकेंगे । तो मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो अभी पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगते हैं । उसे हो जाने दें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अपनी अनुज्ञा देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब १ बजकर ५ मिनट हो चुके है । आपकी ही की रूलिंग के अनुसार १ बजे से २ बजे के बीच में कोई विभाजन नहीं हो सकता ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आप नहीं थे, पिछली बार सरकार हार कर भाग गई थी ।

श्री अध्यक्ष—

यहां कनवेन्शन यह रहा है कि १ और २ के बीच में साधारणतया न तो कोरम का प्रश्न उठाया जायगा और न विभाजन ही मांगा जायगा.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह विशेष परिस्थिति है और वह इस कारण पैदा हुई कि आपने उस समय यह प्रश्न नहीं लिया और कहा कि कार्यवाही आरम्भ होने पर लिया जायगा, उस समय अगर ले लिया होता तो यह परिस्थिति न होती । मैंने तभी कहा था कि यह सरकार वैधानिक रूप से गठित है या नहीं.....

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त तो केवल अनुज्ञा का प्रश्न है.....

श्री राधेश्याम शर्मा—

२ बजे आप इसे लें ।

श्री अध्यक्ष—

अब तक की परम्परा यह रही है कि १ और २ बजे के बीच न हम कोरम देखेंगे और न विभाजन का प्रश्न उठायेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब उस दिन सदन उठाया गया था उस समय विरोधी पक्ष की उपस्थिति अधिक थी और यह सरकार अल्पमत में थीं, उधर से राममूर्ति जी खड़े होकर कह दें कि वह बहुमत में उस दिन थे । आप लंच आवर में नहीं, तो २ बजे इसको ले लें । आज भी सरकार अल्पमत में है और सरकार हार जायगी । अधिकतर माननीय सदस्य लन्च में गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बिक्री-कर के संबंध में है, मोटर गाड़ी माल कर विधेयक के संबंध में जब आये तब आप यह बात कहियेगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्न यह है कि यह सरकार वैधानिक रूप से गठित है या नहीं और मेरे इस प्रश्न पर आपने कहा था कि कार्यवाही के समय इस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि जब विधेयक आयेगा तब इसको देखेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम इस तरह से पुट किये जाने पर इसमें भाग नहीं लेंगे, यह बिल्कुल अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—

'हां' की संख्या अधिक है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

वैसे ही बिना किसी के बोले...

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि भाग नहीं लेंगे, तो अधिक तो है ही।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उधर की संख्या कम है।

श्री अध्यक्ष—

'हां' की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी जाती है।

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २३६–२३९ पर)

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं नार्दर्न इंडिया केनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जिस विधेयक की अनुज्ञा मांगी जा रही है उसकी भाषा हिन्दी होना चाहिये। जो सन् ५० का उत्तर प्रदेश भाषा ऐक्ट है जिसे कि सदन पास कर चुका है उसमें यह है कि—

"Hindi to be used in Bills and Acts—The language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the state of Uttar Pradesh shall be Hindi in Devanagri script."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी देवनागरी लिपि ही होना चाहिये। और इसके ऊपर दिया हुआ है कि—

"Whereas clause (3) of Article 348 of the Constitution of India provides inter alia that language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of a state may, if the Legislature has so prescribed, be other than the English language."

मेरा मतलब यह है कि यह जो भाषा ऐक्ट सन् ५० में पास किया गया था उस में कहीं भी यह नहीं है और कोई भी प्राविजन ऐसा नहीं है कि पहले जो ऐक्ट पास किये गये हैं वह उसी भाषा में होंगे जिसमें वह पास किये गये हों। यह कहा जा सकता है कि यह ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में था और इसीलिये यह संशोधन भी उसका अंग्रेजी में ही पेश किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सन् ५० में जो भाषा के सम्बध में ऐक्ट पास किया गया कि यहां की भाषा हिन्दी है उसके अनुसार मूल ऐक्ट किसी भाषा में भी पास किया गया हो सन् ५० के पहले, तो उसका अनुवाद भी हिन्दी में होना चाहिये और जो अनुवाद हो उसमें हिन्दी में संशोधन आने चाहिये क्योंकि बिल अब हमेशा हिन्दी में ही आने चाहिये क्योंकि सन् ५० के भाषा ऐक्ट के अनुसार सदन की भाषा हिन्दी निर्धारित हो चुकी है। तो जब सदन की भाषा हिन्दी डिक्लेयर कर दी गई तो जितने भी विधेयक अब-अब सदन में जायेंगे वे हिन्दी में ही आयेंगे। अब यह कहना कि चूंकि मूल ऐक्ट अंग्रेजी में है इसलिये संशोधन भी अंग्रेजी में ही आ सकते हैं, यह नहीं हो सकता। पहले सरकार को मूल ऐक्ट का अनुवाद कराना चाहिये था और उसके बाद उसमें हिन्दी में संशोधन आने चाहिये थे। आप देखें कि जो सेक्शन २ है उसमें कोई ऐसा प्राविजो नहीं है कि अगर मूल ऐक्ट अंग्रेजी में हो तो उसका संशोधन विधेयक अंग्रेजी में ही आयेगा। इससे साफ जाहिर है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। अतः जब तक इसका अनुवाद न कर दिया जाय हिन्दी में, यह अंग्रेजी में नहीं आ सकता।

"348 (1) (b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a state.."

३४८(३) में दिया हुआ है कि अथारिटेटिव लैंगुएज अगर हिन्दी में होगी तो इंगलिश लैंगुएज का ट्रांसलेशन गवर्नर करायेगा और पब्लिकेशन के बाद इंगलिश लैंगुएज ही अथारिटेटिव टेक्स्ट होगा। लेकिन जहां तक सदन की भाषा का सवाल है वह हिन्दी है और १९५० के विधेयक में दिया हुआ है कि हर बिल हिन्दी में आयेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बिल को ट्रांसलेट कराये और संशोधन हिन्दी में रखे जायं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सदन में यह बिल नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न कई बार पहले भी आ चुका है। यह विधेयक हिन्दी में है और जो संशोधन इसमें करने हैं वह अंग्रेजी में दिये हुए हैं। आपकी बहस यह हो सकती है, और वही आपने की है कि जो मूल अधिनियम है उसका पहले अनुवाद हो और उसमें फिर संशोधन हिन्दी में रखे जायं। इसमें यह होगा कि जितने अधिनियम हैं सारे हिन्दी में अनुवादित होने चाहिये और जितने भी कानून १९५० के पहले के बने हुए हैं सबका अनुवाद हिन्दी में हो, उसके पश्चात् जब कोई संशोधन आये तो वह हिन्दी में होते रहें। मैं समझता हूं यह हमारा मन्तव्य नहीं है ..

श्री कमलासिंह यादव—

१९५० का जो लैंगुएज ऐक्ट है उसमें कोई प्रोवीजो ऐसा नहीं है कि १९५० के पहले के ऐक्ट ऐग्जेम्प्ट कर दिये जायंगे। क्लियर ऐक्ट है इसलिये उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे शब्दों में नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ऐक्ट से यह मुराद नहीं है कि जो कानून अभी तक अंग्रेजी में बने हैं उनका जब तक हिन्दी में अनुवाद नहीं होगा तब तक कानून न माना जायगा। वह कानून है और उनका अनुवाद हिन्दी में करने के लिये कोई आदेश नहीं है। तो जब कभी संशोधन आयेंगे, यहां संशोधन अंग्रेजी में ही कर रहे हैं।

तो अंग्रेजी के ही शब्द रखे जायंगे। अंग्रेजी शब्दों के बीच में हिन्दी शब्दावली नहीं आयेगी, बल्कि अंग्रेजी में ही आयेगी। इसलिये जो आपत्ति की है वह उसी समय स्वीकार हो सकती है, जब १९५० के कानून का निर्वचन करने में यह कहें कि जितने भी पूर्वगामी अधिनियम हैं उनका अनुवाद जब तक हिन्दी में न हो जाय तब तक कानून न माना जावेगा, तब तक आप की बहस स्वीकार नहीं की जायगी। अंग्रेजी कानून का संशोधन अंग्रेजी में आयेगा, यद्यपि भाषा विधेयक की हिन्दी होगी। जैसा इसमें भी कहा गया है कि में नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ जिसे मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा ३६ के पश्चात् निम्न नई धारायें जोड़ दी जायं। ऐसा नहीं हो सकता कि धारा ३६ (ए) अंग्रेजी में रहे और धारा ३६ (ब) को हिन्दी में कर दिया जाय। यह एक बड़ी ऐब्सर्ड बात हो जायगी।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, हिन्दी भाषा डिक्लेयर हो चुकी है और जितने विधेयक आपके हैं वे सब अंग्रेजी में हैं तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से तो अंग्रेजी ही कन्टीन्यू करेगी। तो यहां पर हिन्दी भाषा के होने से क्या फायदा होगा?

श्री अध्यक्ष—

उसके लिए अगर आप चाहें तो अलग से कानून बना सकते हैं। जो वर्तमान हैं वे कानून अंग्रेजी में ही रहेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर इस तरह की आप की व्यवस्था चली तो हिन्दी भाषा होने से क्या लाभ होगा। दूसरे संविधान की धारा ३४८ और ३५० में दिया है कि ऐक्ट्स और बिल्स में किस भाषा का प्रयोग किया जाय। तो ऐसी हालत में अंग्रेजी की गुलामी से कैसे पिंड छूट सकता है। तो अगर आप इस कुर्सी से यह व्यवस्था दे दें कि इस तरह के संशोधन या विधेयक आ ही नहीं सकते तो सरकार के कान भी खड़े हो जायेंगे और वे उसका तर्जुमा करेंगे। इस तरह से आप इतिहास में एक बड़ा कार्य करेंगे। यद्यपि सरकार ने हिन्दी के सम्बन्ध में कानून पास किया है पर वे अमल नहीं कर रहे हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इस विधेयक का मूल उद्देश्य सिंचाई कर की द्विभागीय पद्धति को लागू करना है और उस पद्धति के विरोध में एक याचिका भी इस माननीय सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है और आपने उसको याचिका समिति के सामने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में जब कि याचिका समिति में कोई निर्णय नहीं दिया है उस समय क्या यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार का अगर कोई प्रतिबन्ध है तो उसे बता दिया जाय। मेरे विचार में कोई वजह नहीं कि यह विधेयक प्रस्तुत न हो सके।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं एक क्लेरिफिकेशन इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से तो बहुत गलत होगा कि आप एक के बाद एक बात पूछना चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अभी आपने एक रूलिंग दी थी। इस सदन के अन्दर अभी उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पेश हुआ। वह १९४८ का विधेयक था (यू० पी० ऐक्ट नं० १५, १९४८) यह १९५० के पहले का विधेयक है और उस समय जब यह पेश किया गया वह बिलकुल हिन्दी में किया। अगर श्रीमान् जो ने जो रूलिंग दी है कि पहले जो अंग्रेजी में था तो अंग्रेजी में ही कन्टीन्यू करेगा। तो इस संशोधन विधेयक पर क्यों नहीं लागू किया गया।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने देखा है कि ओरीजिनल ऐक्ट कौन-सी जुबान में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह हिन्दी में है या अंग्रेजी में?

श्री कमलासिंह यादव—

अंग्रेजी में।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप यहां मत से तय कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अपनी अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हमेशा यह रूलिंग दी गयी है कि १ बजे से २ बजे के बीच में कोई विभाजन नहीं होगा। जब कभी विभाजन होगा वह २ बजे के बाद होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

हम लोगों ने तय किया था कि १ और २ के बीच कभी वोटिंग नहीं होगी। यह बड़ा महंगा पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रारम्भ में ही मैंने कहा था कि इस समय के बीच मत न लिया जाय, यह बात कही जाती तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन आप तो विभाजन पर ही आब्जेक्शन कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

यह आपका कर्तव्य है। आप स्वयं कह सकते थे कि १ और २ बजे के बीच में विभाजन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी बात कह रहे हैं, आप कहिये कि इस पर मत न लीजिये तो मैं मान लूं लेकिन मत लेते वक्त आप कुछ नहीं कहते हैं, बाद में कहते हैं कि विभाजन न हो। आप कह दीजिये कि मत न लीजिये तो मत नहीं लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

आप मत न लीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप पिछली कार्यवाहियों को उठा कर देख लीजिये कि विभाजन मांगे गये हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

हाउस ने पास किया है कि १ और २ के बीच में मत नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रोसीजर यह था कि १ और २ के बीच में मत न लिया जाय। मैं उस पर राजी था। आबजेक्शन केवल विभाजन के सम्बन्ध में था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने आरम्भ में ही कहा था कि १ और २ के बीच में विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन मत और विभाजन अलग-अलग चीजें हैं तो मुझे समझा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने टम्बेश्वरप्रसाद जी द्वारा मांगे गये विभाजन के ऊपर आपत्ति की थी। अगर आपने यह कहा होता कि मत १ और २ के बीच में न लिया जाय तो मैं निश्चित तौर पर नहीं लेता।

प्रश्न यह है कि....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। १ और २ के बीच में मत न लिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

प्वाइंट आफ आर्डर। यह फंडामेंटल राइट से सम्बन्धित है। अब तक का नियम यह रहा है कि कोई भी किसान जितनी भूमि की सिंचाई करता है उतनी भूमि के लिये उससे लगान लिया जाता है लेकिन यह जो विधेयक लाया जा रहा है उसके जरिये ८०० एकड़ जमीन पर सिंचाई का रेट वसूल किया जायगा चाहे किसान ने एक्चुअली उतनी जमीन की सिंचाई की हो या न की हो।

श्री अध्यक्ष—

यह आबजेक्शन पहले आना चाहिये था। अब विभाजन लिया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा दे। (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४०–२४४ पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन है कि पुरःस्थापन की आज्ञा न दें और इस पर मत भी न लिये जायं २ बजे के पहले।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जो कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट उठाया था इस सम्बन्ध में वह यह था कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय कमलासिंह जी किस हैसियत से बोल रहे हैं? अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं या किस पर?

श्री अध्यक्ष—

नियम १२५ में पुरःस्थापन की अनुज्ञा जब मांगी जाय तब आप उस पर दो प्रकार के प्रश्न उठा सकते हैं, एक तो फैक्ट्स पर और एक कांस्टीट्यूशन पर। १२५ में अनुज्ञा मिलने के बाद वह पुरःस्थापन करते हैं। अब आपको अगर आब्जेक्शन करना है तो जब विचार का समय आये तब यह प्रश्न उठ सकता है, इधर नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरी प्रार्थना है कि कृपया पुरःस्थापन की आज्ञा न दी जाय और मत भी २ बजे के पहले न लिये जायं। मैं तो कहता जाऊंगा। आपको सभी नियमों को निलम्बित करने का अधिकार है।

१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन की बैठक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब १५ अप्रैल को माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप ने जो बात उठायी थी, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर सामान्य विवाद में, माननीय हरीदत्त कांडपाल, खाद्य मंत्री का प्रस्ताव था, उसके ऊपर माननीय शारदाभक्त सिंह और माननीय कल्पनाथ सिंह, दो महानुभाव बोल चुके हैं, अब इस पर बहस होगी।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन है कि उस समय जिन परिस्थितयों में इस बिल पर वादविवाद का अन्त हुआ वह बड़ी गम्भीर....

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि आप उस समय उठा सकते हैं तो अब आप उठायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उस दिन इस सदन में माननीय कल्पनाथ सिंह जी बोल कर बैठ चुके थे और मैंने उस समय यह मांग रखी थी कि अब इस पर विवादान्त दिया जाय। जो लोग नियमों को समझते हैं वे यह समझते हैं कि उस विवादान्त के बाद कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला था, लेकिन सच बात यह है कि सरकार उस समय अल्पमत में थी और विरोधी पक्ष के लोग उस समय बहुमत में थे। इसके कारण सरकार यह नहीं चाहती थी कि उस बिल पर आगे कोई और कार्यक्रम चले। हमारे मंत्री राममूर्ति जी, उस समय जब मैंने आपत्ति की थी, सदन में उपस्थित थे और समय की गम्भीरता को देखते हुये और अपने अल्पमत को देखते हुये वह प्रस्ताव वापस कर लिया जिसका आज कार्यक्रम में पुनः जिक्र है। सरकार उस समय लगभग हार चुकी थी। मैंने इन शब्दों का इसलिये प्रयोग किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय जो भी पीठासीन अधिकारी थे उनका उसमें काफी हाथ था और काफी पक्षपात था। मैंने इस प्रकार के चार्जेज उनके ऊपर निश्चित रूप से लगाये हैं और जब मैं चार्जेज लगाता हूं तो अगर मेरे ऊपर भी कोई कांसीक्वेन्सेज हों तो उनको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। समाचारपत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने अपनी हार को दिखावे में बचाने के लिये, निश्चित रूप से हार चुकी थी, यहां से पलायन किया। मैं ऐसा समझता हूं कि जब इस सरकार के पुराने मुख्य मंत्री ने केवल पी० सी० सी० में हार जाने के कारण इस्तीफा दे कर इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है तो जब यह सरकार सीधे इस सदन में हार चुकी है तो जब तक मुख्य मंत्री इस्तीफा दे कर.....

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना क्या है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा कहना यह है कि इस सम्बन्ध में आप जांच करें कि उस दिन किस ने बंगलिंग किया, किसने अनैतिकता की और सरकार का क्या रोल था और उस दिन अधिष्ठाता का क्या रोल रहा ? जब इसकी जांच हो जाय तब बिल प्रारम्भ किया जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी जीत नहीं सकती है लेकिन लंच के समय में न तो विभाजन होना चाहिये और न मत लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या प्रपोजल है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा यह मत है कि सरकार निश्चित रूप से हार चुकी है इसलिये इस्तीफा देकर दुबारा इसको पुनर्गठित होना चाहिये। दूसरे अधिष्ठाता महोदय ने नियम को तोड़ा मरोड़ा। जब सरकार के प्रस्ताव के ऊपर क्लोजर मूव हुआ तो सरकार को चिन्ता हुई हारने की, इसलिये अधिष्ठाता महोदय ने सरकारी दबाव से अनियमित रूप से सदन को उठा दिया।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष जी, मुझे यह निवेदन करना है कि उस समय जो परिस्थिति थी वह इसके विपरीत थी और एक बात यह है, उसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था देने से पहले विचार कर लें। उस दिन माननीय शारदानन्द जी तथा कमला सिंह जी यादव ने संशोधन रखे थे और उन लोगों ने भाषण दिये थे। जैसे ही वे लोग बैठे, मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ। अधिष्ठाता महोदय मुझे अवसर देना चाहते थे लेकिन विरोधी दल के माननीय सदस्य हल्ला मचाने लगे और जो लोकतांत्रिक अधिकार अपने विचार रखने का मुझे था उसको रखने नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन नियमों में स्पष्ट है कि क्लोजर के सम्बन्ध में चेयर को अधिकार है कि उसको मूव होने दे या न होने दे। किसी और व्यक्ति ने विचार व्यक्त नहीं किया था, लिहाजा ऐसी परिस्थिति थी कि हमें अवसर देने के लिये उसको मूव न किया जाय। लेकिन उस दिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने हल्ला मचा कर, जो हमारा अधिकार था, उसका हनन किया और माननीय उपसेन जो तो शायद टेबिल पर खड़े हो गये या बैठ गये। मैं रखना चाहता हूं कि उस दिन का उनका यह काम अलोकतांत्रिक था और जिस तरह से समाचारपत्रों ने निकाला है वह उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हुये हैं। व्यवस्था का प्रश्न इतना लम्बा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। सवाल केवल इतना है कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि उस समय सरकारी पक्ष अल्पमत में था, इसलिये सदन स्थगित कर दिया। अब वे खड़े हो गये या बैठ गये इससे कोई मतलब नहीं था।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं यही निवेदन कर रहा था कि यह वाकया नहीं था। मैं संशोधन पर अपने विचार रखना चाहता था। लेकिन हम को विचार न रखने दे कर वह लोग हल्ला मचाने लगे और इस प्रकार जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था उसका हनन किया। दूसरे दिन जो यह समाचारपत्रों ने निकाला कि चूंकि सरकार अल्पमत में थी इसलिये अधिष्ठाता महोदया ने सरकार को बचाने के लिए क्लोजर मूव नहीं होने दिया, यह उनका व्यू था जो गलत था। सही बात यह थी कि मैं खड़ा हुआ उनके संशोधनों पर बोलने के लिए। हम को बोलने नहीं दिया। इसलिए विरोधी दल के लोगों ने अलोकतांत्रिक कार्य किया है। उनकी भर्त्सना होनी चाहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय ने जैसा अपनी बात में कहा, क्लोजर मूव करना, और विवाद को स्थगित करना यह तो विरोधी दल का काम है। नियमों के अधीन जब विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव रख दिया गया था तो उस पर राय लेनी चाहिये थी। मैं माननीय कृष्णानन्द राय से इत्तफाक करता हूं कि अधिष्ठाता महोदया ने अगर अपनी शक्ति से जो उनको नियमों के अन्दर थी मत न लिया होता तो मैं यह मान सकता हूं उन्होंने १५ मिनट के लिये सदन स्थगित किया। उसके बाद फिर वही मामला उठाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर कौन सी बात थी कि विधान सभा स्थगित कर दी और उस पर मत नहीं लिया?

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने शोर मचाया और सदन चलने नहीं दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं माननीय कृष्णानन्द से पूछना चाहता हूं कि अगर उस वक्त सरकारी पक्ष का बहुमत होता और विरोधी पक्ष का अल्पमत होता तो क्या वह सदन को स्थगित करने की बात कहते? वह जरूर पास करवाते उस विधेयक को। जिस समय सरकार पर चोट पड़ती है, उस वक्त इस तरह का गलत काम करना यह जनतंत्र के विरुद्ध है। असलियत यह थी कि उधर के सदस्य पी० सी० सी० के चुनाव में गये हुए थे। सरकार अल्पमत में थी, सरकार हार जाती।

[श्री रघेश्याम शर्मा]—

इसलिए जानबूझ कर सरकार ने ऐसा करवाया। माननीय कृष्णानन्द राय सरकार के गलत कामों की रोज रोज वकालत किया करते हैं।

श्री अध्यक्ष

आप कह रहे थे कि इतनी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह सरकार नैतिक आधार पर उस दिन हार चुकी है। यदि सरकार में नैतिकता है तो उसको इस्तीफा दे कर नया मंत्रिमंडल पुनर्गठित करना चाहिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय कृष्णानन्द राय सरकारी पक्ष के प्रवक्ता नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि माननीया सुचेता जी, माननीय राममूर्ति या माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जो कुछ कहना हो कहें। अध्यक्ष महोदय, आप उस समय की कार्यवाही देख लें। उसमें निश्चित रूप से हमने कहा था अधिष्ठाता महोदया से कि आप पक्षपात कर रही हैं। आप पर यह चार्ज है। हम लोग बहुमत में हैं इसलिये विभाजन नहीं होने देना चाहती हैं। इस डेफिनिट चार्ज के बाद.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कह चुके।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जनाब, मैं मौजूद था। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे माननीय कृष्णानन्द राय को मेरी मौजूदगी नजर नहीं आयी, वैसे ही इनको अल्पमत और बहुमत का खयाल नहीं हुआ। मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं, कि आपने कहा पहले वक्त की कार्यवाही पहले मैं पढ़ लूं....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

(मुख्य मंत्री के जाने पर) माननीय सुचेता जी जा रही हैं, उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, वह यहीं उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मैनेजरसिंह—

आपने यह कहा था कि उसको देखकर तब इस पर आप विचार व्यक्त करेंगे या व्यवस्था देंगे। मैं तो यह चाहता हूं कि इस मसले को आज अभी आप स्थगित कर दें, इस पर आप विचार करें और इसके बाद इस पर कोई निर्णय लें और इसके बाद फिर विचार का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोगों को यह स्वीकार हो तो मैंने तो यह कहा ही था कि इसकी सारी कार्यवाही पढ़ कर तब मैं व्यवस्था दूंगा। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि अभी दो.....

कुछ सदस्य—

तो तब तक इसको रोक दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक बात तय हो जाय कि कल मैं व्यवस्था दूं इसको पढ़कर तो आज अब यह बहस खत्म हो जाय और आगे की कार्यवाही चलन दीजिय।

एक सदस्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस पर आप व्यवस्था कल दें तब तक इस विवाद को भी स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह गलत बात है, इस वास्ते कि तीन घंटे समय अभी बाकी है ।

श्री मैनेजरसिंह—

आप न करें, लेकिन मेरी बात सुन लें। अध्यक्ष जी, खेद इस बात का है कि इस आदरणीय सदन में पीठासीन अधिकारी के प्रति विश्वास उठता जा रहा है । मैं नहीं कहता कि उसमें सोलह आने दोष पीठासीन अधिकारी का है

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यह आप न कहिये, जो नियम की बात है वह आप कहिये तो अच्छा है और यह तो नियम के विरुद्ध है कि आप यह बात कहें । उसके लिए तरीका यह है कि जो उस दिन घटना हुई....

श्री मैनेजरसिंह—

मैं घटना बता रहा हूं । आप उस दिन की सारी कार्यवाही पढ़ लें और उसके बाद कोई निर्णय उस पर करें ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं....

श्री मैनेजरसिंह—

कार्यवाही पढ़ने से इधर उधर की सारी बात मालूम पड़ जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

तो आज की कार्यवाही चलने दें (व्यवधान) ।

एक सदस्य—

उसमें माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राम मूर्ति जी और माननीया अधिष्ठाता का बयान भी लें ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो अब कार्यवाही चले ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से उस दिन की घटना की चर्चा कर रहा....

श्री अध्यक्ष—

देखिये, एक बात सुन लीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तो पहले से उठा हुआ है। उसमें अब आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ?

अब यह तय हो रहा है कि मैं पहले कार्यवाही पढ़ लूं, और पढ़कर अपना निर्णय दे दूं और इस समय अब आगे बहस जारी हो।

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष जी, आपने कहा कि घटना के सम्बन्ध में मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष—

घटना तो इससे मालूम हो जायगी।

श्री मैनेजरसिंह—

नहीं, उससे मालूम नहीं होगी। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही वह इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको इसी वास्ते रोका कि ....

श्री मैनेजरसिंह—

एक मिनट सुन लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मुझे हक है, आप क्यों नहीं उठाने देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। (शोर)

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप माननीय कृष्णानन्द राय को बैठाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

पहले आप माननीय कृष्णानन्द राय को बैठाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये पहले।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि भले ही माननीया अधिष्ठाता महोदय को यह अधिकार था, यह भी मान लें कि वह विवाद का अन्त न स्वीकार करतीं, उसका अधिकार उनको था, लेकिन इतना तो सत्य है माननीय अध्यक्ष जी, कि इस आदरणीय सदन में सत्य भाषण की शपथ लेकर यदि हम असत्य भाषण करें तो यह शोभा की बात नहीं है, हमारे लिए और न इस सदन के लिये। बार-बार शान्तिप्रपन्न जी और नवलकिशोर जी ने दोनों पक्ष के सदस्यों की गिनती की, एक बार नहीं अनेक बार और जब उन्होंने देखा कि उनकी संख्या से हमारी संख्या ड्योढ़ी है तो उन्होंने

यह तिकड़म लगाया (व्यवधान) कि सदन स्थगित हो। इस बात को तो स्वीकार करना चाहिये या कम से कम इस तथ्य पर मौन रहना चाहिये न कि अखबार वालों की गलत भर्त्सना करनी चाहिये। उनको अधिकार था, बोलने का हक था तो वह हक तो बराबर है उनको।

श्री अध्यक्ष—

अखबार वाले चाहे जो कुछ कहें। मैं तो जो कार्यवाही सदन में हुई है उसको देखूंगा और तब अपना निर्णय दूंगा।

श्री उग्रसेन—

माननीय कृष्णानन्द जी कहते हैं कि बड़ा हल्ला हुआ और वह चुपचाप बैठे रहे, मगर वह भूल गये कि मैंने माननीया रोहतगी से कहा कि आप स्थगित न करें चाहे एक ही भाषण करा दें मगर वह माननीया मुख्य मंत्री जी की तरफ देखती रहीं। उन्होंने इशारा किया कि इसको स्थगित कर दो। उनके इशारे पर माननीया रोहतगी ने सदन को स्थगित कर दिया। यह मेरा चार्ज है। यह बिलकुल सही है कि उस दिन सरकार अल्पमत में थी। यह मेरी दोनों बातें सही हैं, आप इसको मानें या नहीं मानें। कृष्णानन्द जी उस बात को नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जितनी बातें हुई हैं उनको पढ़कर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

जो कुछ टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उस पर तो आप निर्णय देंगे। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि इधर से बहुत शोर मचता है तब भी जो उस आसन पर बैठता है क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह यहां पर शान्ति स्थापित करें। यदि शान्ति नहीं स्थापित होती है तो दूसरे कड़े से कड़े कदम उठाये जा सकते हैं जिससे इस सदन की कार्यवाही चले। यह परम्परा पड़ती जाती है कि यहां पर शोरगुल होने पर सदन को स्थगित कर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की परम्परा चल पड़ती है कि थोड़ा सा शोरगुल होने पर सदन को स्थगित कर दिया जाय तो क्या यह उचित है? मैं चाहता हूं इस प्रकार की आपकी व्यवस्था हो कि आगे इस प्रकार की बात न हो।

श्री उग्रसेन—

इससे हजार गुना शोरगुल हुआ है लेकिन सदन को आपने कभी स्थगित नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप सब बातों को पढ़कर इस पर निर्णय देंगे। मैं समझता हूं जो घटना उस दिन घटी और यह हाउस स्थगित हुआ उस पर आप निर्णय देना चाहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब कभी कोई अधिष्ठाता उस कुर्सी पर बैठता है वह आपके फुलफलेज्ड राइट को लेकर बैठता है। नियम के अनुसार वह कार्य करता है। जो अधिष्ठाता उस दिन बैठीं उन्होंने एक रूलिंग दी कि क्लोजर मूव नहीं किया जा सकता। उधर से हल्ला हुआ और सदन को चलने नहीं दिया गया। तब उन्होंने सदन को स्थगित किया।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह आशय है कि अधिष्ठाता जो निर्णय करता है उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती है। यह मैं समझ गया। अब इस पर कल निर्णय दिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४†—(क्रमागत)

**श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मोटर गाड़ी (माल-कर), १९६४ के नाम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह से अवैधानिक है। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने आज तक सदन को सूचना इस बात की नहीं दी कि ५ परसेंट लगाने से सरकार को कितनी आमदनी हुई। अब वह उसे १५ परसेंट करने जा रही है और इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि इससे उसे कितनी आमदनी होगी।

(इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसमें डबल टैक्सेशन हो रहा है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में मोटरों पर टैक्स लगता है और उनको रोड परमिट मिलता है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा धारा १९ के मुताबिक दो रुपया रजिस्ट्रेशन फीस सरकार लेगी। जब आप एक बार सड़क पर मोटर चलाने के लिये टैक्स ले चुके तो क्या वजह है कि उससे आप दुबारा रजिस्ट्री कर ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह डबल टैक्सेशन का अधिकार आपको नहीं है। इसमें यह भी है कि कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्री फीस अदा किये सड़क पर नहीं आ सकेगा। ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि जो उस वाहन को सड़क पर आने से रोक सके जबकि उसके लिये वह कर दे चुका है और उसके आधार पर उसे रोड परमिट प्राप्त है। १९३९ के ऐक्ट के अनुसार वह एक टैक्स देता है और उस आधार पर उसे रोड परमिट मिलता है। जिसे परमिट मिलता है वह अपनी गाड़ी चलाता है, तो किसी और अन्य कानून के मुताबिक आप उसे सड़क पर अपनी गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकते। उसे गाड़ी चलाने से रोकना उसके फंडामेंटल राइट का हनन करना होगा। माल के लिये और कृषि उपज के लिये कानून बना है, लेकिन इस विधेयक के जरिये एक गलत कानून बनाया जा रहा है।

इसकी धारा २ (२) में यह कहा गया है कि माल के अन्तर्गत पशुधन भी है। तो जहां तक माल की डेफिनीशन आप डिक्शनरी में या कांस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो यह इनऐनीमेट आबजेक्ट्स के लिये है, यानी लिविंग बींइंग्स इसके अन्दर नहीं आते। यह कहा जा सकता है कि ऐनीमल्स तो रेलवे के जरिये से जाते हैं, लेकिन रेलवे में फ्रेट चार्जेज होते हैं, इस पर टैक्सेशन लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है और न सरकार इस तरह का कोई टैक्स पशुओं या लिविंग बीइंग्स पर लगा सकती है। कांस्टीट्यूशन में भी अनुच्छेद ५६ में स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है कि आब्जेक्ट और पैसेंजर पर जब वह रोड से या वाटरवेज से ले जाये जायं तो सरकार टैक्स लगा सकती है, लेकिन एनीमल्स का कोई जिक्र नहीं है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ की धारा ३११ में भी गुड्स की डेफीनीशन दी हुई है और इस कांस्टीट्यूशन में भी दी है। उसके अन्दर इनऐनीमेट आबजेक्ट्स ही आते हैं। तो इस तरह से इस सदन को टैक्स लगाने का पशुओं पर कोई अधिकार नहीं है और अगर हम लगाते हैं तो हम कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ जाते हैं। तो पशुधन पर हम टैक्स नहीं लगा सकते।

दूसरी चीज यह है कि अपील वगैरह के लिये प्राविधान इसके अन्दर है, लेकिन धारा १३ में दिया हुआ है कि अगर कोई भी कर छूट गया हो तो उस वक्त प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह कर का निर्धारण करे और ३ साल के अन्दर जितना कर छूटा हुआ होगा उसको वह वसूल करेगा।

---

*१३ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।
†१५ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही से।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, कोरम नहीं है, दो बज चुके हैं ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट पक्ष को चाहिये कि कोरम पूर्ति का खयाल जरूर रखें, खास तौर से जबकि गवर्नमेन्ट का बिल डिस्कस हो रहा हो, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

अभी मैं जिक्र यह कर रहा था कि इस विभाग की धारा १३ में यह दिया हुआ है कि कर का निर्धारण होने पर जो कर छूट जाय, यानी कोई कर ऐसा हो जो चाहे इस सरकार की गलती से या मोटर मालिकों की गलती से अगर छूट जाय तो उसके लिये एक धारा है १३ जिसमें यह दिया हुआ है कि यदि कोई कर लगाने से छूट गया है तो ३ वर्ष के अन्दर उसको वसूल किया जा सकेगा । मैं नहीं समझ सकता कि यह कैसे हो पायेगा । अभी तक इस कानून के अन्तर्गत जो नियम हैं उनके अनुसार उन लोगों से यह कर वसूल होगा जो माल ले जायेंगे । अब अगर कोई कर छूट गया तो माल ले जाने वाला तो माल लेकर चला जायेगा, उसका पता चलना भी मुश्किल होगा, तो वह किससे वसूल किया जायगा ? यह प्रश्न ऐसा है जिस पर माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से विचार करना चाहिये कि इस तरह का टैक्स कैसे वसूल किया जायगा । कानून के अन्दर यह दिया हुआ है कि कर उससे वसूल किया जायेगा जो माल को ले जाने वाला होगा । अगर उसका पता नहीं चला तो वह किससे वसूल होगा ? धारा १३ में कर निर्धारण का जो जिक्र है उसकी अपील का भी कहीं कोई प्राविधान नहीं है । धारा १३ और धारा १४ में उस बात का कहीं कोई प्राविधान नहीं है । इसका स्पष्ट प्राविधान इसमें होना चाहिये कि अगर कोई कर छूट गया है तो वह किस तरह से वसूल होगा और उसकी अपील किसके यहां हो सकेगी । यह ऐसी चीज है जिस पर माननीय मंत्री जी को अवश्य विचार करना चाहिये ।

तीसरी चीज यह है कि हम कुछ अधिकार सरकार को देने जा रहेहैं कृषि उपज के बारे में । कृषि उपज के बारे में इस विधेयक में यह दिया हुआ है कि "कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे ।" श्रीमन्, कृषि उपज का मतलब यह है कि कृषि सम्बन्धी वे चीजें जो जमीन में उगायी जाती हैं । अब इस विधेयक के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि सरकार अपनी इच्छानुसार जिन चीजों को चाहे कृषि उपज माने, जिन चीजों को न चाहे न माने । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषि उपज के बारेमें हमारी विधान सभा ने पहले ही एक कानून बनाया है । कृषि उपज क्या होगी, उसके लिये कानून बना हुआ है, उसको आप देखने की कृपा करें । जब एक कानून पहले से बना हुआ है तो मैं समझता हूं कि यहां उसकी डिफिनीशन देने की और उसके लिये सरकार को कोई अधिकार देने की जरूरत नहीं है । इससे सरकार मनचाही करेगी । इससे तो अधिकारीवर्ग निरंकुश राज्य कर सकेगा । उनको अधिकार होगा कि जैसे चाहें अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकें । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अवैधानिक और गलत होगा ।

दूसरे शास्ति का सवाल है । जब से सरकार ने समाजवाद की स्थापना का बचन दिया है, मैं देख रहा हूं कि जितने भी बिल सदन में आये हैं उनमें सरकार की बिलकुल डिक्टेटरशिप हो रही है और उनमें शास्ति का प्राविधान अवश्य रखा गया है । इस विधेयक में भी रखा जा रहा है कि चाहे कोई सार्वजनिक भार-वहन का या निजी भार-वहन का मालिक हो, अगर वह कर का भुगतान ठीक समय से नहीं करता है तो उस पर १० रुपये प्रति दिन शास्ति लगेगी और साथ ही साथ १०० रुपये का मैक्सिमम रखा गया है । यह उचित नहीं है चूंकि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट यू० पी०

[श्री कमलासिंह यादव]

जमींदारी अबालीशन ऐक्ट और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट जो इसी सदन के बनाये हैं, उनमें भी मालगुजारी के बकाया का प्राविधान रखा गया है कि वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायगी। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा २८० और २८१ में साफ दिया है कि बकाया मालगुजारी और उसके बाद समन का खर्चा ४ आने और वारंट का खर्चा ८ आने अगर वह मालगुजारी के साथ जमा कर देता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी उससे उसे छूट दी जायगी। तो फिर इस विधेयक में शास्ति लगाने की क्या जरूरत है ? इस शास्ति का मतलब यह समझ रहा हूं कि राज्य कर्मचारियों को निरंकुश अधिकार दिया जा रहा है कि वे जैसे चाहें अपने डिस्क्रीशन को इस्तेमाल करें। अगर माननीय मंत्री जी इस देश की भलाई के या विकास के लिये वसूली चाहते हैं तो उनकी भावनाओं में और दिमाग में कुछ परिवर्तन होना चाहिये। इसमें यह भी लिखा है कि अधिक से अधिक दंड १,००० रुपये तक हो सकता है। जैसा कांग्रेस के लोग चाहते हैं जिलों में भी वैसा ही करते हैं और उनकी सुनवाई होती है। यहां भी वैसी ही बात है। इस विधेयक में दो तरह की बातें की गई हैं और डिसक्रिमिनेशन किया गया है। अगर कोई मामूली आदमी सार्वजनिक या निजी भार-वहन का मालिक हो तो उसके लिये और अगर वह कम्पनी के रूप में काम करे तो उसके लिये दूसरी व्यवस्था है। अगर कम्पनी यह साबित कर दे उसे जानकारी नहीं है कि कैसे गलती हुई या गलती को रोकने के लिये उसने भरसक प्रयत्न किया तो उसके ऊपर धारा २६ की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। तो आर्डिनरी आदमी को भी इसी दृष्टि से देखना चाहिये।

एक और डिसक्रिमिनेशन इसमें है। कम्प्रोमाइज में सरकार ने दिखाया है कि १,००० रुपये या टैक्स में जो भी अधिक हो उस पर कम्प्रोमाइज करने का अधिकार आपने दिया है और अधिकारी कोर्ट को इत्तला दे देगा कि कम्प्रोमाइज हो गया है, इसलिये मुकदमा खारिज करके उसे बरी कर दिया जाय। १,००० रुपये का मतलब है कि सरकार बड़े आदमियों की रक्षा करना चाहती है। जिसने कोई कम्पनी नहीं बनाई है या जो गरीब है उसके साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं। सरकार यह कानून संविधान की धारा १४ और १९ के खिलाफ बना रही है। तो इस डिसक्रिमिनेशन को भी दूर करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में जाने दें ताकि वहां छानबीन होकर अच्छा कानून बने और ऐसा न हो कि जैसे बिक्री-कर के लिये हाई कोर्ट ने दिया कह दिया कि वह अवैधानिक है।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कानूनी दिक्कतें तो माननीय कमला सिंह ने ही बता दीं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि १६ हजार ट्रक्स चल रही हैं। लेकिन मुश्किल से ही कोई ऐसा मोटर मालिक होगा जो नगद कीमत पर ट्रक को खरीदता हो, सारी गाड़ियां किस्तों पर चल रही हैं। अब बारिश के दिन आने वाले हैं। मोटरवालों को अपनी किस्त और मोटर टैक्स देना मुश्किल हो जायगा या तो वह गाड़ी को बेचेगा या अपनी औरत के गहने बेचेगा।

कोई भी गाड़ी मालिक कलकत्ता के लिये परमिट ले तो आर० टी० ओ० आफिस के बाबू बिना १०० रुपया लिये उसको परमिट नहीं देते हैं। अगर मंत्री जी स्वीकार करें तो उनके सामने ही १०० रुपया भिजवा दूं। रुपया लेकर अगर नहीं जायेगा तो परमिट नहीं मिलेगा और पब्लिक का यह हाल है कि रेल से भाड़ा कम पड़ता है तब वह मोटर से माल ले जाता है। फिर मोटर वाले सीधे मंडी को उसका ताजा माल ले जाते हैं। रेल से अगर वह माल ले जाता है तो फारवार्डिंग में उसको कुछ देना पड़ता है, गोदाम से स्टेशन तक का किराया देना पड़ता है, इसके बाद भी ४-५ दिन में माल जगह पर पहुंचता है। जबकि मोटर वाले उसके गोदाम से सीधे मंडी तक माल को ले जाते हैं। अगर मोटर मालिक किसी किस्त को नहीं दे पाता है तो उसकी गाड़ी घसीट ली जाती है, इस पर भी मंत्री जी उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। कोई चौराहा ऐसा नहीं

है जहां मोटर वालों को २ रुपया सिपाही को न देना पड़ता हो और आर० टी० ओ० अगर मिल गया तो एक नंबरी नोट से कम वह लेता ही नहीं। कलकत्ते से पहले थानेदार कुर्सी डाल कर बैठता है और दिल्ली कानपुर से जाने वाली गाड़ियों से फी गाड़ी ५० रुपया लेता है तब गाड़ी पास करता है। उसकी ६-७ हजार रु० रोज की आमदनी है। जब आधी गाड़ियां किस्त न देने से घसीट ली जाती है तो फिर वह टैक्स कैसे दे पायेंगे। बड़े आदमी तो अपने माल की बिल्टी भेजते हैं और माल रेल से भेजते हैं, मोटरों से तो छोटे लोगों का ही माल जाता है, जैसे सब्जी वाले, कत्था सुपारी वाले आदि आदि आज मोटरवालों और छोटे लोगों में टैक्स देने की क्षमता नहीं रह गयी है और सरकार अपना खर्च कम करने के लिये तैयार नहीं है फलस्वरूप वह दिनों दिन टैक्स लगाती जाती है।

इसके अलावा मोटर वाले सरकार की भी मदद करते हैं। कानपुर में बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट वाले हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट का मालिक ऐसा नहीं होगा जिसने एलेक्शन के समय में कांग्रेस सरकार को चन्दा न दिया हो। चुनाव तो बाद में होगा लेकिन एक हफ्ता पहले ही गाड़ी पकड़ ली जाती है और खड़ी कर ली जाती है। इसके लिये भाड़े के नाम पर उसे उतना ही मिलता है जिस से पेट्रोल या डीजल आयल का दाम भी पूरा नहीं पड़ता है। यह सरकार इस कुर्सी पर बैठ कर घमंड में भूल जाती है कि इस प्रदेश के मोटर मालिकों की हालत कैसी है। वह समझती है कि उसी की तरह इस प्रदेश की जनता भी मालदार है। ऐसे भी मोटर मालिक हैं जिन्होंने अपने यहां से रुपया ले कर ही गाड़ी खरीदी है और उनको १४-१५ परसेन्ट से ले कर १८ परसेन्ट तक सूद देना पड़ता है। साथ ही कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो किस्त पर न खरीदी गयी हो। तो माननीय कमला सिंह जी यादव ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ताकि वहां काफी सोच विचार करके अच्छा विधेयक लाया जा सके।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शारदा भक्त सिंह जी के प्रस्ताव पर कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जावे, उसके सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी तक सदन में यह प्रश्न था कि उस दिन जो यह प्रस्ताव रोक दिया गया था क्या अभी भी विचाराधीन है? और अभी-अभी अध्यक्ष महोदय यह कह गये थे कि मैं सारी कार्यवाही पढ़ने के बाद अपना निर्णय दूंगा। उसके बाद भी इस पर बहस जारी करना नियमित है या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। साथ ही यह भी कि विचाराधीन होते हुये क्या यह प्रश्न आज चालू किया जा सकता है या नहीं? फिर भी चूंकि विचाराधीन होते हुये भी इस पर बहस चल रही है, इसके पूर्व माननीय कमला सिंह जी ने बतलाया कि कुछ कारणों से यह टैक्सेशन अनियमित है और हो सकता है कि जैसे और ऐक्ट बने जिनको हाई कोर्ट ने अवैधानिक डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इस सदन को अधिकार नहीं है टैक्सेशन लगाने का, उसी प्रकार से इसको भी अनियमित करार दे क्योंकि इस टैक्स से डबल टैक्सेशन होने जा रहा है। मोटर चलाने वाले को अलग टैक्स देना पड़ता है, मोटर सड़क पर चलती है, तो उसका अलग टैक्स होता है। रजिस्ट्रेशन अलग होता है और अब आप यह एक और नया टैक्स माल के ऊपर लगाने जा रहे हैं। जो मोटर मालिक किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जायगा, तो उस माल पर भी टैक्स लगेगा। इस तरह से यह डबल टैक्शेसन होने जा रहा है जो अनियमित है और इसे नहीं लगना चाहिये। बहुत सी चीजों के लिये कांस्टीट्यूशन में निश्चित है जिसके अनुसार किसी चीज को दूसरी जगह ले जाने पर उन पर टैक्स लगाने का इस सदन को अधिकार दिया गया है। लेकिन इस बिल में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है कि फलां चीज पर टैक्स लगेगा और फलां चीज पर नहीं लगेगा। बल्कि सभी माल जो एक जगह से दूसरी जगह मोटर के द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

जायगा उस पर टैक्स लगेगा जिसे मैं समझता हूं कि अनियमित होगा। इसके लिये कोई प्राविजन होना चाहिये कि किन-किन मालों के ले जाने पर टैक्स लगेंगे विशेषत: जब इस देश में खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं, रेल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह खाद्यान्न ले जाने में दिक्कत हो रही है। एक साधन था जिससे खाद्यान्न की पूर्ति एक जिले से दूसरे जिले की हो सकती थी लेकिन इस टैक्सेशन से उसमें भी रोक लग जायगी और उसमें भी कमी होगी, समय से माल नहीं पहुंच पायेगा क्योंकि दिक्कतें होंगी। इस से व्यापार के जिस विकास की बात आप कहते हैं, उस पर व्यापार में कमी होगी और विकास न हो सकेगा।

ट्रांसपोर्ट विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार है उसकी चर्चा रोज आये दिन होती रहती है। किसी को सरकारी सड़कों पर परमिट दिये जा रहे हैं जहां कि नहीं देना चाहिये, रिश्तेदारों को दिये जा रहे हैं, यह चर्चा रात दिन चलती हैं कि विभाग में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वैसे ही भ्रष्टाचार के अड्डे कम नहीं थे और इस बिल को ला कर उसे और बढ़ाया जा रहा है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस में आप ऊपर कहां और कैसे रोक लगायेंगे, अगर कोई कानपुर के बजाय झांसी तक चला जाय, कानपुर तक का परमिट लेगा और झांसी तक चला जायगा, माल उसके पास ५० मन होगा और वह बतायेगा ५ मन, उसको आप क्या करेंगे? जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह उनसे मिल कर और ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे और उसको बढ़ाने में यह बिल आधार बन जायगा भ्रष्टाचार और बढ़ाने का। ऐक्ट का ऐसा रूप होना चाहिये जिसमें भ्रष्टाचार कम हो सके। लेकिन आपने छूट दे रखी है भ्रष्टाचार की। आपके सामने चकबन्दी ऐक्ट चल रहा है। उस विभाग ने सारे विभागों को एक्सेल कर दिया है भ्रष्टाचार में क्योंकि आपने कर्मचारियों को पूरे अधिकार दे रखे हैं। वही हाल इस बिल द्वारा करने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं रखी है जिस से पता चल सके कि कितना माल जा रहा है, कहां जा रहा है और कौन ले जा रहा है। आपके परमिट्स, लाइसेंस इश्यू होते हैं, उसी तरह से माल भी एक जगह से दूसरी जगह चला जायगा लेकिन आपको पता न मिल सकेगा, टैक्स न मिल सकेगा।

इस बिल में ज्ञापन भी किया हुआ है जो करीब ५ लाख रुपये का है। ट्रांसपोर्ट विभाग है और उसके अलावा जो कर वसूली के साधन हैं वह भी साथ-साथ हैं, उन्हीं अधिकारियों द्वारा इसे भी वसूल कर सकते हैं लेकिन आपने ५ लाख का खर्चा बढ़ा दिया है। इसको आप कम कर सकते हैं। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। अत: इसको ठीक करने के लिये प्रवर समिति में भेजना चाहिये।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाज़ीपुर)—

श्रीमन्, १५ दिन पहले से, जो प्रयास कर रहा था, वह आपकी कृपा से आज पूरा हुआ। यह विधेयक जब पिछले अधिवेशन में अन्तिम दिन पेश हुआ था तो माननीय कल्पनाथ सिंह का बड़ा सारगर्भित संशोधन आया था और भाषण भी वैसा ही था और मैं चाहता था कि उन पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। लेकिन वह मेरे ऊपर नाराज हुये, वह तो नहीं शोर मचा रहे थे लेकिन उनके साथियों ने मचाया कि मुझे मौका न मिले, उल्टे यह आरोप लगाया गया कि यह सरकार अल्पमत में थी इसलिये ऐडजर्न कर दिया सदन को। यह बिलकुल बेबुनियाद बात है। हमारे सदस्यों ने कहा था कि सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय सदस्य विधेयक पर बहस कर रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय--

हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वही बता रहा हूं। जब विरोधी दल के साथी यह अनुभव करते हैं कि उनके प्रति अन्याय हो रहा है तो उन्हें कहने का अवसर मिलता है। लेकिन जब हम पर होता है तो हमको कहने का अवसर भी नहीं दिया जाता। माननीय तिवारी जी कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस पर व्यवस्था देने वाले हैं। हमारी समझ में नहीं आता व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आप जानते हैं जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है, चाहे उपाध्यक्ष हो, या अधिष्ठाता हो, नियमों के अनुसार उसको अध्यक्ष के फुल फलेज्ड अधिकार होते हैं।

तो उसकी जितनी रूलिंग होती हैं वे उतनी ही अथारिटी कैरी करती हैं जितनी स्पीकर की। किसी स्पीकर को यह अधिकार नहीं होता कि उपाध्यक्ष या पैनल के किसी सदस्य की रूलिंग पर पुनः विचार किया जाय। तो हमें तो मालूम नहीं कि क्यों उस पर विचार हो रहा है। मुझे आशा है कि चूंकि वह एक बुनियादी बात है, उस पर भी विचार करेंगे।

इस विधेयक के माध्यम से प्रदेशीय सरकार कुछ कर लगा रही है। स्वाभाविक चीज है कि जैसे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को कोई कर अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार से इधर के बैठने वालों और सरकार को भी अच्छा नहीं लगता कि जनता पर निरर्थक कर लगाये जायं। यों ही यह सरकार काफी फूंक-फूंक कर कदम करों के सम्बन्ध में उठा रही है और किसानों के ऊपर जो लैवी लगी थी वह उठा ली है इसलिये कि इससे गरीब जनता परेशान होगी। सरकार नहीं चाहती कि कर ऐसा लगे कि जिससे जनता को कठिनाई अनुभव हो लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनके कारण सरकार को बाध्य हो कर कर लगाना पड़ता है। विरोधी दल के माननीय सदस्य तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश के विकास के लिये उचित है कि वह सुदृढ़ हो।

प्लानिंग के सम्बन्ध में भी, श्रीमन्, हमारा प्रदेश सारे प्रदेशों के स्तर से पिछड़ा हुआ है और हम जो पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं उनके यहां तो प्लानिंग का कोई श्रीगणेश ही नहीं हुआ है। आपने अखबारों में देखा होगा कि पूर्वी जिलों के लिये एक पटेल कमीशन बना था। वह पूर्वी जिलों में गया और उन्होंने अपनी विवेचना में लिखा है कि दो पंचवर्षीय योजना में पूरब में कोई काम ही नहीं हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के भी ३ साल हो गये हैं परन्तु कोई सुदृढ़ कदम नहीं उठाया गया है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि यही गति रही तो पूर्वी जिलों का विकास १५ सालों में उस स्तर पर पहुंचेगा जितना इस प्रदेश के और कतिपय जिलों में हैं। तो ऐसी स्थितियों में उन कठिनाइयों के होते हुये भी जब कि हम लोगों के सामने यह प्रश्न आता है कि योजनायें जो हैं वे कार्यान्वित नहीं हो सकीं साधनों के अभाव में, तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है जो योजनाएं हैं उनको जारी रखने के लिये। वैसे तो पटेल कमीशन की थोड़ी सी रिकमेंडेशन्स हैं लेकिन साधनों की कमी के कारण उन्हें भी लागू करना सम्भव न हो सका। यद्यपि हमारे मुख्य मंत्री ने प्रयास किया लेकिन आज तक इस सदन में कोई स्पष्ट घोषणा न हो सकी कि पटेल कमीशन की जो रिकमेंडेशन्स हैं उनको इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं या नहीं। तीसरे जो रिकमेंडेशन्स हैं वार्षिक खर्चा करने की उसमें खर्चा करने जा रहे हैं या नहीं। जहां तक उनकी इच्छा का प्रश्न है पूर्वी जिलों के प्रति भी उन्हें वैसा ही प्रेम और सहानुभूति है जैसा कि प्रदेश की सारी जनता के प्रति प्रेम है। वे पूर्वी जिलों का विकास भी चाहती हैं लेकिन जब तक केन्द्रीय सरकार साथ न दे तो थोड़ी बहुत सी रिकमेंडेशन्स पटेल समिति ने, जो की हैं, उनको इम्लीमेंट करने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो एकतरफा विवाद नहीं किया जा सकता। यह कहा जाय कि प्लानिंग चलाई जाय, विकास किया जाय और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय और साधनों को जुटाने के लिये हम मदद न दें तो यह हमारे लिये अन्याय-पूर्ण कदम होगा। यदि हम चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना तो जरूरी है कि हम इस विधेयक का समर्थन करें।

[श्री कृष्णानन्द राय]

मैं अपने क्षेत्र से लौटकर आया हूं। सब पूर्वी जिलों का दौरा तो मैंने नहीं किया है लेकिन जिस क्षेत्र से आया हूं वहां यह देखा कि अन्न का उत्पादन ६ आने भर हुआ है और एक दो महीने के बाद किसान के सामने खाने की कठिनाई पैदा हो जायगी। यह सुना है कि पूर्वी जिलों के लिये पायलट योजना चालू की जाने वाली है जिस से अन्न के उत्पादन में वृद्धि हो। तो स्वाभाविक है कि उसके लिये रुपये तथा साधनों की आवश्यकता होगी। इस विधेयक को उस पृष्ठभूमि में भी रख कर उसका विरोध हम नहीं कर सकते।

अभी जो बजट हमने पास किया है उसमें ११ करोड़ रुपये का घाटा है। उसे कहीं न कहीं से पूरा करना है। मेरा निवेदन है कि जनता की स्थिति अभी इस ढंग की नहीं है कि प्रत्यक्ष कर लगाये जा सकें। इस से जनता की कठिनाई बढ़ जाती है और झंझलाहट भी पैदा होती है। किसानों पर ४ आना लेवी लगा दी थी तो उनके दिमाग झुंझला गये थे और सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था। उसी तरह से भवन कर भी है और प्रत्येक नगर में उसके खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। उसको भी अच्छा है कि उठा लिया जाय और ऐसे उपाय निकाले जायं अप्रत्यक्ष करों को लगा कर जिससे बजट का घाटा पूरा हो सके। अभी सरकार ने ट्रकों द्वारा जो माल ढोया जाता है उस पर कर लगाया और उस से १ करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट, एक्साइज टैक्सेज हैं जिनके सम्बन्ध में विधेयक लाये जायं तो विरोधी दलों का भी सहयोग प्राप्त होगा और उनसे घाटे का बजट भी पूरा होगा।

माननीय कमला सिंह जी कानून तथा विधान का अध्ययन करते हैं। वह वकील हैं और हर विधेयक में उनको अहसास होता है कि हाईकोर्ट में जा कर वह अवैध डिक्लेयर न हो जाय। वकीलों के दिमाग की यह खूबसूरती होती है कि कमजोर से कमजोर केस पर भी कुछ न कुछ नजीर निकाल लेते हैं। ट्रकों पर माल ढोया जाता है, उस पर कर लगाने से कैसे वह अवैध हो जायगा जब कि पैसेंजर्स ढोये जाते हैं और उनसे यात्री कर लिया जाता है।

एक चीज और भी इस विधेयक में बहुत अच्छी है जिसका मैं स्वागत करता हूं और वह यह कि जितने ट्रक्स माल लेकर पास किये जायेंगे उन सबका रजिस्ट्रेशन होगा और इस कर को वसूल करने के लिये सब की बहुत काफी चेकिंग होगी। आज जो भी कीमतें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं उसका एक कारण स्मगलिंग है और स्मगलिंग का एक मात्र साधन ट्रक्स हैं जिनके द्वारा माल ढोया जाता है। आज दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक रात-रात ट्रकें गल्ला और दूसरा सामान ढोती हैं। अपने मार्केट में आप उन सामानों को नहीं पायेंगे लेकिन ट्रकों पर वह ढुलते चले जाते हैं और पता नहीं कि वह सब माल कहां जाता है। तो इस विधेयक के जरिये से जो पैसे की वसूली होगी वह तो होगी ही साथ ही साथ जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा उससे स्मगलिंग में भी रुकावट पैदा होगी जिससे यहां के भाव भी कुछ ठहरेंगे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिये से यह मालूम होता है कि ५ लाख रुपये कर अधिकारी के ऊपर खर्च किये जायेंगे। जो यात्री कर के अधिकारी हैं वे ही इस कर को भी वसूल कर सकते हैं। कर को कोषागार में जमा करने की बात है। यदि कोषागार में मालिक रुपया जमा करता है तो कोई खतरा नहीं है कि उसका किसी तरह गबन हो सकता है। साथ-साथ यह भी देखा जा रहा है कि कर अधिकारी को जो रुपया वसूल करने का अधिकार दिया गया है उसकी कोई सीमा नहीं है। कर अधिकारी अगर कहीं भाग जाय, फर्ज कीजिये पाकिस्तान ही चला जाय या गबन कर ले तो उसका पता लगाना मुश्किल है और उस अधिकारी से जमानत भी नहीं लेते। तो इसके लिये क्या किया जाय? हमारी गरीब जनता परेशान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और करों से दबी हुई है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उसके गम को दूर करे और यह शेर कह कर खत्म करता हूं—

गम में भी रहा एहसास तरब, देखो तो हमारी नादानी,
वीराने में सारी उम्र कटी गुल्जार की बातें करते हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो जो डिटेल में बातें हैं जब संशोधन आयेगा तब कहूंगा, पर यह जो विधेयक सरकार ने यहां प्रस्तुत किया है इसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी हमारे साथी कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि बजट की कमी को पूरा करने के लिये यह विधेयक है। लेकिन उद्देश्य और कारण में ऐसी बात नहीं है। मेरा यह कहना है और जनसंघ का भी हमेशा से यह कहना रहा है कि सरकार हम से जितना धन वसूल करती है उसको देखते हुये प्रदेश के विकास कार्य को चलाने के लिये अतिरिक्त कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार घाटे का बजट बनाती है जो बाद में जा कर सरप्लस हो जाता है। यह चीज पिछले कई सालों से बराबर चली आ रही है। कमी के नाम पर टैक्स लगाया जाता है और पैसे का दुरुपयोग होता है। इस तरह से जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन (Extra Burden) पड़ता है। इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिये यह बिल जो लाया गया है इसका विरोध होना चाहिये। इसके पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कि हमारी जनता के दिमाग पर हर समय कर वृद्धि की बात का प्रभाव पड़ता है। अभी-अभी सरकार ने यात्री कर बढ़ाया है। इसके सम्बन्ध में एक बात यह है कि १५ प्रतिशत तक कर बढ़ाने की बात रखी गई थी लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि पहले ५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगायेंगे और यह भी कहा था कि इस साल नहीं बढ़ायेंगे। लेकिन इस साल में ही १० प्रतिशत लगा दिया गया। श्रीमन्, इस कानून में भी इसी तरह की व्यवस्था है। सरकार वेग कानून बनाती है और कहती है कि अभी ५ प्रतिशत ही लगायेगी, क्यों नहीं सरकार कहती है कि ज्यादा लगायेंगे? श्रीमन्, मैं इस भावना का विरोध करता हूं और जो व्यवस्था इस बिल में की गयी है उससे एक्स्ट्रा बर्डन जनता पर पड़ने वाला है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस को पास न किया जाय।

इस में कुछ और बातें हैं। हमारे एक साथी ने माल के सम्बन्ध में किसी पशु का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश रोडवेज की जो बसेज चलती हैं उनमें अगर कुत्ता ले जाना चाहें तो यात्री को उसका पूरा किराया देना पड़ता है। लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद वह माल की तरह ट्रीट होगा तो इसमें विरोध भी है। ऐसे टैक्सों का बोझ गरीब जनता के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसको पास न होने दें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है और मेरी मंशा इसमें हिस्सा लेने की नहीं थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गईं जिनकी वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी कुछ कहूं। इसके सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये गये और दोनों विरोधी दलों की तरफ से हैं। यह बात दूसरी है कि एक पी० एस० पी० का है और दूसरा जनसंघ का है। एक साहब का कहना है कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय और दूसरा कहता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं नहीं समझता कि अब किसकी बात मानी जाय। जनमत संग्रह की बहुत विशद बात है। जब आपने टैक्स के सिद्धान्त को मान लिया और यात्री कर स्वीकार

[श्री नवलकिशोर]

कर लिया तो फिर इस की जरूरत नहीं है । कमला सिंह जी की बात यह हो सकती है कि अगर कोई चीज आये तो उसको टालने के लिये समिति को भेज दिया जाय । इसको इवेसिव पालिसी कहते हैं । मैं इसका विरोध करता हूं ।

मेरे दोस्तों ने कहा कि आप टैक्स बढ़ाते चले जाते हो । मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं । मेरे दोस्तों को याद होगा कि जब तीसरा प्लान बना था तो ४९७ करोड़ का बना था ।

४९७ करोड़ में यह अन्डर स्टैन्डिग थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार १४७ करोड़ अपने नये साधनों से , टैक्स के द्वारा या किसी प्रकार से निकाल कर देगी । १४७ करोड़ में ६५ करोड़ हो गया । तब भी ८२ करोड़ रुपया इकट्ठा करना है । मान लें कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस कंडीशन को वेव भी कर दे, ८२ करोड़ की, तो भी थर्ड फाइव इयर प्लान को पूरा करने के लिये ८२ करोड़ का प्रबन्ध करना पड़ेगा । हमें यह भी मालूम है कि जो चवन्नी रुपया लैंड रेवेन्यू पर बढ़ाया गया था उसको माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे कहने से वापस ले लिया है । उससे साढ़े ५ करोड़ रुपये का घाटा हुआ । जब हमने नियोजन को माना है उसमें अगर हम किसी स्कीम को काटते ह तो उसका असर आर्थिक स्तर पर पड़ता है । अगर्चे बजट में डेफिसिट न भी होता तो भी हमको नये साधनों को इकट्ठा करने के लिये अलग से टैक्स लगाने की आवश्यकता है । एक बात माननीय रक्षपाल जी ने कही कि आपका डेफिसिट बजट सरप्लस हो जाता है । यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है । इसको मैं भी मानता हूं । लेकिन डेवलपिंग इकानामी में सेंट पर सेंट श्योर बजट बनाया जाय यह भी संभव नहीं है । हमारी नीयत पर शक न कीजिये । हम डेफिसिट बजट इसलिये नहीं बनाते हैं कि उसकी आड़ में टैक्सेशन करना चाहते हैं । हम इतने कमजोर नहीं हैं । अगर टैक्सेशन करना पड़ेगा तो हम खुल कर कर सकते हैं । यह बात जाहिर है कि जो टार्गेट बना लेते हैं कभी-कभी उनको पूरा नहीं कर पाते हैं । बहुत से वजूहात होते हैं । कांस्ट्रक्शन के सामान की कमी या बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं । इसलिये पैसा बच जाता है । कभी-कभी टैक्सों का जो हम अन्दाज करते हैं उसमें बढ़ोत्तरी हो जाती है । इसलिये डेफिसिट बजट सरप्लस हो जाता है । इसलिये यह चार्ज लगाना मुनासिब नहीं है, हालांकि कोशिश यह होनी चाहिये । डेफिसिट बजट सरप्लस में तबदील न हो ।

एक बात माननीय कमला सिंह जी ने डिस्क्रिमिनेशन को कही । उनको डर लगा कि शायद कोई कांस्टीट्यूशनल बात हो । दो कैटेगरीज हैं, प्राइवेट कैरियर्स और पब्लिक कैरियर्स । उनके फंक्शंस भी दो हैं । प्राइवेट कैरियर्स इसलिये हैं कि जो बड़े-बड़े कारखाने या फर्म्स हैं उनका रा मैटिरियल या मैनुफैक्चर्ड सामान ढोते हैं । उसमें प्राफिट करने की गुंजायश या नीयत नहीं है । यह भी हो सकता है कि उनके कैरियर पर उतना काम हो जितना पब्लिक कैरियर पर होता हो, यह भी संभव है कि उनके पास कम काम होता हो । लेकिन रोड टैक्स में भी उनको १० परसेन्ट का कंसेशन दिया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं डिस्क्रिमिनेशन कह रहा था कम्पनी और प्राइवेट मालिक में ।

श्री नवलकिशोर—

यह तो उन्होंने और भी बात साफ कर दी । कम्पनी कारपोरेट बाडी है जिसमें बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं । माननीय कमला सिंह तो नेशनलाइजेशन की बात करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं । नेशनलाइजेशन के पीछे एक ही आधार है कि हम इंडिविजुअल प्राफिट को हटाकर अगर कम्यूनिटी को उसका ऐडवांटेज दे दें तो वह ज्यादा अच्छा होता है । हमेशा इनिडिविजुअल्स से जो कारपोरेट बाडीज होती है उनके लिये प्रेफरेंस दिया जाता है और उनको कंसेशन भी दिया जाता है । तो अगर कम्पनी का कैरियर है उसे हम कंसेशन देते है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

मैंने रुपये की बात नहीं कही थी। वहां तो यह है कि अगर वह यह साबित कर दें कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है या हमारी जानकारी में कोई गुनाह नहीं हुआ है और यह भी साबित कर दें कि हमने कोशिश की उसको रोकने की फिर भी वह गुनाह हो गया तो उसके लिये उनको छूट है। तो उनके लिये जैसे यह है वैसे ही अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी साबित कर दें तो उसे भी यही छूट मिलनी चाहिये।

श्री नवलकिशोर---

यह भी मैं मान लेता हूं। तो जो कारपोरेट बाडी है उसको इंडिविजुअल से ज्यादा इसमें भी मिलना चाहिये। इंडिविजुअल ज्यादा गलती कर सकता है, कम्पनी के अन्दर इसका इमकान कम है क्योंकि उसके अन्दर एक मैनेजमेन्ट की बात होती है। तो अगर ऐसा भी है तो उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। बहरहाल, मैं समझता हूं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात जिस हद तक आप समझते हैं वह है नहीं। लेकिन मैं इसका मतलब वही समझा था जो मैंने पहले बतलाया और चूंकि वह रोड टैक्स में भी है और इसमें भी वही बात दी है तो कोई आपत्ति की बात उसमें नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपने तो करप्शन का रास्ता खोल दिया। मैं नहीं समझ सका इस बात को। क्या कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है जिसमें कि करप्शन का रास्ता खोल दिया जाता है? इसमें तो एक चीज यह है कि जितने भी कैरियर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी होगा। इसके अलावा उनको जो एक एस्टीमेटेड इनकम है उसका ८० परसेंट जोड़ लेंगे। ८० परसेंट पब्लिक कैरियर्स में और ७५ परसेंट उनका जो प्राइवेट कैरियर्स है और उस पर पांच परसेन्ट का टैक्स लगा देंगे।

माननीय रक्षपाल सिंह जी ने कहा कि धोखे की बात रखी है। पांच परसेन्ट की बात कह रहे हैं और पन्द्रह परसेन्ट कर देंगे। मान्यवर, साफ लिखा हुआ है उद्देश्यों में कि हम ५ परसेन्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता १५ परसेन्ट तक जा सकता है। तो इसमें कोई धोखे की बात नहीं कही गई है। वह तो अल्टीमेट चीज है ही, क्योंकि जब सोशलिज की बात आप करते हैं तो सोशलिज्म हवा में नहीं आता। सोशलिस्ट सोसाइटी में हाइयेस्ट टैक्सेशन होता है और हाइयेस्ट ही नहीं, सही माने में इंडिविजुअल कोई चीज होती ही नहीं है। शायद बीबी होती हो इंडिविजुअल प्रापर्टी लेकिन शायद बीबी भी इंडिविजुअल प्रापर्टी मानी नहीं जाती है। तो सोशलिज्म की तरफ यह पहला कदम है, अभी कोई लम्बा चौड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। लिहाजा इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। साफ लिख दिया है कि पांच परसेन्ट लगा रहे हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता १५ परसेन्ट तक जायगा।

एक साहब ने कहा कि गल्ले की कीमत इससे बढ़ जायगी। मान्यवर, मैंने पढ़ा, क्लाज २ (बी) में है कि फूड ग्रेन्स पर टैक्स ही नहीं होगा। तो उसकी कीमत तो बढ़ती नहीं। अगर कोई मैन्यूफैक्चर्ड आर्टिकिल हो या कोई और कम्फर्ट और लग्जरी का आर्टिकिल हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जैसे कि मंत्री जी कह रहे हैं कि गंगाराम का बिस्कुट। तो मेरे कहने का मंशा यह था कि जो आर्गूमेन्टस आपने दिये वह उसके विरोध में ठीक हैं नहीं। आम तौर पर जो स्पीचेज हुईं उनमें कोई बहुत ज्यादा विरोध टैक्सेशन के प्वाइन्ट पर नहीं हुआ है, करप्शन की शिकायत लोगों को है और अगर यह अश्योरेंस दे दिया जाय कि पूरी कोशिश की जायगी इस बात के लिये कि करप्शन नहीं होने पायेगा, तो शायद मेरे खयाल से उनको टैक्स लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मैं आपको यह अश्योरेंस देता हूं कि....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

नन्दा जी ने दिया था .....

श्री नवलकिशोर —

शादी के पक्की होने और शादी होने में कुछ वक्त लगता है। तो अभी तो विजिलेंस कमीशन की बात नन्दा जी ने कही और दो साल का टाइम दिया तो कम से कम दो साल तक तो इन्तजार कीजिए। उसके बाद आप शोर मचा सकते हैं, मगर इतना मैं बता दूं कि नन्दा जी ने कहने के बाद पूरी सिन्सेयरिटी और आनेस्टी के साथ इस बात की कोशिश की है, डे इन और डे आउट कोशिश की है कि करप्शन खत्म हो और करप्शन को खत्म करने के लिये कोई कानून से काम नहीं चला करता। करप्शन को रोकने के लिये एक ऐटमास्फेयर आपको पैदा करना होगा और मैं तो आपसे कहूंगा कि बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, इसको रोकने में आप हमारा हाथ बटाइए। खैर, जो बात मैं कह रहा था वह यह कि अगर आपके विश्वास के विरुद्ध भी यह बात हो जाय कि करप्शन न हो, तो कम से कम आपको इस टैक्स के लगाने में कोई आपत्ति नहीं है और उस बात से मैं इत्तफाक करता हूं। मान्यवर, और जो बातें इसके अन्दर हैं उन पर सब बातें कहीं जा चुकी हैं .....

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि जो यह ५ परसेन्ट टैक्स लगायेंगे उससे सरकार को कितनी आमदनी होगी और जो ५ परसेन्ट यात्री कर लगाया गया है उससे कितनी आमदनी बढ़ी है ?

श्री नवलकिशोर—

यात्री कर का तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इससे १ करोड़ की आमदनी होगी यह अन्दाजा है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहां अन्दाजन १४ हजार गाड़ियां हैं जिनमें १ १/२ हजार प्राइवेट हैं और १२ १/२ दूसरी हैं। इसका औसत लगाया गया है कि इससे १ करोड़ की आमदनी होगी। बजट के अन्दर १ करोड़ के बजाय १ १/४ करोड़ की आमदनी होगी। यात्री कर का मुझे मालूम नहीं है। उसको मंत्री जी बतलायेंगे जब वह इसका जवाब देंगे। जो बातें कही गई थीं उनका जवाब देने के लिये मैं खड़ा हुआ था। मैं चाहता हूं इसको क्लाज वाइज पास कर दिया जाय। शारदा भक्त सिंह जी चले गये। उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और खासकर अपने बुजुर्गवार नवलकिशोर जी का। माननीय नवलकिशोर जी ने टैक्सेशन पालिसी और नियोजन की पालिसी का मौलिक सवाल उठाया। मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस दिन यह संशोधन पेश किया था कि कोई भी सरकार बिना टैक्स के चल नहीं सकती और आज भी इस बात को दोहराता हूं कि कोई भी सरकार बिना टैक्स के नहीं चलेगी लेकिन टैक्स के उपयोग को भी समझाना हमारा काम है और यह देखना चाहिये कि टैक्स का उपयोग किस हद तक होता है। मैंने एक बार सवाल किया वित्त मंत्री जी से कि जब से यह नियोजन का काम शुरू हुआ है तब से कितने परसेन्टेज टैक्स बढ़ाया गया यह बतलाने का कष्ट करें। तो पता लगा कि ४.६ टाइम्स टैक्स बढ़ाया गया है। चौगुना नया टैक्स लगाया गया है। पर कैपिटा इनकम इस प्रदेश की क्या है यह भी मुझको बतलाने की जरूरत नहीं है।

इस बात को कई बार नवलकिशोर जी ने इस सदन में कहा है। मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं। आज अच्छा मौका है कि उनके भी विचार समाजवादी हैं और हमारे विचार भी समाजवादी हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप वास्तव में समाजवादी हैं तो आप बैठकर सोचिये और हमको भी समझाने की कोशिश कीजिये। मैं कहता हूं कि अभी तक तो हमने आपके समाज-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाद को कागज पर देखा है और शब्दों में देखा है लेकिन समाजवाद की बात नहीं देखी। मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर आपका समाजवाद कैसा होगा? क्या यही टैक्स वाला आपका समाजवाद होगा? यह समाजवाद तो आपका चलने वाला नहीं है। अगर वह समाजवाद होगा तो वह नियोजित समाजवाद होगा। जिसमें जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होती तो वही समाजवाद होता है। अगर देश का गरीब टैक्स देने के लिये तैयार है, उसकी आजादी के लिये, नियोजन के लिये, तो उसका सही उपयोग भी होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह नये बजट का पहला टैक्सेशन प्रपोजल है।

जैसा नवलकिशोर जी ने बतलाया हमको तीसरे प्लान के लिये ८४ करोड़ रुपया और चाहिये। आपने अभी तक ६५ करोड़ रुपया खर्च किया। वह खर्च किस प्रकार हुआ इसका लेखा जोखा हमको चाहिये। उसका लेखा जोखा पाने पर ही हम यह ८४ करोड़ देने को तैयार होंगे। मैं इसे प्रवर समिति में सुपुर्द करने की बात इसलिये करता हूं कि वह देखे कि क्या यह टैक्सेशन सही है। उसमें तो पी० एस० पी० के लोग भी होंगे, आप भी होंगे और स्वतंत्र पार्टी के लोग भी, जिनको नियोजन में विश्वास नहीं है, होंगे। आप वहां उनकी बात सुनिये और अपनी बात उनको समझाइये। आज हमारे मुख्य मंत्री से इस प्रदेश के ही नहीं वरन् सारे देश के लोग परिचित हैं। नियोजन मंत्री जी से उनकी पटती भी है। गरम बात की वहां गुंजायश नहीं है। तो माननीय राममूर्ति जी और मुख्य मंत्री जी जो टैक्सेशन के लिये प्रथम चरण रखने जा रहे हैं उसे समझा तो दें हम लोगों को कि वह किस आधार पर है।

मैं कृष्णानन्द जी का आभारी हूं कि उन्होंने सुनियोजित नियोजन की बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। उनका गाजीपुर जिला पटेल जांच आयोग में सर्वप्रथम आया। उनको भी आश्चर्य है कि यह टैक्स सरकार किस आधार पर लगा रही है क्योंकि यह तो सारे प्रदेश में एक समान ही लागू होगा और सब बराबर से ही टैक्स देंगे। पटेल जांच कमीशन में सैम्पुल सर्वे के तौर पर चार जिले लिये गये थे और यह कहा गया था कि इसकी सिफारिशें सभी जिलों पर लागू होंगी। हमारी प्रार्थना है और मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे हमारी आवाज को केन्द्र तक पहुंचा दें कि इस प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास कार्य इतना आसान नहीं है। अगर उनका विकास होगा तो सभी का विकास होगा और सभी दल उससे फायदा उठायेंगे। लेकिन यह सारी बातें आज ओझल होती जा रही हैं और अगर इन बातों को ओझल करना है और विकास से कोई लाभ नहीं होना है तो क्यों टैक्स लगा रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि कमलासिंह जी ने ठीक ही कहा कि यह दो तरह के टैक्सेज की बात है—प्राइवेट ट्रक ओनर्स और पब्लिक कैरियर वाले। प्राइवेट लोग जो मिल-मालिक और बड़ी-बड़ी फर्म वाले हैं वे अगर अपना माल ढोते हैं तो उनसे एक-मुश्ती कर की उगाही की व्यवस्था की गयी है, जैसा कि उद्देश्य और कारणों में लिखा है। तो क्या प्राइवेट लोगों से भी यही कहा जायगा कि एक मुश्त दें? तरीका क्या होगा? यह जो फर्म रखा गया कि एक से ७५ फीसदी और एक से ८० फीसदी, यह ठीक ढंग से समझ में नहीं आता। इसलिये आप इसको प्रवर समिति में ले जायं। आप भी आपस में राय कर लें, मैं भी अगर कोई गलतफहमी होगी तो अपने आप को वहां करेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मेरा मत है कि जब तक प्रदेश में मौजूदा करों के आधार पर आप प्रदेश के नियोजन में तरक्की करके नहीं दिखाते, जितने टैक्स लगा रखे हैं उनका सदुपयोग करके पर-कैपिटा इनकम बढ़ा करके नहीं दिखाते हैं तो नियोजन के नाम पर टैक्सों की भर-मार लगाने से कोई लाभ नहीं होगा।

अन्दाजे बात भी कही, मैंने भी मान लिया, लेकिन ये टैक्स घटते क्यों नहीं? इसलिये नहीं घटते हैं कि लाल फीतेशाही में इन करों को बांधे रहते हैं। सारे करों को जनता तक पहुंचना चाहिये, लेकिन जो तरीका है आपका वह पहुंचने नहीं देता। वरना फायदा यह है कि बड़े लोगों से कर लो और जहां आवश्यकता हो वहां दो। यह करने के बजाय गरीबों से लेकर बड़ों तक पहुंचाने का रास्ता आपने खोल रखा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी० डी० ओज० के परसनल लेजर में कितना रुपया पड़ा रहता है जो इस्तेमाल नहीं होता। आप गये हैं संयोग से नियोजन

[श्री कल्पनार्थसिह]

का काम देखने । यह पी० डब्लू० डी० के अफसरों की क्या हालत है, सिंचाई के मुहकमे के लोगों की क्या हालत है ? वह रुपया खर्च नहीं होता । आखिर में जाते-जाते फिर सरप्लस, तो यह डेफिसिट बजट बनाना और फिर सरप्लस हो जाने का जो गोरखधंधा चलता है यह बन्द कराइये । ट्रांसपोर्ट मुहकमा तो वैसे ही बदनाम मुहकमा है, इसलिये मेरे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को मान लीजिये और बैठकर वहां विचार हो जायगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और अपने विचारों से लाभान्वित किया । माननीय नवलकिशोर जी और माननीय राय साहब ने मेरे काम को हलका कर दिया और बहुत सी बातों का जवाब दे दिया । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने प्रवर समिति में भेजने के लिये जो तर्क दिये उसमें कोई बात भी ऐसी कन्विन्सिंग नहीं है और ऐसी नहीं है जो तर्क से काटी न जा सके । नियोजन को आप मानते हैं, उसमें खर्चा होगा इसको भी आप मानते हैं, फिर रुपया आयेगा कहां से ? केवल टालने के मकसद से यह बातें कही गयी हैं ।

माननीय कमलासिंह जी ने पैसेन्जर टैक्स के बारे में चुनौती दी और कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं है कि उससे कितना रुपया वसूल हुआ है । मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसे देने के लिये तैयार हूं, किसी चीज को छिपाने की हमारी मंशा नहीं है । मैं आपको आंकड़े उसके देता हूं । अक्टूबर, १९६२ में हमने विधेयक पास किया था । अक्टूबर १९६२ से अक्टूबर १९६३ तक यात्री कर से १ करोड़ ८८ लाख के करीब वसूल हुआ । प्राइवेट सेक्टर से अक्टूबर १९६२ में २,०३,६८९.०३ रुपया वसूल हुआ । नवम्बर १९६२ में रु० १,८९,७२८.३४ नया पैसा वसूल हुआ । अक्टूबर नवम्बर में कुल रु० ३,९३,४१७.३७ नया पैसा वसूल हुआ । रोडवेज गाड़ियों से अक्टूबर, १९६२ में ५,१२,४३३.०७ रुपया वसूल हुआ और नवम्बर १९६३ में ५,१०,७११.७८ रुपया वसूल हुआ । इस तरह से कुल १०,२३,१४४.८५ रुपये दो महीनों में वसूल हुए इन दोनों सेक्टर में । इन दो महीनों में ५ परसेंट की वसूलयाबी हुई है । तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें छुपाने की क्या बात है । अगर माननीय सदस्य बजट को उठाकर देखते तो भी उनको पता चल जाता कि पिछले साल इससे कितना रुपया वसूल हुआ है और आगे कितना वसूल होने का अनुमान है । यह जो मालगाड़ी पर टैक्स लगाया जा रहा है इससे १ करोड़ रुपया वसूल होने का अनुमान है । कुछ कम ज्यादा हो सकता है । अतः जो दलील दी गयी उनके अनुसार प्रवर समिति में भेजने की कोई वजह मालूम नहीं पड़तीं । माननीय कमला सिंह जी ने क्लाजवाइज बातें कहीं, जब क्लाजवाइज डिसकशन होगा तब वे उन पर और प्रकाश डालेंगे, तभी उनका जवाब भी दिया जायगा ।

करप्शन की भी बात कही गयी । पहले से ही ऐसी चीज को प्रीज्यूम करके चलना उचित नहीं मालूम पड़ता है । दूसरे सूबों में जहां इस प्रकार का टैक्स लगाया गया है वहां से भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं आयी है । यात्री कर भी जो वसूल हो रहा है उसके सम्बन्ध में भी कोई शिकायत इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई है । आशा है माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे और इस पर क्लाजवाइज विचार प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ को तीन मास तक जनमत जानने के लिये जनता में परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ३ मास में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

परिभाषाएं २—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "कृषि उपज" का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे ;

(ख) "माल" के अन्तर्गत पशुधन भी है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(१) मनुष्यों के शव ;

(२) किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों का व्यक्तिगत सामान जो उसी गाड़ी द्वारा ले जाया जाय, यदि परिचालक (आपरेटर) द्वारा ऐसे सामान के ले जाये जाने के लिये कोई शुल्क न लिया जाय ;

(३) इंडियन पोस्ट आफिस ऐक्ट, १८९८ में यथापरिभाषित डाक के थैले ; ऐक्ट संख्या ६, १८९८

(४) परिवहन के लिये किसी रेलवे को पारेषित माल यदि ऐसा माल रेलवे की अपनी मोटर गाड़ियों द्वारा ले जाया जाय,

अथवा यदि इस प्रकार माल ले जाने का प्रबंध रेलवे द्वारा, दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एकीकृत रेल वहन के भाग के रूप में, सहायक सड़क व्यवस्था द्वारा किया जाय ;

(५) खाद्यान्न ;

(६) चारा, जिसके अन्तर्गत बिनौले, खली और अन्य रातिब (concentrates) भी हैं ;

(७) दूध ;

(८) खाद और उर्वरक;

(९) कृमिनाशक औषधियां (insecticides) ;

(१०) हल और कृषि-कर्म के ऐसे उपकरण, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे ;

(११) कृषि उपज, यदि वह ऐसी जुड़वां गाड़ी (articulated vehicle) या किसी ऐसे अन्य ट्रक्टर ट्रलर के संयोजन से ले जायी जाय जो एसी उपज के स्वामी का हो ;

(१२) वस्तुएं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सम्पत्ति हों ;

(१३) माल जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान में मार्गस्थ हो ; या

(१४) औजार और सज्जा (equipment) जो साधारणतया गाड़ी को चलाने के लिए प्रयुक्त किये जाते हों ;

(ग) "माल वाहन" का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन या निजी माल वाहन से है;

(घ) "परिचालक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम माल वाहन के अनुज्ञा पत्र में उस वाहन के अनुज्ञा पत्र धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञापत्र न हो तो उस व्यक्ति से है जिसके नाम में वाहन, मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और इसके अन्तर्गत धारा २० और २३ में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय माल वाहन का प्रभारी हो;

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(ङ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(च) "निजी माल वाहन" का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन से भिन्न किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो माल ले जाने के प्रयोग के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो लेकिन उसका प्रयोग केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाने के लिये किया जाय, और ऐसा माल ऐसे वाहन के स्वामी या परिचालक की सम्पत्ति हो और उसका ले जाया जाना ऐसे स्वामी या परिचालक के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जो परिवहन व्यवसाय न हो या किसी ऐसे वाहन से है जो मोटर वैकिहिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४२ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त की जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत—

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(१) मोटर कार; या

(२) ऐसी मोटर गाड़ी जो स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्व में हो

नहीं है ;

(छ) "सार्वजनिक माल वाहन" का तात्पर्य माल ले जाने के प्रयोग के लिये निर्मित या अनुकूलित किसी मोटर गाड़ी से है या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित अनुकूलित न हो, लेकिन उसका प्रयोग किराये पर अथवा पारितोषिक ले कर केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाने के लिये किया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत मोटर कैब नहीं हैं ;

(ज) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(झ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लगाये गये कर से है और इसके अन्तर्गत धारा ९ के अधीन भुगतान की गयी या भुगतान किये जाने के लिये सम्मत एक मुश्त धनराशि भी है;

(ञ) "कर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए कर अधिकारी नियुक्त करे, और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ के अधीन नियुक्त कर अधिकारी भी है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए एक से अधिक अधिकारियों को कर-अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९६२ ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(ट) "पद जुड़वा गाड़ी", "मोटर कैब", "मोटर कार", "मोटर गाड़ी" और "अनुज्ञा-पत्र" के वही अर्थ होंगे जो मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पद 'articulated vehicle', 'Motor cab', 'motor car', 'motor vehicle permit' के लिये दिये गये हों ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, सब्जी (आलू इत्यादि) खाने योग्य तेल वाले पदार्थ तेलहन, सरसों इत्यादि और अन्य ऐसी उपज से है जो खाद्यान्न तथा खाद्य के रूप में जैसा कि यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, १९४० में परिभाषित है, समझी जायगी ।"

कोई भी टैक्स लगाया जाय उसके बारे में यह साफ हो जाना चाहिये कि किन-किन चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है । अगर केवल कृषि उपज लिख दिया जाय और मनमाने ढंग से चाहे जिस चीज को इनक्लूड कर लिया जाय और चाहे जिस चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाय, यह तो उचित नहीं होगा ।

क्योंकि अमूमन कृषि उपज से तात्पर्य ऐसी चीज से है जो जमीन से उगायी जाय, चाहे वह अन्न के रूप में हो, चाहे तेलहन के रूप में हो, चाहे गन्ने के रूप में हो, चाहे पेड़ से फल के रूप में हो । यह मानी हुई बात है कि ऐसी चीजें ही कृषि उपज के अन्तर्गत आती हैं । इस सदन ने एक डेफिनिशन दिया है लेकिन विधेयक में कोई ऐसी बात न की गयी है जो सदन द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत आती हो । इसमें कृषि उपज की जो परिभाषा दी गयी है उसकी शब्दावली है— "कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे", मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें । सरकार जब चाहे किसी चीज को विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे वही कृषि उपज मानी जायगी, तब तो बात दूसरी है और वह ठीक है लेकिन शब्दावली में ऐसी कोई बात नहीं आयी है । अगर पुराने कानून को देखा जाय, या आप अपने लीगल ऐडवाइजर से राय लें तो वह यही कहेगा कि कृषि उपज की परिभाषा की जो शब्दावली है वह उचित नहीं है । जहां तक कृषि उपज का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, १९४०, के सेक्शन २ (२) में दिया हुआ है —

"Agricultural produce means the agricultural produce of an Agriculturist raised by him or by his servants or by labour hired by him and includes crops whether standing or gathered and the fruit and flowers of trees and plants."

ये चीजें हैं । मैं समझता हूं कि अगर इसके अलावा माननीय मंत्री जी और कोई चीज लाना चाहते हैं या डेफिनिशन के अन्तर्गत जो चीजें दी गयी हैं उनमें से कुछ निकालना चाहते हैं तो वे स्पष्ट रूप से इसको सामने लावें, वे अपने को छिपाना क्यों चाहते हैं । क्यों वे अपने अधिकारियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

के ऊपर छोड़ रहे हैं कि सरकारी अधिकारी जिस चीज के लिये निर्णय देगा वही उसमें इनक्लूड होगी या निकाल दी जायगी । सदन को ही इस पर विचार करना चाहिये कि किन चीजों पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं और किन चीजों पर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं । अगर वाकई में आप स्पष्ट नहीं हैं कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर टैक्स नहीं होना चाहिये या कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स होना चाहिये, तो इस विधेयक को इस सदन में लाना उचित नहीं होगा । आप अपने दिमाग को पहले साफ कीजिये । जब तक आप सही रूप में यह तय न कर लें कि किन-किन चीजों को आप कृषि उपज के अन्तर्गत मानते हैं और किन किन चीजों पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तब तक किसी किस्म का टैक्स लगाने के लिये कोई विधेयक पास करना उचित न होगा ।

एक आर्बिट्रेरी पावर दी गई है और उसमें लिखा गया है कि "कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे ।" जब कि आप के कानून में खुद ही एक परिभाषा दी हुई है जिस में सब चीजें आ गई हैं जो कि जमीन से पैदा होती हैं जो जमीन के अन्दर या पेड़ पौधों से पैदा होती हैं तो फिर आप सरकारी अधिकारी के हाथ में कौन सी चीजें देना चाहते हैं कि जिन को गजट में प्रकाशित करके बताया जायगा कि कौन-कौन चीजें उसमें इनक्लूड होंगी ।

मैं समझता हूं कि इतने से मंत्री जी को पूरी जानकारी हो गई होगी और मंत्री जी चाहें तो मैं यह परिभाषा भी उनके पास भेज दूं । अगर वह किसी चीज को बरी करना चाहते हैं तो साफ कहें कि किन चीजों को वह बरी करना चाहते हैं और किसी चीज को शामिल करना चाहते हैं तो साफ कहें ताकि कोई गलतफहमी या कोई कांस्टीट्यूशनल दिक्कत हमारे सामने न आये और यह विधेयक जो पेश किया गया है वह कहीं अल्ट्रावायरस न हो जाय । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन पर विचार करेंगे और जो संशोधन मैंने रखा उस पर वह गौर करेंगे और उसे मानेंगे ।

*श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह ने संशोधन पेश किया है और उसके साथ 'कृषि उपज' की परिभाषा का हवाला दिया है और उसको मानने को कहा है । यह तो डेट रिडेम्प्शन का कानून है और यह हमारा टैक्सेशन का कानून है । उसका हवाला देना कोई मेल नहीं खाता । उन्होंने कहा कि हम दिमाग में साफ नहीं है, हम दिमाग में साफ हैं आईने की तरह । जिन चीजों को हम छूट देना चाहते हैं उन सब की लिस्ट है, कृषि उपज का हवाला है जिन चीजों को उचित समझा जायगा उनको रखा जायगा । नम्बर ५ में चारे का भी अलग से दिया है । हमने लोगों के हित के लिये ही यह अधिकार रखा है, इस में फलेक्सिबिलिटी रखी गई है ताकि तिलहन और खाने की, चारे को जो चीजें जरूरी समझे उन को शामिल कर लें । मैं समझता हूं कि इतने से उन का भ्रम हट जायगा और आशा है कि वह अब अपने संशोधन को प्रेस न करेंगे और हमारे लिये इस संशोधन को मानना उचित न होगा ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, किसी बिल की परिभाषा ही ऐसी होती है कि उसकी जो नीति होती है कि जिसमें आगे चल कर हमारे अध्यक्ष महोदय की परिभाषा के अनुकूल समाज की बुद्धि का ठेका लेकर रहने वाला वकील वर्ग जीवित रहता है । परिभाषा ही बिल में ऐसी चीज होती है जिस को जब चाहे उलट पलट कर चाहे जैसे पेश कर दिया जाय । कहने वाले वकील, सुनने वाले वकील और वकीलों के गुरू । मार खाने वाले मोअक्किल और पैसा पाने वाले वकील, पैसा देने वाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मोअक्किल । वकालत का काम यही है कि पूछा गया कि डंडा कैसे चला, चमड़ा फट गया, डाक्टरी रिपोर्ट है । उन से पूछा जाय कि डंडा पड़ा तो खोपड़ी में बुद्धि की क्या हालत हुई तो उस वक्त वकील साहब की बुद्धिमानी धरी रह जायगी । यह तो जिस के सिर पर डंडा पड़ा वही बता सकता है । किसी भी चीज में आवश्यकता होगी तो वकील साहब खींचे जायेंगे । इस सदन में जो कार्यवाही हुई उस पर दुनिया भर के अखबारों ने आसमान सर पर उठा लिया । वकीलों ने ही वह मामला खड़ा किया उन्होंने बढ़ाया । और आज भी वकील ही इकट्ठा किये जा रहे हैं पूछने के लिये कि कौन से वकील बुलाये जायं । तो परिभाषा वाला अंग ही जुज है ।

श्रीमन्, कुछ ऐसी बातें आयी हैं इसमें जिन्हें केवल वकील साहबही समझ सकते हैं या उनके गुरू । मान लीजिये एक समय वह आया कि अपने प्रदेश की राज्य भाषा वास्तव में हिन्दी हो गयी, वास्तव पर मैं जोर देता हूं, क्योंकि अभी तक विधेयक हमारे पास है राज्यभाषा हिन्दी है मगर वास्तविकता नहीं हैं । अगर वास्तव में हिन्दी हो गई राज्यभाषा और तब यह विधेयक ऐक्ट के रूप में सामने आया और उस वक्त के वकील साहब पैसा अधिक ले कर कानून की उलट फेर करने में लपटे, आज जितने कर चुराये जाते हैं, मुझे माफ किया जाय, उसमें सबसे बड़ा हक होता है वकील का, वही चुरवाते हैं । अगर उन्होंने इसकी परिभाषा से हिन्दी की चिन्दी निकाली तो क्या परिणाम होगा आप सोच सकते हैं । मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना चाहता हूं वकीलों से कि इसका अर्थ क्या होते हैं । एक शब्द आया है धारा २ (११) में "जुड़ुवांगाड़ी", "आर्टिकुलेटेड वेहिकिल" । इसके क्या माने हुये ? यह माने हुये कि जो दो गाड़ियां एक साथ पैदा हुई हों । हिन्दी में यही मतलब होंगे, अब भगवान जाने वकील लोग क्या मतलब निकालेंगे । मगर साधारण व्यक्ति यही सोचेगा कि जो एक साथ पैदा हुये हों । जहां गाड़ी मैनुफेक्चर होती है वहां के फाटक से जो एक साथ दो गाड़ी निकलें वही जुड़ुवा हो गईं । आर्टिकुलेटेड शब्द अंग्रेजों ने बनाया जहां पहले गाड़ी बनी । आर्टिकुलेट का मतलब होता है गांठदार जानवर । अपने यहां देहाती में उसे भोड़िया कह दीजिये । तो हमारे वकीलों के गुरू साहब ने जब अर्थ किया तो जुड़वा धर दिया । उन्हीं महाशय ने नीचे शब्द रखा है ट्रेक्टर ट्रेलर से संयोजन । संयुक्त शब्द रख देते तो क्या बुराई हो जाती ? इसके स्थान पर गुम्फित रख देते तो क्या बुराई हो जाती ? सीधा सादा यह रख दिया होता जुड़ा हुआ तो कौन सी बुराई हो जाती ? जिस वक्त जुड़ुवा के सम्बन्ध में वकीलों के दिमाग काम करेंगे और ट्रक वाले अच्छी रकम वकील साहब की जेब में डाल देंगे तो मतलब यही लगाया जायगा कि मैनुफेक्चरर के कारखाने से बन कर एक साथ निकली हुई दो गाड़ी । इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो यह अमेंडमेंट है ही नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

कृषि उपज के बारे में है उसे भी सुन लीजिए । "या जो सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे ।" यह बड़ा भारी दायरा इस चीज का बना दिया कि जिस चीज को चाहे कृषि उपज में ले आये । स्पष्ट तौर पर आगे जब कुछ चीजों के बारे में लिखा गया है तो इस क्लाज को रखने की क्या जरूरत थी । ड्राफ्ट करते वक्त सोचा गया कहीं कोई चीज छूट न जाय और हमारी सरकार किसी गड़बड़ी में फंस न जाय इसलिये इस क्लाज को रख दो जिसमें दुनिया की कोई चीज भी हो वह उसमें आ जाय । आगे आप देखें कि पशु धन और आदमी का शव भी माल के अन्तर्गत है । इतना बड़ा हाथ पैर कर लो ताकि वकील साहब को गुंजायश न रह जाय । यह क्लाज इतना विस्तृत रखना केवल मात्र वकीलों के लिये है । इसमें लिमिट कर दी जाय कि इन इन चीजों पर टैक्स लगेगा और इन इन पर नहीं लगेगा तो वह निश्चित हो जायगा । उसमें वकालत नहीं चलेगी और न फिर दूसरे की जेब गरम करनी पड़ेगी ।

*श्री कमला सिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब की बात सुन कर आश्चर्य और दुख दोनों हुये । एक बात उन्होंने कही, जैसा कि मैंने भी कहा था कि मंत्री महोदय अपना दिमाग साफ कर लें और जब तक साफ नहीं करेंगे कोई भी विधेयक पास करा लें उसमें वकीलों की दाल गलेगी, वह सही बात होगी ।

अभी माननीय मंत्री जी ने यह समझाया कि खंड (ख) के (५) में खाद्यान्न दिया हुआ है । मैं भी जानता हूं कि खाद्यान्न है लेकिन खाद्यान्न की आड़ में सरकार कुछ चीजों का शिकार करना चाहती है, जैसे फल, फूल, केला आदि । सरकार चाहती है कि इन चीजों पर भी टैक्स लें । यह तो इंटरप्रेटेशन की बात है । इसीलिये मैंने डेफिनीशन पढ़ी कि प्लान्ट्स और ट्रीज के फल, फूल भी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आते हैं । आज कोई भी रेलों से फल, फूल, टमाटर, केला वगैरह नहीं भेजना चाहता क्योंकि ये चीजें बहुत थोड़े समय में खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं जिसके कारण उनके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं । इसलिये हर आदमी ट्रकों से ऐसे माल को भेजता है ताकि कम से कम समय में वह मंडियों में पहुंच जाय और उसे उसके माल के अच्छे दाम मिल जायं । लेकिन सरकार यह नहीं चाहती है । जब भी आप कोई कर लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं । एक तो रेल के जरिये से माल ढोया जाता है और दूसरे ट्रकों के जरिये । तो हमें दोनों के रेट्स देखने पड़ेंगे और अगर हम टैक्स लगा कर मोटर ट्रांसपोर्ट को रेल के मुकाबले में महंगा कर देते हैं तो नतीजा यह होगा कि हम रेल से माल भेजने के लिये लोगों को मजबूर करेंगे जिससे उनका सामान खराब होगा और अच्छी कीमत नहीं पा सकेंगे । इस तरीके पर आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर कुठाराघात करने जा रहे हैं । इसलिये अगर आप चाहते ह कि जनता का भला हो और जो चीज किसान पैदा करे उसकी ठीक कीमत पा सके तो यह जरूरी है कि खाद्यान्न के साथ-साथ कृषि उपज की जितनी चीजें हैं उन सब को आप बरी करें ।

खाद्यान्न के नाम पर जो आप आंख में धूल झोंकना चाहते हैं वह उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि इससे आप लिटिगेशन का एक रास्ता खोल रहे हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले तो टैक्सेशन कीजिये, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो कृषि उपज है, उसकी जो डेफीनीशन फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट में दी हुई है, उसे क्यों नहीं रखते हैं ? आप इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सरकार समय-समय पर जैसा निर्दिष्ट करेगी उसको मानेगी । जब डेफीनीशन दी हुई है और कृषि उपज में इन सब चीजों को मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खाई रह जायगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि खाद्यान्न से आप किसान को भुलावा नहीं दे सकते हैं । अगर आप सही माने में छूट देना चाहते हैं तो कृषि उपज की जो डेफीनीशन दी हुई है उसको मान लें जिससे किसी किस्म का भुलावा न हो सके । यह भी नहीं होना चाहिये कि अधिकार अपनी पावर से जिस चीज पर चाहें लागू कर दें और जिसको चाहें बरी कर दें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिये जिससे कोई नई बात पैदा हो जाय और दिक्कत हमारे सामने आ जाय । आप लीगल एडवाइजर से राय लेकर करें और चाहें तो स्थगित कर दें ताकि स्पष्ट डेफीनीशन आ जाय और किसी तरह का गैप न रहे जिससे कोई गड़बड़ी आगे होगी ।

*श्री हरीदत्त कांडपाल---

उपाध्यक्ष महोदय, कोई नई बात माननीय कमलासिंह जी ने नहीं कही जिसमें जरा भी विशेषता हो । कृषि उपज की परिभाषा रखने में किसी को नुकसान नहीं है । हमने एक्जेम्प्ट करने की बात अपने हाथ में रखी है । जैसे तजुर्बा बतायेगा उस हिसाब से हम छोड़ेंगे या लगायेंगे । माननीय सदस्य ने जो ऐक्ट का हवाला दिया है वह दूसरे परपज के लिये है और यह दूसरे परपज के लिये है यह बात समझ में नहीं आई लिहाजा कबूल नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, सब्जी (आल इत्यादि) खाने योग्य तेल वाले पदार्थ तेलहन, सरसों इत्यादि और अन्य ऐसी उपज से है जो खाद्यान्न तथा खाद्य के रूप में जैसा कि यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, १९४० में परिभाषित है समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, म प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं ---

"पशुधन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत"

श्रीमन्, खंड २ के उपखंड (ख) में माल के अन्तर्गत पशुधन भी है, यह चीज मंत्री जी ने लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जहां तक पशुधन का सवाल है, यह इसमें नहीं आ सकता है और कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। इसके आइटम नम्बर ५६ में दिया है कि ---

"Taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways."

यानी मंत्री जी ने पैसेंजर्स पर तो टैक्स लगा लिया है, लेकिन गुड्स पर बच गया था, उस पर अब लगाने जा रहे हैं। जहां तक गुड्स का सवाल है इसकी डेफीनीशन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३६६ में दी हुई है। आइटम १२ में दिया है कि ---

"Goods includes all materials and commodities and articles."

श्रीमन्, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ की धारा ३११ में यह चीज दी हुई थी। ३११ में डेफिनीशन जो है, ठीक उसी का रेपिटीशन इसमें भी किया गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ आइटम नम्बर ८ पर, सेक्शन ३११ के (२) में दिया गया है कि गुड्स इनक्लूड आल मैटीरियल्स, कमोडिटीज ऐंड आर्टिकिल्स (कमोडिटीज मीन्स गुड्स आर आर्टिकल्स आफ ट्रेड) आप डिक्शनरी में मानी देख लीजिये। इस तरीके पर आप जहां तक गुड्स का ताल्लुक है, गुड्स इनऐनिमेट आब्जेक्ट्स के लिए है, लिविंग बींग के लिए नहीं है। इस तरीके पर अगर आप गुड्स की डेफिनीशन को लेते हैं तो इसमें मानी यह हैं कि आप की क्षमता जो कानून बनाने की है उससे आगे जा रहे हैं। उसका जुरिस्डिक्शन आप को नहीं होता है। अगर आप नान लिविंग के खिलाफ या मैटीरियल्स के बारे में कोई कानून बनाएं या डेफिनीशन के अन्दर इनऐनिमेट आब्जेक्ट रखें तो आपकी क्षमता रहेगी लेकिन अगर आप उसमें पशुधन को रखेंगे तो आपका कानून अल्ट्रावायर्स होगा। अगर आप अपने अधिकारियों पर निर्भर करते हैं तो कानून क्या बनाएंगे? अगर सदन के अन्दर कोई भी बात करनी है तो आप खुले दिल से सही बात को रखिए। अगर आप किसी चीज पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो खुल कर कहिए।

तम्बाकू के लिए आपने कहा, आप लिख दीजिये तम्बाकू पर टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कानून सीमा के बाहर जायगा तो वही हालत होगी जो वित्त मंत्री की हुई है हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट ने उनके सारे विधेयक को खत्म कर दिया। जब कोई विधेयक सदन में आता है तो दिमाग से काम नहीं लिया जाता। जल्दबाजी में बहुमत के बल पर जो मन में आया कानून बना दिया। नतीजा यह होता है कि वह अस्ट्रावायरस हो जाता है और सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। सरकार को इसमें कोई शर्म नहीं है। वह कहेंगे कि लीगल आफिसर ने जैसा कहा वैसा बनाया। लेकिन मैं ऐसी चीजें सदन के सामने रख रहा हूं। कांस्टीटयूशन की धारा भी बतायी कि गुड्स का जो उसमें डिफिनीशन दिया हुआ है उसमें लिविंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

बींग शामिल नहीं है। अगर नहीं मानते हैं तो यह वाकई अल्ट्रावायरस होगा। मैं नहीं चाहता कि कल स्ट्रिक्चर्स पास हों। आप अपने लीगल आफिसर्स से फिर पूछ लें। अगर इस तरह की गलती होगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? इसलिए इस पर पूरा विचार कर लें कानूनदां आदमियों से काम ले लें। कांस्टीटयूशन के अन्दर गुड्स की परिभाषा दी हुई है उसके खिलाफ कोई कानून बनाते हैं तो अनकांस्टीट्यूशनल चीज होगी। इसलिए जो विधान सभा की सीमा है उसके खिलाफ न जायं नहीं तो यह विधेयक अट्रावायरस हो जायगा। पशुधन के निकाल देने से माल की परिभाषा ठीक हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करके इसको मानेंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय कमला सिंह ने संशोधन रखा है, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माल की परिभाषा में पशुधन रख कर सेल्फकंट्रेडिक्टरी होगा। जो मामूली तौर पर गुड्स की डेफिनीशन है वही रहनी चाहिए। पशुधन से क्या लीगल इम्पलीकेशन होगा, यह अवैध करार दिया जायगा या नहीं इस पर विचार कर लें। आप कहते क्या हैं ? क्या आपने खाद्यान्न को बरी किया। चारा जो पशुओं के लिए आवश्यक है, उसको बरी किया, दूध बरी किया है, खाद, उर्वरक को बरी किया है ? कृमि नाशक औषधियां, इनसेक्टिसाइड्स तो बरी हैं, फल इत्यादि बरी हैं, कृषि फार्मों के और भी दूसरे औजार इत्यादि बरी हैं लेकिन पशुधन जो कि कृषि के उपयोग में आता है उसको आप नहीं बरी करना चाहते। यह क्यों ? आप की परिभाषा स्वतः यह संकेत करती है कि कृषि की उपयोगी वस्तुओं को आप बरी करते हैं, लेकिन जो कृषि का साधन है, उस पर आप कर लगाने जा रहे हैं। आपके ही इन्टेंशन से जाहिर है कि पशुधन को आपको बरी कर देना चाहिए था और उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय साथी कमलासिंह जी ने कहा माल की परिभाषा के अन्दर से पशुधन को निकाल देना चाहिए। जो मूल उद्देश्य विधेयक का है उसकी रक्षा के लिए भी पशुधन को इससे बरी कर देना चाहिए। आय के साधन ढूंढ़ने के लिए यह उत्तर प्रदेश की सरकार तरह-तरह के उपक्रम कर रही हैं, जो बहुत उचित नहीं है। एक तरफ तो आप कृषि की उपज बढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं। कृषि की पैदावार में पशुधन का कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उसका भी आपको अनुभव है। दूसरी तरफ आप ऐसा एक विधेयक यहां स्वीकार करना चाहते हैं जिसमें पशुधन के आवागमन पर भी कर लगा रहे हैं। इस तरह से पशुधन के व्यापार, उसके मल्य में बढ़ोत्तरी होगी और इसकी मार गरीब किसानों पर पड़ेगी। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मन्त्रि-परिषद् के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वे इस प्रदेश के गरीब किसान मजदूरों की कठिनाइयों को नहीं समझ रहे हैं, वे रोजगारी लोग हो गये हैं जिनको उनकी कठिनाइयों का अनुभव नहीं हो रहा है। स्वयं मंत्रिगण व्यवसाय में लिप्त हैं। उनके परिवार के लोग लाइसेंस और परमिट में उलझे हुए हैं और उनकी आय के अनेक साधन हैं। वह समझते हैं कि आजादी के बाद वैसे ही आय के साधन इस प्रदेश के किसानों के हो गये हैं और वे किसानों की तकलीफों का अनुभव नहीं करते हैं। आये दिन इस आदरणीय सदन में इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि अमुक मंत्री ने अपने अमुक रिश्तेदार के नाम से अमुक चीज का लाइसेंस या परमिट लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैनेजर सिंह जी, यह चीजें तो इसमें नहीं आती हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

उपाध्यक्ष जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष का।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, क्लाज से सम्बन्धित जो बात हो वही कहिए।

श्री मैनेजरसिंह--

सम्बन्ध इतना है उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार के जो वरिष्ठसदस्य हैं उनके विवेक को मैं जगाना चाहता हूं। इस प्रकार के जो कर सम्बन्धी विधेयक यहां प्रस्तुत होते हैं उन पर उनको विचार करना चाहिए कि किसानों की आज हालत क्या है? यह पशुधन को टैक्स करेंगे तो इसकी मार पड़ेगी प्रदेश के गरीब किसानों पर। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या ये लोग यह अनुभव नहीं करते कि इस प्रदेश के किसानों की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है।

मैं इस सिलसिले में यह निवेदन कर रहा था कि आजादी के बाद इन लोगों के आय के साधन बढ़े हैं। शायद ये लोग यह समझते हैं कि इस प्रदेश के किसान के आय के साधन भी बढ़े हैं। आप भी उस संगठन के एक सदस्य हैं। अभी आपके यहां चुनाव हुआ है। उसमें कहा गया था कि कोटा परमिट वाले खड़े नहीं होंगे लेकिन वह आदेश वापस लेना पड़ा। इसलिये मैंने कहा कि कोटा परमिट में लिप्त लोग बिना कोटा परमिट वाले किसान मजदूरों की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा यह बहुत ही सरल संशोधन है। इसको आप स्वीकार करने की कृपा करें। पशुधन को इसमें से अलग कर दें। यों तो हम इस विधेयक के मूल उद्देश्य का ही विरोध करते हैं। एक तरफ तो प्रदेश के पूंजीपतियों को छूट देते जा रहे हैं। उनको टैक्स नहीं करना चाहते हैं। इन छोटे-छोटे किसान और मजदूरों के ऊपर आप सुई लगा कर खून लेना चाहते हैं लेकिन यह आपका ब्लड बैंक नहीं भरेगा। अगर आप इससे सन्तोष करना चाहते हैं तो करें लेकिन पशुधन को इनमें से निकाल दें। यह सीधा सा संशोधन है। जैसा कि माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि इसमें वैधानिक आपत्ति हो सकती है और हो सकता है उच्च न्यायालय में यह मामला जाय और वहां यह आपका कानून गलत साबित हो जाय और आपको फिर इस आदरणीय सदन में आना पड़े। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस सरल संशोधन को स्वीकार करें और विवेक से काम लें।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं कमलासिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इन पशुओं को बिल्कुल बेजान गिन लेना और उस श्रेणी में गिन कर उन पर भी कर लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सरकार ने यात्री कर लगाया है। इस समय वह माल कर लगाने का प्रस्ताव लाई है। इसी प्रकार से पशु के ऊपर भी कर लगाने का प्रस्ताव ला सकती है, परन्तु केवल एक नये कर को लागू करने के लिये इसमें जोड़ देना यह ठीक नहीं है। पशुकर की इसमें जो बात की गई उसमें कोई कर लगाने की संवैधानिक बात हमारे कमलासिंह जी ने बतलाई। वह बात सही है। इसके साथ-साथ इससे कई प्रकार की बात पैदा होने वाली है। मैंने प्रारम्भ में एक बात बतलाई थी जो प्रत्यक्ष अनुभव की बात थी। कुछ पैसेन्जर बस के अन्दर एक कुत्ता लिये जा रहे थे। वे लखनऊ से कानपुर जा रहे थे। वह अपर में बैठे थे। अपर में ही उनका कुत्ता भी बैठा था। तो उनको उस कुत्ते का भी अपर का किराया देना पड़ा। तो इस प्रकार से वह यात्री का कुत्ता भी माल बन जायगा। इसी प्रकार से एक पशु को माल समझकर गुड्स ट्रीट करना बिलकुल एक मौलिक गलती है। सरकार को यह समझना चाहिये। इसमें इसको जोड़ना ठीक नहीं है। कृषि के उपकरण में बैल

†[श्री रक्षपालसिंह]

भी आता है जो खेत को जोतता है। यह कृषि का महत्वपूर्ण उपकरण है। उसके लिये आप कहते हैं कि कर नहीं लगेगा परन्तु श्रीमन् पशुधन के ऊपर आप कर लगाने की बात करते हैं तो यह दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी बातें हैं।

तीसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में हरियाना आदि स्थानों से अच्छे अच्छे पशु आते हैं और उनको किसान रखता है, खरीदता है। अगर ५०० की भैंस पर आपने ७५ रुपये टैक्स के लगा दिये तो किसान को वह भैंस ५७५ रुपये की पड़ेगी, इसी प्रकार १,००० रुपये वाला बैल उसे १,१५० रुपये का पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा क्योंकि इस प्रदेश में अच्छी नस्ल के गाय, बैल और भैंस आदि बाहर से ही आते हैं। तो किसान पर यह जो आघात होता है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई खास अन्तर पड़ने वाला नहीं है। इसलिये आप इस संशोधन को मान लें और माल की परिभाषा से पशुधन निकाल दें क्योंकि पशु को निर्जीव बना देना भी ठीक नहीं है।

*श्री हरीदत्त कांडपाल--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी को जो भ्रम है कि यह वैधानिक तरीके से मान्य न होगा, वह मैं समझता हूं कि निर्मूल है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में भी पशुधन को माल की परिभाषा में दिया गया है और आज तक वह अपनी जगह पर कायम है। जहां तक इस ऐक्ट का ताल्लुक है इसके लिये यह एतराज आ सकता था कि एक ट्रेड में बाधा इसके द्वारा उपस्थित की जा रही है जो संविधान के मुताबिक हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिये प्राविधान है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से, उनकी पूर्व अनुमति प्राप्त करके हम ऐसा विधेयक ला सकते हैं और हमने राष्ट्रपति की आज्ञा ले ली है। इसका प्राविधान संविधान के आर्टिकिल ३०४ में है।

पशुधन को गाड़ियों में रोजगारी ही ले जाया करते हैं तो अगर उनसे ५ रुपया फी गाड़ी टैक्स ले लिया जायगा तो वह बहुत न होगा। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस अमेंडमेंट को वापस ले लें।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा कि माल की परिभाषा में पशुधन आता है। जब यह पहले से माल की परिभाषा में चला आ रहा है तो फिर "माल के अन्तर्गत पशुधन भी है" इसको लिखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि दूसरे कानूनों में माल में पशुधन आया है इसलिये उसे यहां रखना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह--

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि रोजगारी लोग ही यह करेंगे। तो क्या आप अनुभव करते हैं कि जो रोजगारी एक ट्रक बैल या गाय लाता है हरियाना साइड से और ले जायगा माल बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ तो जो अधिक करवेगा वह किसानों से अधिक पैसा लेगा या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, मंत्री जी अपने जवाब में उत्तर दे देंगे।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं कहने जा रहा हूं कि यह मंत्री जी की समझ के बाहर है। मैं बताऊंगा कि यह क्या है। मैं चुनौती के साथ मंत्री जी से कहता हूं कि अपने लीगल ऐडवाइजर से राय ले लें। आपने भी माना कि गुड्स की डेफिनीशन के अन्दर एनीमल्स नहीं आने चाहिए जिसके लिए गवर्नर से सैंक्शन ली है।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है। जिस खंड पर विवाद हुआ है उस पर मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, क्या पुनः उस पर विवाद हो सकता है?

श्री कमलासिंह यादव--

यह मंत्री जी की समझ के बाहर की बात है तो आप क्या इस पर कह सकते हैं? अगर कोई किसान या व्यापारी रोहतक से बलिया में माननीय मैनेजर सिंह के यहां कोई बैल ले जाता है तो टैक्स मैनेजर सिंह या व्यापारी देगा लेकिन अगर सरकार गाय और सांड़ ले जाती है छोड़ने के लिए तो विधेयक के अन्दर कौन सा प्राविधान बनाया है कि उनको छूट दी जायगी। गो सदनों के अन्दर हजारों गाय, भैंस, बैल रोज गाड़ियों पर लाद कर जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियों पर ले जाये जाते हैं तो उस टैक्स का कौन देनदार होगा और किससे वसूल करेंगे? इसलिए एक तरफ तो गवर्नर से से सैंक्शन ले ली, लेकिन विधेयक में कोई प्राविधान नहीं है। स्टेट गाड़ियों से बरी करने से वह नहीं होता। यह तो सरकारी काम से जितनी चीजें हैं, गोसदन से कोई सामान ले जाना चाहते हैं, गाय, भैंस तो जब तक आप एक्जेम्पशन इन चीजों का नहीं देंगे तो यह कानून कहां तक काम देगा? यह तो हर एक के लिए बना है। तो आप को कम से कम इतना करना चाहिए कि सरकारी गाड़ियों के द्वारा या सरकार के प्रयोजन के लिए या गोसदन के प्रयोजन के लिए या सरकार जिस तरीके पर कोई भी गाय, भैंस, सांड़ छोड़ना चाहती है, तो ऐसी चीजों के लिए या ऐसे परपज के लिए जो काम होगा उसको बरी करेंगे। सिर्फ सार्वजनिक चीजों के लिए कर दें तो उससे नहीं होगा। आप को डेफिनिट होना पड़ेगा। आपने जो गवर्नर से सैंक्शन ली है उसमें भी त्रुटि है। आपने ३०४ सेक्शन पढ़ दिया। मैं इस पर भी रूलिंग दे सकूंगा कि गवर्नर की सैंक्शन से यह चीज नहीं होती। गवर्नर को वही अधिकार है जो सदन को है। फर्क यह है कि गवर्नर जो कानून बनायेगा वह आर्डिनेंस के जरिये से बनायेगा और वह ६ महीने तक चलेगा, लेकिन जब सदन बनायेगा तो वह हमेशा के लिए कानून रहेगा। तो यह कह देना कि गवर्नर की सैंक्शन लेकर हमने यह किया है, यह कोई उचित बात नहीं मालूम होती।

*श्री हरीदत्त कांडपाल--

वास्तव में माननीय कमलासिंह जी को भ्रम है। मैंने गवर्नर शब्द नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। चूंकि इन्टर स्टेट से जब गाड़ियां आयेंगी, उन पर भी कर लगेगा, तो उसके लिये यह जरूरी था कि उनकी अनुमति ली जाती। पशुधन की बात नहीं थी। माननीय कमलासिंह जी ने जितना सीरियसली इस चीज को माना है, वह बात नहीं है। धारा ७ में हमने यह किया है कि यदि सार्वजनिक हित की दृष्टि से कोई माल ले जाया जायेगा तो राज्य सरकार उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। यह तो टैक्स भाड़े पर है। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मुझे आशा है माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) के प्रथम पंक्ति से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें :--

"पशुधन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं, श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (१) में शब्द "मनुष्यों" के बाद और "के" के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय :

"तथा पशुओं"।

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को ले जाकर बख्शी के तालाब पर कुछ चमड़ा तथा खाद्य आदि के इस्तेमाल को दिखाया गया था कि वह किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। उसको देख कर सदस्य बड़े प्रभावित हुये थे। अगर ऐसी चीजें बड़ी संख्या में हो जायं तो उससे प्रदेश का बड़ा भला हो सकता है। मृतक पशुओं का अगर हम इस्तेमाल कर सकें तो यह बड़ी सुन्दर बात है। मुझे वहां पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि वे लोग १० रुपये में मृतक पशु को खरीदते भी हैं। इस तरह की फैक्टरी अगर प्रदेश के कोने-कोने में खोल दी जायं तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। अगर मनुष्यों के साथ पशुओं के शव को भी बरी कर दिया जाय तो उससे लाभ हो सकता है। इससे जो लोग जूता वगैरह बनाने वाले हैं वह भी फायदा उठा सकते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को जो मृतक पशुओं की खाल, हड्डियों या चमड़े और उसके छोटे छोटे छिलकों से खाद्य तैयार करने का काम सीख रहे हैं एक मौका मिलेगा, चाहे वे शहर में हों या देहात में, कि वे पशुओं के डैड बाडीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मनुष्य के शव के लिये जो आपने कहा है वह तो ऐसा है जो किसी काम नहीं आता। लेकिन पशुओं के शव को काम में लाने के लिये विदेशों से मशीनें आई हैं। मनुष्य के शव के साथ अगर आप पशुओं का शव भी जोड़ देते हैं तो इससे फायदा ही होगा और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो काम सीख कर गांवों में जाकर या नये प्लान्ट्स लगाकर फायदा उठाने की कोशिश में हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी पशुओं के शव को भी जोड़ने की कृपा करेंगे।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई विशेष बात है तो उसके लिये राज्य सरकार को अधिकार देने जा रहे हैं और ऐसी बातें बाद में भी देखी जा सकती हैं। नहीं तो, एक दिन आपको ही शिकायत होगी कि कानपुर के करोड़पतियों को आप चमड़े का व्यापार करने का एग्जैम्पशन दे रहे हैं। लिहाजा आप इस बात को स्वयं सोचें कि इसका क्या नतीजा होने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि इस संशोधन को मेरे माननीय मित्र वापस लेने की कृपा करें।

श्री मैनेजरसिंह--

यद्यपि माननीय मंत्री जी को समझाना कठिन है फिर भी मैं अपने कर्त्तव्य पालन के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने मनुष्यों के शव को कर-मुक्त किया है वैसे ही पशुओं के शव को भी कर-मुक्त करने की कृपा करें। पहले अगर कहीं दूर इलाके में कोई पशु मर जाता था तो उसका शव वहीं सड़ता था या चील और कौवे उसे खाया करते थे। या वह वहां गाड़ दिया जाता था। हरिजनों की बहुत सी छोटी-छोटी सोसायटियों चर्म-शोधन के कार्य के लिये बनी हुई हैं जिन्हें ऋण और अनुदान की सुविधा प्राप्त हैं। पशुओं के शव पर कर का बोझ क्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टाटा-बिड़ला, या जे० के० या रामरतन गुप्ता के ऊपर नहीं जायगा ? उन पर यह सरकार कर नहीं लगा सकती क्योंकि उनके पैसे के बल पर ही तो यह टिकी हुई है। आज भी हरिजनों से ही आपको यहां बहुमत प्राप्त हो रहा है और जिस दिन वह समझ जायगा, उसी दिन आपकी सरकार यहां से उखड़ जायगी। मैं मंत्री जी की कमजोरी को समझता हूं। उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् में २, ३ को छोड़कर किसी में इतनी हिम्मत और क्षमता नहीं है कि अपने स्वतंत्र विचार को काम में ला सकें। जैसे सुग्गा पढ़ाकर पिंजरे में रखा जाता है वैसे ही हमारे सेक्रेटरी इनको पढ़ाकर यहां बिठा देते हैं। जब इधर से कोई सवाल पेश होगा तो वे चिट भेज देते हैं और मंत्री लोग उसे पढ़कर जवाब देते हैं। फिर कोई सवाल हो गया तो मंत्री जी का मुंह बन्द है। ऐसे मंत्रियों से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अपने विवेक से काम लेते हुये हमारी न्यायसंगत बात को मानें। अपना कर्त्तव्य पालन करते हुये मैं इस बात का अफसोस करता हूं :

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय मंत्री जी के प्रभाव से उधर के लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। तारीफ तो यहां तक है कि एक भी व्यक्ति उधर से इस का विरोध नहीं कर सकता है जो यह मुर्दे पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, और पशुओं के मुर्दे पर। वे लोग यह समझाते हुये भी कि यह टैक्स गलत है, इसका विरोध कर नहीं सकते। जहां आपने मनुष्य का शव जोड़ा है उसके साथ ही साथ यह भी तर्क है कि यह व्यापार हरिजनों का है, छोटा मोटा हरिजन थोड़ा बहुत इस कार्य को कर लेता है और उससे उनकी कुछ सहायता हो जाती है। वैसे तो आप हरिजनों की भलाई करने का ढोल बहुत पीटते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। इससे हरिजनों का व्यापार घट जायगा, यह बात माननीय मंत्री महोदय की समझ में नहीं आती है। जब माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि यह हरिजनों का व्यापार है और फिर भी वे टैक्स लगाना चाहते हैं तो इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा। आखिर वह तो कंज्यूमर्स को ही देना पड़ता है, व्यापारी को तो देना नहीं होता। व्यापारी तो उतना अधिक रुपया और उसमें जोड देता है और ग्राहक से वसूल कर लेता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जहां उन्होंने मनुष्य का शव एक्जेम्शन में रखा है वहां पशुओं के शव को भी रख दें ताकि हरिजनों के व्यापार में कोई कमी न होने पावे।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैनेजर्रासिंह जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। जहां उन्होंने मनुष्यों के शव के साथ पशुओं के शव को जोड़ने वाली बात कही है उसी के सम्बन्ध में मैं पहले दो तीन बातें कह देना चाहता हूं। जहां तक मनुष्य के शव के एक्जेम्ट करने की बात है, इसका पशुओं के शव से कोई सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य का शव किसी की प्रापर्टी नहीं होती जब तक कि मेडिकल कालेज किसी शव को खरीद कर उसे अपने संरक्षण में न लेले। इस तरह से यह स्वाभाविक है कि मनुष्य के शव के साथ पशुओं के शव को जोड़ना ठीक नहीं है। आम जनता की दृष्टि में मनुष्य के शव के साथ ही पशुओं के शव का भी एक्जेम्पट करना किसी हालत में भी सही नहीं है। हरिजनों के व्यापार की बात कह कर उनकी इस भावना को उभाड़ने की कोशिश की गयी है कि यह हरिजनों के अधिकार पर अतिक्रमण है, उनकी रोजी रोजगार में रुकावट डालना है और यह सरकार उनके ऊपर बहुत भारी अत्याचार कर रही है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। कानूनी नजर में भी हरिजन पशुओं के शव के मालिक तमाम यू० पी० ही क्या, हिन्दुस्तान में नहीं होते। वे तो एक तरह के मजदूर होते हैं जिनको चमड़ा कमाने की मजदूरी मिलती है और चमड़े का मालिक तो पशुवाला ही होता है। पहले से बहुत से हरिजन मरे हुये पशु का मांस भी खाते थे और उनको केवल दो आने मजदूरी मिलती थी। पशु का मालिक चमार से अपने लिये जूता तथा अपनी बीबी के लिये चप्पल या मोट देने के लिये कह देता था और उसका मालिक वही होता था। इस के सम्बन्ध में मैं हाईकोर्ट्स की सैकड़ों डिग्री दिखला सकता हूं कि चमार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

ने चमड़े की लगाम किसान को नहीं दिया तो उसके लिये वे दोषी समझे गये। इस तरह से मनुष्य का शव तो किसी की प्रापर्टी नहीं है लेकिन पशु का शव प्रापर्टी है क्योंकि उसके चमड़े से जूते बनते हैं, चप्पलें बनती हैं व दूसरे दूसरे सामान बनते हैं, उसकी हड्डी की खाद बनती है और तमाम पूंजीपति उसका फायदा उठाते हैं। कलकत्ते में तो ऐसा कारखाना है जहां मांस सड़ा कर कोई ऐसी चीज बनायी जाती है जो चमड़े की शक्ल की चीज होती है। तो यह संशोधन कोई ऐसा नहीं है जो बिना सोचे समझे ही रख दिया गया हो यह विधेयक का प्राविजन सोच समझ कर ही रखा गया है। इस में कोई ऐसी बात नहीं है, मनष्य के शव की बात इस में नहीं है। लेकिन जो पशुओं का शव है वह एक प्रापर्टी है, उस का स्वत्व है, उस का टाइटिल है उस का अर्थशास्त्र में स्थान है, उस की मानिटरी और पीक्यूनरी वैल्यू है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय सदस्य से जो भी भाषण कर रहे थे कि क्या आदमी की लाश की कीमत नहीं है और पशु की लाश की कीमत है और इसीलिये पशु की लाश पर टैक्स लगाया जाय।

श्री बेचनराम—

मैंने यह कहा कि कानून की नजर में आदमी के शव की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि लाश मेडिकल कालेज को पहले से सुपुर्द न कर दी गई हो लेकिन पशुओं के शव की कीमत है उन को एगजेम्ट नहीं किया गया है, उसकी मानिटरी और पीक्यूनरी वैल्यू है।

श्री मैनेजरसिंह—

सब के शव की कीमत है लेकिन शायद कांग्रेसी मनुष्य के शव की कीमत न हो।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब है यह सरकार तो अब बहुत ही उतारू हो गई है यह टैक्स हुआ या कोई आफत हो गई। अब कोई ऐसी तरकीब वह निकालें कि जब मनुष्य सांस ले तो उस पर भी टैक्स लगा दें। यह मरे हुये पशु पर टैक्स लगाया जा रहा है। हम तो कहा ही करते थे कि यह सरकार मुर्दे पर टैक्स लगायेगी, अब यह प्रत्यक्ष बात आ गई। लेकिन इस पशु के टैक्स का असर गरीब हरिजनों पर पड़ेगा जो कि चमड़े का काम करते हैं। इस मामले में सरकार अपने दिमाग को साफ करे। टैक्स लगाना है तो पूंजीपतियों पर लगायें, यह उल्टा टैक्स न लगायें। सरकार की टेढ़ी खोपड़ी में से ऐसे ही टैक्स निकलते हैं। इस पर सरकार उतारू न हो और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह कमला सिंह जी के सुझाव को मान लें।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

श्रीमन्, कुछ गलत फहमी मालूम होती है। असल में यह टैक्स तो उन लोगों पर होगा जो कि कारबार की शक्ल में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। सब से पहला काम उसका किराया अदा करना है, वह जो किराया अदा करेंगे तो उस पर कुछ टैक्स लगेगा। यह बहस दूसरी तरफ चली जा रही है और किसानों का और हरिजनों का जिक्र किया जा रहा है। हरिजन तो अपना चमड़ा कमाते हैं उन पर किराये का या किसी टैक्स का बार नहीं आता। उन के बाद जो कारोबार करने वाला है जो सामान को किराया देकर इधर उधर ले जाता है, ट्रक ले जाता है वह किराया देगा और उस किराये में थोड़ा बहुत टैक्स भी उस से लिया जायेगा। वह किराये पर लग रहा है उसके जो कारोबार करता है।

और अगर उसको आप एनकरेज करेंगे तो जो देहात में थोड़े से हरिजन फायदा उठाते हैं वह उससे महरूम हो जायेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो अभी स्पष्टीकरण दिया अगर यही वह पहले कह देते खुद तो बहस गलत डायरेक्शन में न जाती। पर शुरू में हरीदत्त कांडपाल जी से बिल पायलट कराया, यह उसी का नमूना है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी ने सफाई दी कि बहस गलत तरफ चली गयी, हरिजन पर कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में रानीगंज के अन्दर हरिजनों की एक सोसायटी है जिसमें २५, ३० हरिजन सदस्य हैं, वह ५,७ मील में मरे हुये पशुओं के चमड़े को अपने चर्म शोधन केन्द्र पर लाते हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं ? मंत्री जी जरा इसको बता दें ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जितनी बहस मैंने सुनी उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी बात मंत्री जी समझ नहीं सके, और मुझे ताज्जुब हुआ जब कानून के पंडित माननीय बेचन राम जी ने कहा कि मनुष्य का शव प्रापर्टी नहीं है, और जानवर का शव प्रापर्टी है । किसी अस्पताल में कोई भी आदमी मरता है अगर वह प्रापर्टी नहीं है तो आप जा कर किसी को दिलवा तो दीजिये । वह तो जो लावारिस मरते हैं सिर्फ उन्हीं की बाडी के लिये हैं, जिनके कोई एयर नहीं होते उनके शव को आप कह सकते हैं कि प्रापर्टी नहीं है । उसको जिस तरह चाहें डिसपोज आफ करें ।

अभी कारनियल ग्राफ्टिंग ऐक्ट बनाया है उसमें भी आपने लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी जिन्दगी में लिख देगा कि मेरी मृत्यु के बाद आंख निकाल ली जाय तो वह निकल जायगी । अब अगर प्रापर्टी न होती तो इसकी क्या जरूरत थी ।

मंत्री जी की तरह सरकार चाहती है कि मरे हुये पशुओं का लोग उद्योग करें और इसीलिये विदेशों से मशीनें मंगायी हैं । तो जो आदमी वहां जा कर सीख रहे हैं मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि हम लोगों को सरकार कुछ मदद देने की सोच रही है जिससे हम लोग छोटे छोटे प्लान्ट लगा कर गांवों में फायदा उठावें । जब कोई पशु मर जाता था तो खाल निकाल ली जाती थी और बाकी मांस और हड्डी फेंक दिया जाता था । और बेचन राम जी ने कहा कि कुछ लोग खाते भी थे । मैं इस डिटेल में तो जाना नहीं चाहता लेकिन यह जरूर है कि मैदानों में देखा है कि ऊपर का चमड़ा निकाल लिया जाता है और मांस और हड्डी मैदान में छोड़ दी जाती है जिससे बीमारी फैलती है । बदबू से आदमी का गांव में रहना मुश्किल हो जाता है । उस मांस और हड्डी का इस्तेमाल गिद्ध, चिड़ियां और कुत्ते करते हैं । आविष्कार से मालूम हुआ कि हड्डी और मांस मृतक भैंस और गाय का बड़ा लाभदायक होता है । उससे अच्छी खाद पैदा की जा सकती है । उस चमड़े से मोटे जूते बनते हैं देहात के लिये । उसको मशीनों के जरिये मुलायम से मुलायम बनाया जा सकता है और खून से अच्छी उर्वरक खाद बनाई जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस अमेंडमेंट के लिये ५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री कमला सिंह यादव--

एक तरफ तो सरकार यह स्कीम चला रही है कि पशुओं की हड्डी और चमड़े का अच्छा इस्तेमाल किया जाय ताकि अच्छा चमड़ा मिल सके और अच्छी खाद बन सके । दूसरी तरफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

सरकार मरे पशु पर भी टैक्स लगाना चाहती है। सरकार की दलील है कि वह भाड़े पर टैक्स लगाना चाहती है। एक आदमी फैक्ट्री खोलता है लखनऊ से १० मील की दूरी पर तो वह गाय भैंस की मरी हुई लाश माल वाहन के जरिये ही ले जायगा और भाड़े पर वह टैक्स सरकार को देगा। इससे आप बहुत ज्यादा रुपया इकट्ठा कर लेंगे ? इंडस्ट्री से देश को फायदा होगा। अगर थोड़ा सा रुपया छूट भी जाता है तो अधिक नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें मंत्री महोदय का दोष नहीं है। सिंघानिया के पैसे की तरफ उनकी निगाहें हैं। वह सोचते हैं कि गांव के मृतक पशुओं से बहुत बड़ा व्यापार होगा लेकिन नगण्य संख्या में उनकी मृत्यु होती है कुदरती तौर पर। और इस तरीके पर अपने प्लान्ट को चलाने के लिये वह करता है लेकिन आप उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यह कहते हैं कि हरिजन से इसका मतलब नहीं है और माननीय बेचनराम जी ने भी कहा कि हरिजन के हक का कोई सवाल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--

वह बात तो आपकी साफ हो गयी।

श्री कमलासिंह यादव--

लेकिन माननीय बेचन रामजी हरिजन तो हैं नहीं। वह तो गांव का अगर कोई हरिजन हो जो भूखों मर रहा हो तो आज भी गांव का हरिजन क्लेम करता है कि यह चीज हमारी है जो वहां का दस्तूर है उस तरीके पर रुपया या चमड़ा वगैरह देता है। तो माननीय बेचनराम जी का यह कहना कि हमारे राइट का सवाल नहीं है लेकिन गांव के वाजिबुलअर्ज में जो चीजें दी हुई हैं उसके मुताबिक....

श्री उपाध्यक्ष--

वह चीजें आप दस दफा कह चुके हैं। इतना रेपीटीशन नहीं होना चाहिये।

श्री कमला सिंह यादव--

माननीय बेचनराम जी के सामने यह चीजें नहीं आयीं....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आप बार-बार रेपीटीशन कर रहें हैं। मैंने पांच मिनट का समय बढ़ाया था। अब आपका भाषण समाप्त हो गया। माननीय परिवहन मंत्री।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अब कोई खास बात कहने की नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (१) में शब्द "मनुष्यों" के बाद और "के" के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं "तथा पशुओं"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष महोदय से आप यह बतला देंगे कि यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ जिसका मैंने जिक्र किया था वह मूल अंग्रेजी में था। उसकी ओरिजिनल कापी मेरे पास है। अगर चाहें तो मैं भेज सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (१) में शब्द "मनुष्यों" के बाद और "के" के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—"तथा पशुओं"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३६,

विपक्ष में—१०१ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ मई, १९६४ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे १३६ पृष्ठ पर)

सूची

१—श्रम विभाग के निरीक्षण में गुप्त मतदान द्वारा मिल की यूनियन का चुनाव किया जाय।

२—३३ मजदूरों पर दफा १४४ तथा १०७/११७ के अन्तर्गत जो मुकदमें चलाये जा रहें हैं उन्हें वापस लिया जाय।

३—चुनाव की मांग करने के बाद नौकरी से हटाये गये ७ श्रमिकों को काम पर वापस लिया जाय।

४—देवनन्दन मजदूर के घातक हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार किया जाय।

५—नैनी क्षेत्र से दफा १४४ अविलंब हटाई जाय और पुलिस के दमनचक्र से गरीब मजदूरों को बचाया जाय।

६—गुंडों के आतंक को रोका जाय, मजदूरों को शांति और इज्जत से काम पर जाने दिया जाय और मिल के भीतर काम करते समय कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा का प्रबंध किया जाय।

७—बढ़ती हुई महंगाई से राहत पाने के लिये कर्मचारियों के वेतन में ३० प्रतिशत वृद्धि की जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

भट्ठों की सूची—वर्ष १९६२–६३

क्रम संख्या	लाइसेंस नम्बर	नाम	स्थान
१	२	३	४
१	४१ अस्थाई	श्री चतुरसेन	.. नौगवांमुबारिकपुर, तहसील जलालाबाद ।
२	४२ ,,	श्री चतुरसेन	.. ग्राम टिकरी
३	४३ ,,	श्री अहिवरनसिंह	.. ढका उदरनपुर
		१९६३–६४	
१	४८ ,,	श्री ब्रिजकिशोर	.. ग्राम भरौमऊ
२	५१ ,,	श्री हरकिशोर रामरतन	.. ग्राम जमकापुर
३	५२ ,,	श्री बालकिशन टन्डन	.. ग्राम बन्डा
४	५३ ,,	श्री रामनाथ अग्रवाल	.. खुटार
५	५० ,,	श्री भारतभूषण	.. खुटार
६	४६ ,,	श्री मकबूल खां	.. कटे
७	४४ ,,	श्री सत्यसरन अग्रवाल	.. तिलहर
८	४५ ,,	श्री अमरनाथ सेठ	.. चिनौर
९	४९ ,,	श्री कमलेशचन्द्र भूतपूर्व एम०एल०ए०	पुवायां
१०	५४ ,,	जिला सहकारी संघ	.. बकांघाट
११	५५ ,,	जिला सहकारी संघ	.. निगोही
१२	५६ ,,	श्री रामचन्द्र जगदीश प्रसाद	.. कटरा
१३	५७ ,,	श्री रामचन्द्र	.. बड़ागांव

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

१–१–६४ से १५–३–६४ तक तहसील बांसगांव के सीमेन्ट के लाइसेन्सियों का विवरण (संख्या बोरों में)

लाइसेन्सी का नाम	कितना कोटा उठाया	कब कब कोटा उठाया
१	२	३
१—गप्पूलाल मुन्नी लाल बरहलगंज ..	४८०	२९–३–६४
२—सत्यनारायण बरहलगंज ..	१८२०	९/१, ४/२, १९/२, १०/३, २३/३, ६४ ।
३—गोपाल दास अनिरुद्ध कु० बरहलगंज ..	६००	१०/१, २९/१, ३/२, १३/२, ६४ ।
४—रघुनाथ प्रसाद मारकन्डे प्र० गोला	—	—
५—नन्दलाल जैसवाल गोला ..	१८००	३/१, २०/२, २९/३, ६४
६—रामचन्द्र प्र० कौड़ीराम ..	१०५०	३/१, ७/१, १०/३, ६४
७—विनोद कुमार प्रमोदकुमार बरहलगंज	७५०	३/१, १९/२, तथा २/३, ६४
८—मुन्नी लाल मोती लाल कौड़ी राम ..	—	—
९—बाल मुकुन्द भागी रथी उसवा ..	—	—
१०—विद्यानन्द ओम्प्रकाश कौड़ी राम ..	—	—
११—काशीलाल हरीलाल ..	—	—

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४६ पर)

अ० शा० पत्र संख्या २६६१/२६ ए०एफ०ए० क्यू १७/६३

श्री मु० जैनुद्दीन,
सहायक सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद (क) विभाग
दिनांक लखनऊ, २ मई, १९६४ ।

विषय : आजमगढ़ जिले की दो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को चोर बाजारी करने वालों को ही पुनः दिये जाने की शिकायत ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषय पर खाद्य मंत्री जी को संबोधित आपके पत्र दिनांक फरवरी १९, १९६४ के प्रसंग में मुझे यह निवेदन करना है कि जिला अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिससे निम्नांकित वस्तुस्थिति विदित हुई है:

१—मऊ की दुकान सं० १५ । यह कहना सत्य से परे है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी इस दुकान के विरुद्ध न्यायालयों में मुकद्मा चलाने को तत्पर हैं, क्योंकि स्वयं उक्त अधिकारियों से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

२—सहकारी संघ, मधुबन द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी सस्ते गल्ल की दुकान : यह सत्य है कि यह दुकान इस आधार पर पुनः दी गई थी कि वह सरकारी समिति की दुकान है और इसलिये उसे सुधार करने के लिये एक अवसर दिया जाना चाहिये । कुछ दिनों के बाद इस दुकान का जिला अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया, किन्तु उसके संचालन में कुछ त्रुटियां पाई गईं जिसके फलस्वरूप इस दुकान का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है ।

भवदीय,

० जैनुद्दीन,

श्री राम सुन्दर पाण्डेय,
एम० एल० ए०,
४६, बी० ब्लाक,
विधायक निवास, दारुलशफा,
लखनऊ ।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर)

मास	कोटा जो वितरण के लिये उपलब्ध था (बोरों में)	कोटा जो वितरित किया गया		वितरण की तिथि (देहाती क्षेत्र में)
		शहरी क्षेत्र (बोरों में)	देहाती क्षेत्र (बोरों में)	
१	२	३	४	५
अगस्त, १९६३ ..	१२,०००	१०,९७६	२,८९९	उपलब्ध नहीं
सितम्बर, १९६३ ..	१३,९५०	९,४५३	१,५०८	" "
अक्तूबर, १९६३ ..	१५,८७०	१०,०१९	१,४१०	प्रत्येक तहसील को २६-९-६३ को
नवम्बर, १९६३	११,१०६	९,५९५	१,४१०	प्रत्येक तहसील को ११-११-६३ तथा १४-११-६३ को।
दिसम्बर, १९६३	१४,४५०	९,४६७	१,४१०	प्रत्येक तहसील को ११-१२-६३ को।
जनवरी, १९६४ ..	१५,४६३	९,४१०	१,४१०	प्रत्येक तहसील को १०-१-६४ को।
फरवरी, १९६४ ..	१६,२००	११,२१९	१,७१०	प्रत्येक तहसील को १३-२-६४ को।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

तालिका—क

फार्मों के नाम	जिला
१	२
१—हस्तिनापुर	मेरठ
२—बाबूगढ़	मेरठ
३—माधुरी कुन्ड	मथुरा
४—हेमपुर	नैनीताल
५—अन्वेशनगर	खीरी
६—मंक्षरा	खीरी
७—नीलगांव	सीतापुर
८—निबलेट	बाराबंकी
९—भरारी	झांसी
१०—सैदपुर	झांसी
११—आराजीलाइन्स	वाराणसी

तालिका—ख

वर्ष	घाटे की रकम (रुपयों में)
१	२
१९४८–४९	२,८६,४८२
१९४९–५०	५,२०,७२४
१९५०–५१	४,३६,८२२
१९५१–५२	६,४७,३९५
१९५२–५३	८,४३,०२५
१९५३–५४	९,०१,९०३
१९५४–५५	३,०८,४८३
१९५५–५६	४,६६,६३९
१९५६–५७	४,९०,२२८
१९५७–५८	६,३७,२४७
१९५८–५९	३,७४,५४९
१९५९–६०	३,३८,९५४
१९६०–६१	१,६२,८२४
१९६१–६२	६,९९,८६१
१९६२–६३	१२,७८,१४९

तालिका—ग

फार्मों पर घाटे के मुख्य-मुख्य कारण—

१—ये फार्म विकास कार्य कर रहे हैं अतः इन्हें व्यापारिक संस्था नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन फार्मों सम्बन्धी लाभ हानि के खाते उसी भांति बनाये जाते हैं जैसा कि व्यापारिक संस्थायें बनाती हैं।

२—पिछले १५ वर्षों में कुल ८१.५९ लाख रुपये की हानि फार्मों पर हुई जिसमें २९.९५ लाख रुपये की वह धनराशि शामिल है जो मूलधन पर ब्याज के रूप में लगाई गई, तथा ३२.०६ लाख रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो कैपिटल असेट्स पर ह्रास के रूप में लगाई। यदि ब्याज की धनराशि को ही कुल हानि से अलग कर दिया जाय तो हानि केवल ५१.६४ लाख की रह जाती है।

३—फार्मों के लिये जो भूमि प्रारम्भ में ली गई थी उसमें से अधिकांश बहुत ही निम्नकोटि की थी। इस भूमि को अब काफी उपजाऊ बना लिया गया है तथा उसका वर्तमान मूल्य इसके प्राप्त करने के समय के मूल्य से काफी बढ़ गया है परन्तु इस बढ़े हुये मूल्य को फार्मों के लाभ हानि क खाते में दिखाया नहीं जाता। सन् १९५४–५५ में विभिन्न फार्मों की जमीनों का जो मूल्यांकन विभिन्न जिलाधीशों द्वारा किया गया उससे यह प्रकट होता है कि सरकार को इस कारण से लगभग ३५ लाख रुपये का लाभ हुआ है। परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, इस लाभ को फार्मों के लाभ हानि के खाते में दिखाया नहीं जाता।

४—य फार्म विकास कार्यों में संलग्न हैं और इनका मुख्य ध्येय उन्नतिशील बीज पैदा करके किसानों को देना तथा पशुओं की नस्ल सुधार कर उत्तम सांड़ पैदा करना है। इन विकास कार्यों को आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाता।

५—फार्मों की पशु शाखा में केवल दुधारू पशु ही नहीं रक्खे जाते। यहां पर दुहरे काम देने वाले हरियाना, थरपाकर, गंगातिरी, खेरीगढ़ तथा पांवर आदि जैसे क्रासपट नस्ल के पशु भी रक्खे जाते हैं। दूध न देने वाली नस्लों के पशु इन फार्मों पर इसलिये रक्खे जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अलाभकर होने के कारण इनकी नस्ल नष्ट हो जाय।

६—ये फार्म शहरों से दूर स्थित हैं जहां से दूध की बिक्री में कठिनाई होती है। दुग्ध उत्पादन तथा विक्रय मूल्य में लगभग ६ रु० प्रतिमन का अन्तर है और केवल इसी मद में प्रति वर्ष काफी हानि होती है।

७—इन फार्मों पर सिंचाई की सुविधायें अपर्याप्त थीं और वे धीरे धीरे प्रदान की जा रही हैं।

८—प्रारम्भ में जो कृषि यंत्र आदि फार्मों को दिये गये थे उनमें से बहुत से अप्रयोगशील थे परन्तु फार्मों के खाते में इन यंत्रों के मूल्य पर ब्याज तथा ह्रास सम्मिलित कर लिया जाता है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकत प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५४ पर)

प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिये सीमेन्ट तथा कोयले के औसत मासिक कोटे का विवरण

क्रम-संख्या	जिला	सीमेंट (मि० टन में)	साफ्ट, हार्ड व स्टीम कोयला (वैगन में)	कोल डस्ट (वैगन में)
१	२	३	४	५
१	देहरादून	५१०	३०	२४
२	सहारनपुर	६२०	२६	४४
३	मुजफ्फरनगर	५६६	१७	३५
४	मेरठ	१,१५४	७४	१२०
५	बुलन्दशहर	६५५	१७	४०
६	अलीगढ़	८७५	३१	४६
७	मथुरा	५०६	१६	२२
८	आगरा	१,५७६	८५	५४
६	मैनपुरी	५१६	६	१५
१०	एटा	५०६	७	१७
११	बरेली	७४३	२२	२४
१२	बिजनौर	३१६	६	२४
१३	बदायूं	४१४	५	१६
१४	मुरादाबाद	६७२	२८	५१
१५	शाहजहांपुर	३६२	५	१३
१६	पीलीभीत	३१६	५	१०
१७	रामपुर	४१४	८	१५
१८	फर्रुखाबाद	४१४	१७	१६
१६	इटावा	४६६	६	१७
२०	कानपुर	१,५५६	१३७	१४१
२१	फतेहपुर	२२८	४	८
२२	इलाहाबाद	१,३७०	८५	५५
२३	बांदा . ..	२५२	२	३
२४	हमीरपुर	२४८	४	८
२५	झांसी	३०३	६	४

क्रम संख्या	जिला			सीमेन्ट (मि० टन में)	साफ्ट, हार्ड व स्टीम कोयला (वैगन में)	कोल डस्ट (वैगन में)
१	२			३	४	५
२६	जालौन	..	..	२८०	४	५
२७	वाराणसी	..	..	१,१४४	८७	५९
२८	मिर्जापुर	..	..	२२५	७	८
२९	जौनपुर	..	..	५१७	९	१७
३०	गाजीपुर	..	..	४२९	६	१४
३१	बलिया	..	..	५६१	६	१९
३२	गोरखपुर	..	..	६८५	१६	२३
३३	बस्ती	..	..	४६४	६	१६
३४	आजमगढ़	..	..	५४६	८	२५
३५	देवरिया	..	..	५३३	१२	१८
३६	नैनीताल	..	..	५१४	११	२
३७	अल्मोड़ा	..	..	२५२	३	..
३८	गढ़वाल	..	..	२१४	३	२
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	..	१७३	२	..
४०	लखनऊ	..	..	१,५४०	१०५	७०
४१	उन्नाव	..	..	३०७	५	५
४२	रायबरेली	..	..	२१६	४	१३
४३	सीतापुर	..	..	३४३	५	१४
४४	हरदोई	..	..	३४३	६	१०
४५	खीरी	..	..	२९९	३	१०
४६	फैजाबाद	..	..	४१५	१५	२५
४७	गोंडा	..	..	३२८	५	१४
४८	बहराइच	..	..	२१६	४	१२
४९	सुल्तानपुर	..	..	२१६	५	८
५०	प्रतापगढ़	..	..	२१६	३	८
५१	बाराबंकी	..	..	२८४	५	१६
५२	चमोली	..	..	७४	१	..
५३	उत्तरकाशी	..	..	४०	१	..
५४	पिथौरागढ़	..	..	२९	१	..

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

टाउन एरिया रामनगर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को प्रारम्भ से १२ फरवरी, १९६४ तक वितरणार्थ दिये गये अनाज तथा उसके मूल्य का व्योरा

नाम दूकानदार	दिनांक	किस्म अनाज	मात्रा	मूल्य
				रु० नये पैसे
१—श्री गया प्रसाद	२४-१-६४	गेहूं	५० क्विंटल	५००९.५०
,,	२४-१-६४	चावल	२५ ,,	१४०९.००
,,	२५-१-६४	आटा	८ क्विन्टल ९० किलो	४०५.७०
,,	६-२-६४	गेहूं	७५ क्विन्टल	३०१४.२५
,,	१२-२-६४	आटा	७५ ,,	३४४८.४०

२—चूंकि सर्वश्री पाटन दीन शम्भू लाल की दुकान १२ फरवरी, १९६४ के उपरान्त खोली गई, अतः उस दुकान से सम्बन्धित वांछित सूचना शून्य है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर।)

सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी की दुकानों के लाइसेन्स देने के नियम

१--सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेन्स देने के नियम--

(१) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान किसे दी जाय तथा किस क्षेत्र अथवा स्थान में खोली जाय, इसके निर्णय का अधिकार जिलाधीश को है। उक्त अधिकारी किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में दुकान खोलने के सम्बन्ध में जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति से परामर्श करता है। इन दुकानों का आवंटन (Allotment) जिलाधीश द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है :

(क) खाद्यान्नों को खरीदने के लिये उसके पास आवश्यक पूंजी हो।

(ख) वह ईमानदार तथा व्यवहार में पाक साफ हो।

(ग) ऐसा व्यक्ति हो, जो चोरबाजारी न करे तथा अपनी दूकान को सुचारुरूप से चला सके।

(घ) भूतपूर्व सरकारी सस्ते गल्ले के व्यापारी जिनका कार्य अच्छा रहा हो और जिनके विरुद्ध कोई शिकायत न हो।

(च) वर्तमान सहकारी समिति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा उनका कार्य ठीक ढंग से चल रहा हो।

(२) दुकान के आवंटन (Allotment) में प्राथमिकता देने का क्रम निम्नलिखित है :

(क) उपभोक्ता सहकारी समिति।

(ख) ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में।

(ग) शिक्षा संस्था।

(घ) व्यक्ति।

भूतपूर्व सैनिक तथा वर्तमान सैनिकों के परिवार के सदस्य, विस्थापित स्वर्णकार (Displaced Goldsmiths), हरिजन, राजनैतिक पीड़ित जिनमें आई० एन० ए० के भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं। पिछड़ी जाति के लोग, व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह लोग दुकान को ठीक ढंग से चला सकें तथा जिस क्षेत्र या स्थान में दुकान खुलनी हो, वहां के निवासी हों।

(३) प्रत्येक दुकानदार को उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारियों को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६३ के अन्तर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है एवं अनुबंध पत्र (Agreement form) भरना पड़ता है तथा उसमें सम्मिलित शर्तों का पालन भी करना पड़ता है।

२--चीनी के फुटकर विक्रेताओं के नियुक्ति संबंधी नियम--

चीनी के फुटकर विक्रेताओं को नियुक्त करने का अधिकार जिलाधीश को दिया गया है कि वह कितने व्यक्तियों को चीनी का फुटकर विक्रेता नियुक्त करे। कहां पर दुकानें खुलें यह सब उसी की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। उसे मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार की ओर से जो आदेश दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं--

१--नगरों में दुकानें इस प्रकार खोली जायें कि ४,००० से ५,००० यूनिट वाले क्षेत्र में एक दुकान अवश्य खुले ।

२--ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक फुटकर शक्कर की दुकान खुलनी चाहिये । फुटकर विक्रेता उसी न्याय पंचायत का होना चाहिये जिस न्याय पंचायत में दुकान खुले ।

वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार दुकानें निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर खुलनी चाहिये --

१--प्राइमरी कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स तथा अन्य रजिस्टर्ड सहकारी समितियां ।

२--विस्थापित स्वर्णकार ।

३--सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें ।

४--कोई अन्य व्यक्ति जो वर्तमान शक्कर नियंत्रण के पूर्व शक्कर या फुटकर कारोबार करता रहा हो ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर।)

तालिका

इस पत्र में निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं—

गाजीपुर के जेलर ने करीब ५०० रुपये का गबन तरकारी के बेचने में किया है। जैसा कि—

(१) चौदह गाड़ी गोभी गाजीपुर की जनता को कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड में बेंची गई पर जेल रिकार्ड्स तथा गेट बुक में उसका रुपया दर्ज नहीं किया गया।

(२) दो गाड़ी गोभियां जंगीपुर की बाजार में बेचने के लिये भेजी गईं पर इसका भी रुपया जेल रिकार्ड्स या गेट बुक में दर्ज नहीं हुआ।

(३) २०० गोभी के फूल पुलिस लाइन्स के हिन्दू मेस में केवल १८ रुपये में बेची गईं। यह रुपया जेलर ने लिया लेकिन गेटबुक में दर्ज नहीं किया गया।

(४) तीन हजार गोभियों का एक खेत एक खटिक को बेंचा गया और वह गेट बुक में नहीं दिखलाया गया।

(५) इसके अलावा बहुत सी वस्तुओं का बेंचा जाना जैसे कि पत्ता गोभी (लाल) मूली इत्यादि भी गेट बुक में नहीं दिखलाई गई।

(६) बहुत सी वस्तुओं और कई हजार की गोभियां बेचने पर केवल ९ सौ गोभियां गेट बुक में दर्ज की गई हैं।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में उल्लिखित १७२ न्याय-पंचायतों में खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का ब्योरा ।

प्रश्नकर्त्ता के दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में जो सूचना दी गई थी, उसमें १७२ न्याय पंचायतों का उल्लेख था। किन्तु वास्तव में यह संख्या १७१ थी। इन १७१ न्याय पंचायतों में से ९४ न्याय पंचायतों में दुकानें चल रही हैं जिसका ब्यौरा संलग्न सूची† संख्या १ में दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त ४६ न्याय पंचायतों में दुकानें स्वीकृत कर दी गई हैं, जिनका ब्यौरा भी संलग्न सूची† संख्या २ में दिया हुआ है। शेष ३१ न्याय पंचायतों में अभी तक दुकानें नहीं स्वीकृत हुई हैं ।

---

†सूची छापी नहीं गयी ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८० पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

यू० पी० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

यू०पी० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की धारा ३ कक का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

कुछ विज्ञप्तियों तथा उनके अनुसरण में किये गये कार्य का वैधीकरण

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी की गयी कोई विज्ञप्ति जिसमें कर की दर घोषित की गयी हो और जो मूल अधिनियम की धारा ३-कक के अधीन अभिप्रेत हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन जारी की गयी समझी जायगी, और किसी न्यायालय की किसी निर्णय, बिक्री अथवा आज्ञा के होते हुये भी—

(क) कोई ऐसी विज्ञप्ति सदा से ही वैध समझी जायगी, और

(ख) की गई कोई बात या क्रिया जिसमें दी गई कोई आज्ञा, की गई कोई कार्यवाही, जारी किया गया कोई निर्देश, प्रयुक्त कोई क्षेत्राधिकार, किया गया कोई कर-निर्धारण और लगाया गया या वसूल किया गया कोई कर भी शामिल है, जो ऐसी विज्ञप्ति के अनुसरण में की गयी अभिप्रेत हो, वैध रूप से एवं विधिवत की गयी समझी जायगी ।

कुछ मामलों में कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन ।

४—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी ने किसी कार्यवाही में किसी कर के निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने को केवल इस आधार पर रद्द अथवा परिवर्तित कर दिया हो कि धारा ३ में निर्दिष्ट कोई विज्ञप्ति अवैध थी तो कार्यवाही का कोई पक्ष अथवा बिक्री-कर कमिश्नर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ९० दिन के भीतर उस न्यायालय या प्राधिकारी को कार्यवाही के पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त वह न्यायालय या प्राधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन करके पहले दी गयी आज्ञा को परिवर्तित या पुनरीक्षित करते हुये ऐसी आज्ञा दे सकता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३-फक के अधीन, राज्य सरकार ने कुछ विज्ञप्तियां जारी की हैं जिनमें उक्त धारा में उल्लिखित माल पर कर की दरों की घोषणा की गयी है । हाल ही के एक निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि वर्तमान धारा ३-फक्क द्वारा राज्य सरकार को उक्त धारा में उल्लिखित माल पर कर की दरों की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । सन्देह को दूर करने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि उपर्युक्त धारा संशोधित की जाय और वह अधिकार जो वर्तमान उपबन्धों में अन्तर्निहित था, राज्य सरकार को विशेष रूप से दे दिया जाय । यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा के अधीन अब तक की गयी कार्यवाहियां वैध कर दी जायें ।

अतएव, यह विधेयक, पुरः स्थापित किया जाता है ।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री ।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-कक जिसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

"३-कक---(१) धारा ३ या ३-क में किसी बात के रहते हुये भी, निम्न-लिखित मालों के विक्रय-धन पर व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर बिक्री-कर नहीं लगेगा तथा कर की दर दो नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी :--

कुछ मालों के सम्बन्ध में कर की दर तथा अवस्थान (Rate and point)

(१) कोयला, जिसके अन्तर्गत कोक अपने सभी रूपों में है,

(२) रुई, अर्थात् सब प्रकार की रुई (देशी अथवा विदेश से आयात की हुई) अपनी कच्चे माल वाली अवस्था में, चाहे ओटी हो अथवा न ओटी हो, गांठ बनाई गई, दबाई गई, लेकिन इसके अन्तर्गत छीजी रुई (cotton waste) नहीं है ।

(२-क) रुई का सूत, किन्तु उसके अन्तर्गत छीज हुआ रुई का सूत नहीं है ।

(३) खालें तथा चमड़े (hides and skins) चाहे कच्चे हों अथवा परिशोधित अवस्था में हों ।

(४) लोहा तथा इस्पात, अर्थात्--

(क) कच्चा लोहा (pig-iron) तथा लोहे को क्षेप्य (iron scraps),

(ख) लोहे की प्लेटें (iron plates) सीधे उसी रूप में बिक्री जिसमें वे रोलिंग मिलों (rolling mill) में बनी हों,

(ग) इस्पात का क्षेप्य (steel scrap), इस्पात के पिन्ड (steel ingots), इस्पात पिंडक (steel billet) इस्पात के सीकंचे (steel bars) तथा सरिया (rods),

(घ) (१) इस्पात की प्लेटें (steel plates)
(२) इस्पात की चादरें (steel sheets)
(३) शीट बार (sheet bars) तथा टीन की सरिया (tin bars)
(४) रोल किये हुये तथा इस्पात के भारी टुकड़े (rolled and steel section)
(५) टूल अलाय स्टील (tool alloy steel)

} उसी रूप में बिक्री जिसमें कि रोलिंग मिलों से सीधे बनते हैं ।

(५) पटसन, अर्थात् कोरकोरस (corchorus) कैपसूलेरिस तथा कार्कोरस ओलोटोरियस उन जातियों से निकाले गये रेशे (fibre) तथा हिबिसकस कैनापिनस (hibiscus cannapinus) तथा हिबिसकस सब डेरी फेबर एलटिस्मा (hibiscus asabdariF-avar altissima) उपजातियों से निकाले गये रेशे जिनको मेस्टा या बिमली (mesta or bimli) कहा जाता है चाहे उनकी गांठें बनायी गई हों या न बनाई गई हों,

(६) तिलहन (oil-seeds) अर्थात् ऐसे तिलहन जिनसे मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले, न उड़ने वाले (non-volatile) तेल निकाले जाते हों, या जो उद्योग में अथवा वार्निस, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के निर्माण में, अथवा स्नेहन (lubrication)

के लिये प्रयुक्त किये जाते हों तथा ऐसे उड़ने वाले तेल जो मुख्यतः औषधियों, सुगंधियों, शृंगार प्रसाधनों (cosmetics) तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हों ।

(२) जब तक कि व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त व्यापारी द्वारा की गयी प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गई बिक्री समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण--उपधारा (१) में निर्दिष्ट माल की किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को, जो उसे उसी दशा में फिर से बेचने के लिये नहीं खरीदता जिस दशा में उसने खरीदा हो, अथवा किसी गैर रजिस्टर्ड व्यापारी को, बिक्री इस धारा के प्रयोजनों के लिये उपभोक्ता बिक्री समझी जायगी ।"

सत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८५ पर)

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४

ऐक्ट संख्या ८, १८७३।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार।

१--(१) यह अधिनियम नार्दर्न इंडिया या कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १ अक्तूबर, १९६४ से प्रचलित होगा।

नयी धारा ३६-बी तथा ३६-सी का बढ़ाया जाना

२--नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३६-ए के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें--

"36-B. (1) There shall, in addition to the occupier's rate, if any, charged under section 36, be levied and paid, for each year, such rate, to be called the fixed rate', not exceeding rupees five per acre, as may be prescribed, on all land within a tube-well service area, declared as such under section 36-C in relation to a state Tube-well having such discharge capacity as may be prescribed.

Fixed rate.

(2) The fixed rate shall be payable by the occupier of the land.

(3) All occupiers of any land shall be jointly and severally liable to pay the fixed rate.

(4) The provisions of this Act and the rules made thereunder relating to determination, collection, recovery and remission of occupier's rate, and to determination of liability therefor, shall *mutatis-mutandis* apply in relation to the fixed rate.

(5) For the purposes of this section "occupier" means—

(i) if the land is uncultivated, the person entitled to cultivate it,

(ii) in any other case, the proprietor or tenure-holder, by whatever name described in the law relating to land tenures for the time being in force, whoever may be in actual cultivatory occupation of the land, and if such proprietor or tenure-holder be not in actual cultivatory occupation of the land, also the person in such occupation.

Explanation—In any area where estates have vested in the State of Uttar Pradesh under any law relating to abolition of Zamindari, the State Government shall not, for the purposes of this sub-section, be deemed to be the proprietor of the land except in respect of any land which may be in its actual cultivatory occupation.

Declaration of tube-well, service area.

36-C. (1) For the purposes of section 36-B, the Divisional Officer shall, in the prescribed manner, declare such area of culturable land and grove land as may, in his opinion, reasonably be served for purposes of irrigation by a single State tube-well to be the tube-well service area. .. ..

(2) Any person aggrieved against such declaration may, within such time as may be prescribed, make an application to the Divisional Officer to the following effect :

(*a*) that any land of which he is the occupier should be included in the tube-well service area ;

(*b*) that any land of which he is the occupier should be excluded from the tube-well service area on the ground—

(i) that the land cannot reasonably be irrigated from the tube-well ; or

(ii) that he does not want to avail of the facility of such irrigation ;

(*c*) that the land of any other person should be excluded from the tube-well service area on the ground that such service area is excessive :

Provided that no person whose land is not included in the tube-well service area shall be entitled to raise an objection under this clause.

(3) The Divisional Officer shall, after giving an opportunity, in the prescribed manner, to all persons concerned, pass such order on an application under sub-section (2) as he may deem fit.

(4) Any person whose land is included in or excluded from, the tube-well service area on his onw application under sub-section (2) shall not be entitled to apply within five years from the date of such application to have that land excluded or included, as the case may be.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-sections (2) to (4) any declaration under sub-section (1) may, at any time, be revised *suo motu* by the Divisional Officer.

(6) A declaration under sub-section (1) shall, subject to the provisions of sub-sections (2) to (5), be final and not liable to be questioned in any eourt of law.

(7) The expressions "State tube-well" and "Divisional Officer" shall have the meanings assigned to them in the U. P. State Tube-wells Act, 1936." U.P. Act no.XII of 1963.

कठिनाइयों का निवारण ।

३—(१) राज्य सरकार, किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये विशेष कर "अध्यासी की दर" से सम्बन्धित मूल अधिनियम के उपबन्धों को "निश्चित दर" में अनुकूलित करने और उस सम्बन्ध में नहरों से सम्बन्धित उपबन्धों को राज्य नल कूपों में अनुकूलित करने के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम ऐसी अवधि में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष से आगे न हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन, या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायगा ।

उद्देश्य और कारण

प्रत्येक वर्ष विदेशों से भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता से और उसके परिणाम स्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अल्प संसाधनों पर पड़ने वाले व्यय भार से देश को मुक्त करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि खाद्य उत्पादन में यथासंभव कम से कम समय में पर्याप्त रूप में वृद्धि की जाय। उक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिये एक साधन यह है कि सिंचाई की उन सुविधाओं का उचित और पूर्णरूप से और समय के भीतर उपयोग किया जाय जिनकी व्यवस्था बहुत लम्बी अवधि में बहुत बड़ी पूंजी लागत से की गयी है। वर्तमान राज्य नलकूपों से उपलब्ध सिंचाई के सम्भाव्य संसाधन का पूर्ण और लाभदायक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसका अंशतः कारण यह है कि काश्तकार देर तक वर्षा के लिये प्रतीक्षा करते रहते हैं और कृत्रिम सिंचाई का आश्रय तभी लेते हैं जब समय पर वर्षा होने की उनकी आशा पूर्ण नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप न केवल समय के भीतर सिंचाई से होने वाला अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है वरन् थोड़ी अवधि के लिये मांग भी बहुत बढ़ जाती है जिस में प्रत्येक की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है। यह अनुमान किया जाता है कि ऐसी स्थिति को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, यदि राज्य नलकूपों के सिंचाई क्षेत्र के भीतर की भूमि के सम्बन्ध में सिंचाई शुल्क के दो भाग कर दिये जायें—एक निश्चित शुल्क होगा जो सिंचाई क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी किसानों द्वारा देय होगा, तथा दूसरा परिवर्तनीय शुल्क होगा जो सिंचाई के हेतु वस्तुतः लिये गये पानी की मात्रा पर देय होगा। यह भी अनुमान किया जाता है कि इस कार्यविधि से किसानों को अपने खेतों की समय के भीतर सिंचाई करने के लिये उत्प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार इस विधेयक का जिसमें नियत न्यूनतम निकासी क्षमता (minimum discharge capacity) के राज्य नलकूपों के सिंचाई क्षेत्र के भीतर की समस्त भूमि पर सिंचाई शुल्कों को निश्चित शुल्क तथा परिवर्तनीय शुल्क के रूप में लगाये जाने की व्यवस्था है, उद्देश्य सिंचाई के वर्तमान संभाव्य संसाधन तथा भविष्य में बनाये जाने वाले संभाव्य संसाधनों का पूर्ण तथा उचित रूप से और समय के भीतर उपयोग करना है, जिस से राज्य को अधिक खाद्य उत्पादन में और देश को खाद्य के विषय में आत्म निर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ में दिये हुये ऐसे उपबन्धों के संबंध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

इस विधेयक में, जिसके द्वारा इस राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ में संशोधन किया गया है, कतिपय ऐसे प्रतिनिहित विधायन अधिकारों की व्यवस्था की गयी है जिनका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जायगा। ये सब अधिकार सामान्य प्रकार के हैं।

विधेयक के खंड २ में राज्य सरकार को नलकूप सिंचाई क्षेत्र के भीतर भूमि पर लगायी जाने वाली निश्चित दर नियत करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार विधेयक में निर्धारित उच्च सीमा के अधीन है। इसमें राज्य सरकार को ऐसी न्यूनतम निकासी क्षमता भी निश्चित करने का अधिकार दिया गया है जो नलकूप पर निश्चित दर लगाने के प्रयोजन के लिये उसमें होनी चाहिये। इस खंड में राज्य सरकार को वह समय जिसके भीतर नलकूप सिंचाई क्षेत्र की घोषणा किये जाने के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकें, और वह रीति भी जिसके अनुसार प्रभागीय अधिकारी आपत्तियों पर निर्णय देते समय सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवायी का अवसर देगा, नियत करने का भी अधिकार दिया गया है।

विधेयक के खंड ३ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन में अनुभव की गयी किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये, मूल अधिनियम के उपबन्धों को अनुकूलित करने के निमित्त कोई आदेश दे। यह अधिकार भी तीन वर्ष की अवधि और इस निर्बन्धन के अधीन है कि तद्धीन दिया गया कोई आदेश राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायगा।

मूल अधिनियम में, जैसा कि विधान मंडल द्वारा इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् संशोधित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों का उचित ध्यान रखते हुये उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त नियम बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण तथा उसमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि धारा ७५ (३) में इस बात की व्यवस्था है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल १४ दिन की अवधि तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे।

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ५० एल० ए०--१९६४--८६०।